ISSN 0974-7265

INDIAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES & SOCIETIES

AN INTERNATIONAL
REFEREED & PEER REVIEWED JOURNAL

Website : www.ijosss.com

Scientific Journal Impact Factor (2020) = 5.99

Volume 35, August 2023

flash

Editor in Chief

Dr. Rishikesh Singh

INDIAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES & SOCIETIES

(AN INTERNATIONAL REFEREED / PEER REVIEWED JOURNAL)

www.ijosss.com

Volume 35, August 2023

Editor in Chief

Dr. Rishikesh Singh

Published by

Flash Publication

Gonda / Varanasi

For

INDIAN LABORATORY OF SOCIAL SCIENCES & SOCIETIES

All rights reserved. No part of this publication including its style and presentation, may be reproduced, stored in a retrieval system are transmitted in any form or by any means- electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without the prior written concern of “Indian Laboratory of Social Sciences and Societies”.

Volume 35, August 2023

Biannual

International Standard Serial Number: 0974-7265

Website – www.ijosss.com

Prints -1000 Copies.

Not for sale. Only for academic use .

Edited by: Professor (Dr.) Rishikesh Singh, Director, “ Indian Laboratory of Social Sciences and Societies.” Mob. 09415458974

DTP By : Gopi Nath, Mob. 9005856561.
Published By : Flash Publication
Basant Bihar, Janaki Nagar Colony,
Baharaich Road, Gonda-271003
Uttar Pradesh, India
Mob.: 09415458974

Editorial

I feel a deep sense of pleasure in presenting the 35th volume of “Indian Journal of Social Sciences and Societies” before you. This Journal is published by Flash Publication, Gonda (U.P.) for “Indian Laboratory of Social Sciences and Societies” a research institute. The purpose of the Laboratory is “latest research in social sciences and societies and it shall attempt to achieve this purpose by Organizing Workshops, Seminars, Debates, Exhibitions and Publication of a journal”. This journal is an attempt in a achieving the purpose of the Laboratory.

There are so many research journals of various disciplines containing the research papers of only one concerned discipline and not of others. But this type of journals does not satisfy the requirements of Inter-disciplinary Approach which is world-wide tendency in the study and researches in recent years. This journal is an attempt to satisfy such said requirements. It is based on Inter-disciplinary Approach and it contains the research papers from various disciplines namely Political Science, Sociology, Education, Economics, Psychology, Geography, Military Science, Art Subjects, Commerce, Spiritual Sciences and Natural Sciences etc. with a view to represent perfectness and wholeness of knowledge in the field of research.

I can not part without acknowledging the wholehearted co-operation and steadfast devotion, I received from the members of Governing body, Executive body, Editorial board, Refereed Board, Advisory council of “Indian Laboratory of Social Sciences and Societies” and above all from the honest researchers who sent their papers for publication and got them published here in.

I hope with firm belief that this volume will draw the attention and appreciation of learned scholars of various disciplines and the journal will, considerably, be prompting and promoting the latest researches in the field of study as a whole.

Positive and constructive suggestions are hereby heartedly invited.

Date: 29*August, 2023.*

Professor (Dr.) Rishikesh Singh

अनुक्रमणिका

क्र.सं. शोध पत्र	शोधार्थी	पृष्ठ
01. Transforming Vision of Aurbindo Ghosh for Indian Political Scena	**Dr .Himanshu Yadav**	**01--08**
02. कार्यरत महिलाएं : भूमिका और संघर्ष	प्रतिमा सिंह, डॉ.प्रीति द्विवेदी	09—14
03. लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण : सामाजिक एवं राजनीतिक विश्लेषण	डॉ0 बैजनाथ पाल	15—18
04. प्रो0 अक्षय कुमार रमणलाल देसाई का चिंतन : एक विश्लेषण	प्रो0 तेज बहादुर सिंह, आकांक्षा सिंह	19—29
05. इजराइल—फिलीस्तीन विवाद : एक समीक्षात्मक अध्ययन	डॉ0 अनुराग तिवारी	30—32
06. पंचायती राज में महिलाओं की राजनीतिक, प्रशासनिक भूमिका : एक अवलोकन	रिंकी, प्रो0 डी0 आर0 यादव	33—38
07. भारतीय असंगठित क्षेत्र के विकास में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी की भूमिका : एक समाजशास्त्रीय अध्ययन	दीप्ती वर्मा, डॉ० प्रीती द्विवेदी	39—44
08. पर्यटन केन्द्र रोहतास (बिहार) : एक भौगोलिक अध्ययन	डॉ0 लीलावती कुमारी, डॉ0 जय शंकर सिंह	45—48
09. भारत में जाति व्यवस्था और राजनीतिक परिवर्तन : एक विश्लेषणात्मक अध्ययन	प्रोफेसर ऋषिकेश सिंह	49—54
10. विभिन्न स्तरों पर विज्ञान	वृजेन्द्र कुमार सिंह	55—60
11.पत्रकार नरेंद्र मोहन की काव्य यात्रा : एक अनुशीलन	लक्ष्मीनाथ पाण्डेय	61—65
12. भारत में वृद्धों की समस्याएँ : एक समाजशास्त्रीय विश्लेषण	श्वेता शुक्ला, डॉ. सोहिनी	66—69
13. लैंगिक पहचान, जाति और धर्म का अंतः संबंध : भारत के तृतीय लिंग समुदाय में सामाजिक हाशिएकरण और पुनर्स्थापन का समाजशास्त्रीय अध्ययन	रूबी पाल, प्रो0 अनिल कुमार मिश्रा	70—71
14.गांधी का ग्राम स्वराज एवं पंचायती राज व्यवस्था : एक समाजशास्त्रीय अवलोकन	अवन्तिका, प्रो० माधुरीवर्मा	72—77

TRANSFORMING VISION OF AURBINDO GHOSH FOR INDIAN POLITICAL SCENARIO

Dr .Himanshu Yadav*

Introduction

Sri Aurobindo Ghose (1872-1950) has been one of finest thinkers and philosophers of modern India, He was also a popular leader of the freedom movement who went on to become a yogi and a mystic. Aurobinuo Gnosh was born on 15 August 1872 in Calcutta. His father's name was Krishna Dhan Ghosh. Swarnalotta Devi was his mother. His maternal grand-father was Raj Narayan Bosc, a great name of the history of Bengal. Aurobindo was greatly influenced by his political philosophy and spiritualism. He was nominated for the Nobel prize in literature in 1943 and for the Nobel Peace Prize in 1950, Aurobindo was born in Konnanagar (West Bengal) on August 15,1872. Soon after completing his education from Loreto Convent at Darjeeling, he was sent to England to pursue further studies. He studied in St. Paul's School in London from 1884. After securing a senior classical scholarship, he joined king's College, Cambridge in 1890. After this experience, Stackhouse's music took a completely different turn, focusing on mysticism, that was to continue until the end of his career,

After returning to India, he studied Sanskrit and Indian culture, religion and philosophy. And then till 1970, he devoted himself to the freedom cause by introducing radical programmes for the Bengal Congress while urging Indians to boycott all foreign-made goods and programmes of the British Government. He was arrested for his pro-swaraj activities in 1910 and jailed in Alipore for a year. Sri Aurobindo's ideas about the further evolution of human capabilities influenced the thinking of Michael Murphy and indirectly, the human potential movement, through Murphy's writings.

***ASSISTANT PROFESSOR, DEPARTMENT OF POLITICAL SCIENCE, S.P.M. COLLEGE, UNIVERSITY OF ALLAHABAD.**

Early carrier

Aurobindo Ghosh was a brilliant student. He stood first in Greek in ICS and ranked 10th in that examination. Later on, he passed Tripos of Cambridge University. He came back to India and joined Baroda College as Vice-principal. While he was in Baroda, he came into contact with Thakur Saheb a great revolutionary leader of Maharashtra. Aurobindo took lesson of militant nationalism from him. He became a member of secret society set up by Thakur Saheb. The American philosopher Ken Wilber has called Sri Aurobindo "India's greatest modern philosopher sage"

Role as a nationalist leader

Dunne the anti-partition movement in Bengal. Aurobindo Ghosh was invited to come to Calcutta by his brother Barindra Kumar Ghosh who had already established himself as a revolutionary leader of Bengal. Aurobindo Ghosh came to Calcutta and took the post of Principal of the national college. It was during his imprisonment that he underwent an intense mystical experience that was to have a profound impact on him. From then onwards, he assumed the life of a yogi and went to reside at Pondicherry in Tamil Nadu where he also founded an ashram. The town of Auroville in Pondicherry, the "universal town', was later conceived by one of his chief disciples, known as the Mother', to bear out Kurobindo's philosophical principles. Auroville, symbolizing the universal spirit, was then opened in 1968. Aurobindo also published The Arya, a philosophical journal that included his well-known writings namely, The Ideal of Human Unity, The Synthesis of Yoga and The Life Divine, Adi Da finds that Aurobindo's contributions were merely literary and cultural and had extended his political motivation into spirituality and human evolution.

Aurobindo's Political thought

Aurobindo had already been inspired by the Gita, Bankim's thought and his Anandamath. He began to preach his political thought by editing. 'The Vandemataram'. 'The Vandemataram' became very popular within a few days. Aurobindo Ghosh preached his idea about Swadeshi and Swaraj. According to him, nationalism is the manifestation of soul. He was the source of inspiration for the youths of Bengal. He warned them that the British would never make a gift of autonomy to the Indians unless they were forced to do so. Rajneesh (Osho) says that Aurobindo was a great scholar but was never realised; that his personal ego had made him indirectly claim that he went beyond Buddha; and that he is said to have believed himself to be enlightened due to increasing number of followers.

Aurobindo's political ideas and his philosophy cannot be distinguished as two separate sets of thoughts. This is because all his political ideas are based on those very spiritual and moral concepts that from the essence of his philosophical thoughts. Thus, nationalism for Aurobindo is nor simply a political programme or a concept of the intellect. It was a spiritual endeavour, "a religion that has come from God". It is an active religion whose main weapons are spiritual. Aurobindo believed that India's national movement had to succeed so that India could complete her destined task and "become herself, So swaraj was not merely a hint of political independence; swaraj was the means by which she could become a spiritual guide to the whole of humanity, and has integrated some of his ideas into his philosophical vision. Wilber's interpretation of Aurobindo has been criticised by Rod Hemsell."

To deal with national oppression, aurobindo advocated passive as well as active resistance depending upon the type of pressures applied, As political liberty is of the greatest importance to a nation, it has to be guarded or secured by any means. New Age writer Andrew Harvey also looks to Aurobindo as a major inspiration.

Aurobindo was of the opinion that individuals must be ready to lay down their lives in their nation's interests, Only by identifying himself with the national will can an individual achieve fulfillment. But the nation itself was not simply a group of individuals, as Aurobindo saw it. It was organism just as the individual is one, and a nation has its own personality as well. The function of a society is to help an individual achieve the human ideals and so, a society's ideals have to be based on an accurate understanding of human existence. Man needs to realize that his essential being does not rely on scientific and technological advancements as those made in the West but is a result of living in the spirit.

Margaret Woodrow Wilson (Nistha) (1886- 1944), daughter of US President Woodrow Wilson, she came to the ashram in 1940 and stayed there until her death

The revolution conceived by Aurobindo was spiritual in nature. It involved arealization based on the concepts of the Supreme Reality (Sachchidananda), supermind (the truth consciousness) and Evolution. The basic idea of humanity was Bramha-whose freedom is equally shared by humans who have an organic relationship with one another The brahma (super-consiousness) is related to the mind (conciousness) through the super mind, the most complete spiritual consciousness. And spiritual evolution was a process that speared over the whole of reality itself.

The Sanskrit word for union is yoga. In philosophy, yoga came to mean a set of teachings and practices found in Patanjali's Yoga Sutra. More broadly, yoga refers to all

practices by which an individual can achieve union with brahman or move in that direction. Conventionally, the methods of yoga are placed in three categories: (1) those that rely on work conceived of as selfless service to the Divine (karma-yoga or the yoga of action), (2) those that rely on mental exercises such as meditation (jnana-yoga or the yoga of knowledge), (3) those that rely on devotion to ishwara conceived of as a personal god (bhakti-yoga or the yoga of devotion). Some authorities also recognize a fourth categoryof practices relying on occult forces to bring about personal transformation.

In the system known as raja-yoga, this transformation is associated with extraordinary powers or siddhis, as described in the Yoga Sutra. In Sri Aurobindo's yoga, the transformation comes about through the action of the divine force or shakti, as described in the Tantras. Nolini Kanta Gupta (1889-1983) was one of Sri Aurobindo's senior disciples, and wrote extensively on philosophy, mysticism, and spiritual evolution based on the teaching of Aurobindo and "The Mother" [0 Haridas Chaudhuri and Frederic Spiegelberg!!! Sri Aurobindo called his system Integral Yoga because it synthesized or integrated the methods of the four traditional paths of yoga, which he called the yoga of divine works, the yoga of integral knowledge, the yoga of divine love, and the yoga of self- perfection. He first used the term "Integral Yoga" in The Synthesis of Yoga in September 1914. (In 1913 he used the Sanskrit equivalent, purna yoga, in an essay.) (Aurobindo 1999; Aurobindo 1997a). In The Synthesis of Yoga he explained that the fundamental principle of yoga was "the turning of one or of all powers of our human consciousness into a means of reaching divine Being." In the three traditional paths, "one main power of being or one group of its powers is made the means," while in a synthetic or integral yoga "all powers will be combined and in the transmuting instrumentation".

Supermind and the supramental are terms that Sri Aurobindo introduced to describe levels of consciousness above the ordinary mind. In his cosmology the "lower hemisphere" is made up of matter, life and mind, while the 'higher hemisphere" is made up of being, consciousness and bliss (which are known to Vedanta as sat-chit-ananda). Between the two hemispheres is supermind, referred to in certain Upanishads as vijnana. Supermind is the dynamic link between the spiritual levels of being- consciousness-bliss and the lower levels of matter- life-mind. Sri Aurobindo viewed the manifestation of the cosmos as a dual process of involution and evolution. Life and mind, which are "involved" in matter, evolve out of it through the intermediary ofplant, animal and human life. The supermind, also involved but still latent in matter, is destined to evolve through the intermediary of supramental or gnostic

beings. The full emergence of supermind will bring about a transformation of matter, life and mind and to a divine life in which "gnostic individuals" will interact harmoniously with one another "in a gnostic community or communities." (Aurobindo 2005). In a yoga diary that he kept between 1912 and 1920 and again in 1927 Sri Aurobindo wrote that he was ascending into various intermediary levels of consciousness between ordinary mind and supermind (Aurobindo 2001). Years later he wrote that the highest of these levels, which he called overmind, had descended into his body in 1926. Thereafter he applied himself to ascending into supermind and to bringing it down into matter. After his death in 1950, the Mother continued this supramental yoga.

Doctrines/Beliefs

Broadly speaking, the philosophy of Sri Aurobindo is a combination of the ancient Indian philosophical system of Vedanta with certain ideas usually associated with Western modernity, such as evolution, progress and individuality.

Classical Vedanta, one of the six orthodox systems of Indian philosophy, is based on the teachings of the Upanishads, the Bhagavad Gita, and other Sanskrit texts. Among the central ideas of Vedanta are (1) that the universe is an expression of a single Reality, called brahman; (2) that each individual being is fundamentally atman or self; and (3) that atman is identical with brahman, which means that each individual being can achieve a state of union with the ultimate Reality, sometimes conceived of as 'ishwara' or the Lord of the Universe. (The Indian term ishwara is roughly equivalent to the Western "God." Sri Aurobindo and the Mother often used the term "the Divine" when referring to God or the Lord.)

Mother told her disciples that the supermind force was at work in her body to transform it, were among those who were inspired by Aurobindo, who worked on the newly formed American Academyof Asian Studies in San Francisco. Soon after. Chaudhuri and his wife Bina established the Cultural Integration Fellowship, from which later emerged the California Institute of Integral Studies.

Sri Aurobindo and the Mother did not encourage their followers to speculate about the descent of the supermind, the physical transformation, and so forth. It was important for them to know that the ultimate goal of yoga was the transformation of individual and collective life and not, as in traditional Vedanta, an escape from samsara, the karma -driven round of birth-and-death. But before individuals could think about rising to the supermind or bringing down its power into their bodies, they had to go through a long and difficult preparation. First comes a preliminary physical and mental purification such as is recommended by virtually all

religious and spiritual traditions. They follows the practice of yoga properly speaking, beginning with the triple path of works, knowledge and devotion. In practical terms, the path of works means performing all actions without desire, as described by the Bhagavad Gita. The path of knowledge entails gaining control of the activities of the mind by means of concentration or meditation, while the way of devotion depends on establishing a personal relationship with the Divine or the guru. Many followers of Sri Aurobindo and the Mother look on them as avatars or divine incarnations and direct their devotion to them. While not insisting that they embrace belief in avatarhood, Sri Aurobindo asked his disciples to surrender themselves to the Mother and allow her to guide them from within.

Sri Aurobindo took one important term of his philosophy not from the Indian tradition but from the Westem esoteric tradition that the Mother had studied before she came to India. This term was the etre psychique or "psychic being," which corresponds roughly to the "divine spark" of the school of Kabbalah developed by Isaac Luria in sixteenth-century Palestine. (The idea of the divine spark also occurs in other spiritual traditions. It is similar to the caitya purusha of medieval Hinduism.) (Hechs 2011). In his letters to disciples, Sri Aurobindo specified a number of inner states andattitudes that those who wished to follow his yoga should cultivate. These are the foundations of his sadhana or practice of yoga. Most important is inner peace (shanti) along with a state of freedom from disturbance (samata) leading to a positive state of inner cheerfulness (sukham).

The sadhaka or practitioner must learn to have faith in the Divine. This is not mental belief, but what is called in Sanskrit shraddha, the soul's "dynamic entire belief and acceptance" of "the Divine's existence, wisdom, power, love and grace." Sadhakas must learn to surrender themselves to the will and guidance of the Divine without insisting on their own preferences and ideas. They should aspire for the Divine's grace and support, rejecting movements that lead away from the path, such as egoism, desire and anger. Finally, they should be patient, not expecting major results in a few days or even a few decades (Aurobindo 2013). According to Sri Aurobindo and the Mother, the practice of yoga is an individual affair. They did not encourage congregational activities, but they did ask sadhakas to work together in harmony, learning how to keep their egos under control. This was the main reason, apart from the maintenance of the ashram's outward life, that the Mother has assigned work to everyone. On a wider scale, she and Sri Aurobindo looked forward to the establishment of spiritual and, eventually, supramental communities that would be expressions of the Divine in life. Aurobindo joined the Indian National Congress in 1904. But

he lost confidence in moderate politics. He upheld the ideal of extremism. In 1908, Aurobindo was accused in the Alipore Bomb case. C.R. Das, however, got him released. During the trial of this case, he declared in the court, 'patriotism cannot be an offence'. After being acquitted from the Alipore Bomb case, Aurobindo realized a sort of change within himself. He left political life and adopted spiritual life in Pondicherry.

Relevance of Aurbindo

During the thirty plus years of regime of the Leftist government in West Bengal, there was not a single attempt of large-scale industrializationespecially when the "poster boy" of the Left, Jyoti Basu, was the esteemed Chief Minister. When Buddhadeb Bhattacharya came to power, his drastic attempts of taking lands from the peasants for the purpose of industrialization created a lot of outrage among the elite and the literate classes of West Bengal along with the poor peasants who were being directly affected. This coupled with the inefficient governance created a major setback in gaining the support of the masses.

India is the land of Ramkrishna Paramahansa, Swami Vivekananda and Aurobindo Ghosh and undoubtedly one of the largest spiritually oriented nations. The Leftist government's principle of atheism only further alienated the common masses. In a nutshell, the Leftist government so far has been a total failure to synchronize with the socio-economic trend of the majority. From a bigger perspective, the Leftist government always opposed privatization and land reforms were on the top of their priority list. As pointedly asked by Surjit Bhalla, the financial wizard and anchor of the NDTV talk show, Tough Talk, "In this day and age why do you still celebrate the 90th Anniversary of the October Revolution? How many democratic parties have a bust of Stalin in their headquarters?"

Conclusion

Aurobindo Ghosh was a great source of inspiration for the youths of Bengal. According to him, a few learned youths cannot make the revolution successful. A revolution needs revolutionary conscience of a nation. So, he wanted mass revolution. The decision of Aurobindo Ghosh to leave political life after being acquitted led some critic to remark that he was an escapist. But it must be admitted that he roused revolutionary conscience in the youths of Bengal He was deeply influenced by the dynamic and it was Tilak who inspired him to join the Indian freedom struggle, "Political rights would have to be fought for," declared Tilak. Tilak brought radicalism and militant nationalism in Indian politics. He had joined the Congress again in 1916 at Lucknow. He along with Lala Lajpat Rai and Bipin Chandra Pal was the Chief exponent of the new waveof militant nationalism. They wanted the Indians

themselves to fight for their cause of freedom. They pleaded for self-respect. self-confidence and self-help for fighting the utter selfish and ruthless. foreign rulers. It is he who later perfected the life and technique of yoga in his doctrine of Super mind. Super mind means a Superman who has divinized his mind and body in relation to God. It is the super mind of a superman who seeks to divinize the whole cosmos. Thus, a highly spiritualized individual as a superman can become the instrument of universal nirvana and salvation.

REFRENCES

- Nomination database Nobel.org accessed 28 January 2016
- O'Mahony (2001)
- Kripal (2007), pp. 60-63
- Ken Wilber, Foreword to A. S. Dalal (ed.), A Greater Psychology An Introduction to the Psychological Thought of Sri Aurobindo, Tarcher/Putnam, 2000.
- "Bubba Free John in India". The Dawn Horse Magazine. 4 August 1974. Retrieved 6 March 2014.
- "Osho Beyond Enlightenment". Beyond Enlightenment. Retrieved 6 March 2014
- Rod Hemsell, "Ken Wilber and Sri Aurobindo: A Critical Perspective" Jan. 2002.
- "Hidden Journey: A Spiritual Awakening". Retrieved 2014-02-06
- "Woodrow Wilson Daughter Dead". The Milwaukee Sentinel. February 14, 1944. p. 1. Retrieved 16 November 2015
- Sachidananda Mohanty (2008). Sri Aurobindo: A Contemporary Reade (1 ed.). New Delhi: routeledge. p. 36. ISBN 978-0-415-46093-4.
- Haridas Chaudhuri and Frederic Spiegelberg, The integral philosophy of Sri Aurobindo: a commemorative symposium, Allen & Unwin, 1960

❖

कार्यरत महिलाएं : भूमिका और संघर्ष

प्रतिमा सिंह'
डॉ.प्रीति द्विवेदी''

सार :

प्रस्तुत शोध पत्र उत्तर प्रदेश राज्य के प्रयागराज शहर के संगठित क्षेत्रों में कार्यरत महिला कार्मिको की भूमिका समायोजन समस्याओं से संदर्भित है। यह तर्कसंगत रूप से अनुमान लगाया गया है कि कार्यरत महिला श्रमिकों को काम और परिवार दोनों में कई भूमिकाएँ निभाने से भूमिका संघर्ष का अनुभव होता है। महिलाओं के बीच भूमिका संघर्ष कर्मचारियों के रूप में उनके कामकाज पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। हाल के दिनों में देखा गया है कि भारत में महिलाएं रोजगार के अवसर हासिल करने और विशेष रूप से संगठित क्षेत्रों में मौजूदा कार्यरत परिस्थितियों के साथ तालमेल बिठाने में अभी भी पीछे हैं। संगठित क्षेत्रों में कार्यरत महिलाओं के बीच भूमिका संघर्ष की सीमा का अनुभवजन्य रूप से पता लगाना दिलचस्प है। अध्ययन में सेवा की अवधि, परिवार के साथ बिताए गए समय और कार्यरत महिलाओं के बीच भूमिका संघर्ष की सीमा के बीच संबंध का पता लगाने का भी प्रयास किया गया है। वर्तमान जांच 280 कार्यरत महिलाओं से एकत्र किए गए तथ्यों पर आधारित है, जिनमें से प्रत्येक प्रयागराज शहर में शिक्षण, बैंकिंग, स्वास्थ्य और सरकारी विभागों से 70 महिलाएं हैं। निष्कर्षों से पता चलता है कि कार्यरत महिलाओं को एक तरफ घरेलू कर्तव्यों का प्रबंधन करने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिलता है और दूसरी तरफ काम पर बढ़ता दबाव उन्हें अपने परिवार की देखभाल करने से रोकता है।

मुख्य शब्द: *परिवार, भूमिका संघर्ष, कार्यरत महिलाएँ।*

प्रस्तावना :

समकालीन युग में, संगठित क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है, जो उभरते सामाजिक–आर्थिक परिदृश्य और कार्यबल में लैंगिक समानता की चल रही खोज को दर्शाता है। इस प्रतिमान बदलाव ने कई चुनौतियों और जटिलताओं को सामने ला दिया है, जिनमें से एक सबसे प्रमुख भूमिका संघर्ष है जिसे महिलाओं द्वारा अपनी पारंपरिक लिंग भूमिकाओं और पारिवारिक कर्तव्यों के साथ अपनी पेशेवर जिम्मेदारियों को संतुलित करने में अनुभव किया जाता है। इस समाजशास्त्रीय अध्ययन का उद्देश्य संगठित क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं के बीच भूमिका संघर्ष की घटना के आसपास की जटिल गतिशीलता का पता लगाना है। भूमिका संघर्ष, जिसे किसी व्यक्ति द्वारा धारण की गई विभिन्न भूमिकाओं के बीच प्रतिस्पर्धी मांगों से उत्पन्न तनाव के रूप में परिभाषित किया गया है, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान और संगठनात्मक व्यवहार विषयों के भीतर व्यापक विद्वानों की जांच का विषय रहा है। हालाँकि, महिलाओं के रोजगार के संदर्भ में इसकी अभिव्यक्ति और निहितार्थ एक प्रासंगिक क्षेत्र बना हुआ है, जिस पर केंद्रित जांच की आवश्यकता है। लिंग, वर्ग, जातीयता और अन्य सामाजिक आयामों की अन्तर्विरोधता संगठित क्षेत्र के भीतर भूमिका संघर्ष को सुलझाने में महिलाओं के अनुभवों को और अधिक जटिल बना देती है। हालांकि कार्यबल में लैंगिक समानता की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है, लेकिन स्थापित सामाजिक मानदंड और संस्थागत बाधाएं रोजगार में महिलाओं की भूमिकाओं और अवसरों को आकार और बाधित कर रही हैं। संगठित क्षेत्र में महिलाओं के बीच भूमिका संघर्ष की बारीकियों को समझने से लैंगिक–समावेशी कार्यस्थलों को बढ़ावा देने और महिलाओं की भलाई को बढ़ाने के उद्देश्य से सैद्धांतिक प्रवचन और व्यावहारिक हस्तक्षेप दोनों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। भूमिका संघर्ष में योगदान देने वाले व्यक्तिगत, संगठनात्मक और सामाजिक कारकों की जटिल परस्पर क्रिया को उजागर करके, यह अध्ययन लिंग, कार्य और सामाजिक परिवर्तन पर व्यापक चर्चा में योगदान देना चाहता है। गहन साक्षात्कार, प्रतिभागी अवलोकन और विषयगत विश्लेषण जैसे गुणात्मक अनुसंधान तरीकों के माध्यम से, यह अध्ययन विभिन्न संगठनात्मक संदर्भों में भूमिका संघर्ष से जूझ रही महिलाओं के

'असिस्टेण्ट प्रो0 (समाजशास्त्र), जुहारी देवी गर्ल्स पीजी कालेज, कानपुर, उत्तर प्रदेश
''एसोसिएट प्रो0 (समाजशास्त्र), महिला महाविद्यालय पी. जी. कालेज, किदवई नगर कानपुर, उत्तर प्रदेश

जीवित अनुभवों, मुकाबला तंत्र और आकांक्षाओं को पकड़ने का प्रयास करता है। महिलाओं की आवाज़ को स्वयं बढ़ाकर, इस शोध का उद्देश्य ऐसी अंतर्दृष्टि प्रदान करना है जो न केवल अकादमिक रूप से कठोर हो बल्कि सामाजिक रूप से प्रासंगिक और मुक्तिदायक प्रकृति की भी हो। (अब्दुल और रोशन, 2010)

साहित्य की समीक्षा:

भारतीय संदर्भ में संगठित क्षेत्रों में महिलाओं पर कई शोध किए गए हैं। महिलाओं की दोहरी भूमिकाएं मौजूदा सामाजिक संरचना के कारण तनाव और संघर्ष का कारण बनती हैं जो अभी भी पुरुष प्रधान है (वेंटलिंग, 2013)। दिल्ली में कार्यरत महिलाओं पर अपने अध्ययन में पाया गया है कि पारंपरिक सत्तावादी व्यवस्था अपरिवर्तित बनी हुई है और इसलिए महिलाओं को भूमिका संघर्ष की समस्या का सामना करना पड़ता है। हालाँकि, रोजगार क्षेत्र में महिलाओं की नई भूमिका के प्रति पुरुषों और महिलाओं के दृष्टिकोण में बदलाव से उनकी समस्या को दूर करने में मदद मिल सकती है। कार्य–जीवन संघर्ष और पूर्णकालिक कर्मचारियों के काम के बोझ के बीच एक मजबूत संबंध पाया गया (स्किनर और पोकॉक, 2008) और कार्य–जीवन और पारिवारिक–जीवन संबंधों में संतुलन बनाए रखने के लिए कार्यभार के प्रभावी प्रबंधन का आह्वान किया गया। इसके अलावा, कार्यरत महिलाएँ काम में परिवार के हस्तक्षेप से अधिक परेशान होती है। सेवा के प्रारंभिक चरण में परिवार पर काम का प्रभाव बाद के चरण की तुलना में आनुपातिक रूप से अधिक था (अहमद और अमीना, 2017)। भूमिका संघर्ष की अवधारणा को काह्न और उनके सहयोगियों (2018), द्वारा भूमिका सिद्धांत के ढांचे को नियोजित करके विस्तृत तरीके से विस्तारित किया गया था। भुगतान वाली नौकरियों में लंबे समय तक काम करने से पारिवारिक जिम्मेदारियों के लिए उपलब्ध समय की मात्रा कम हो जाएगी, जिससे कार्यरत महिलाओं के लिए काम करना मुश्किल हो जाएगा।

अध्ययन का दायरा:

वर्तमान अध्ययन समकालीन भारतीय समाज के संदर्भ में कार्यरत महिलाओं के व्यावसायिक और पारिवारिक जीवन से संबंधित जटिल वास्तविकताओं की जांच करेगा। यह भारतीय कार्य संगठनों के लिए विशेष रूप से महिला श्रमिकों की कार्यरत स्थितियों के प्रति अन्तदृष्टि प्रदान करेगा। इस प्रकार, भूमिका असंगति की रोजमर्रा की समस्याओं का सामना करने में वर्तमान अध्ययन उपयोगी होगा। संगठित क्षेत्रों में भूमिका संघर्ष और महिला श्रमिकों पर यह अध्ययन निश्चित रूप से बड़े पैमाने पर समाज के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित हो सकता है।

उद्देश्य:

अध्ययन का उद्देश्य निम्न हैं:

- अनुभवजन्य रूप से यह पता लगाना कि संगठित क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं को किस हद तक भूमिका संघर्ष का सामना करना पड़ता है।
- कार्यरत महिलाओं के बीच सेवा की अवधि और भूमिका संघर्ष की सीमा के बीच संबंध को मापना।
- कार्यरत महिलाओं के पारिवारिक जीवन पर काम के प्रभाव की पहचान करना।

शोध प्रविधि :

वर्तमान अध्ययन के नमूने में संगठित क्षेत्र की कुल 280 कार्यरत महिलाएं शामिल हैं। निर्देशन का चुनाव स्कूल प्रतिष्ठान, बैंकिंग संगठन, अस्पताल और सरकारी विभागों प्रत्येक से सरल यादृच्छिक नमूना तकनीक का उपयोग करके 70 कार्यरत महिलाओं का चयन किया गया। सुचनाओ को विशेष रूप से अध्ययन के उद्देश्यों के अनुरूप निर्मित किए गए साक्षात्कार अनुसूची के माध्यम से एकत्र किया गया। भूमिका संघर्ष की सीमा और अन्य चर के बीच संबंध खोजने के लिए काई–स्क्वायर परीक्षण लागू किया गया।

अध्ययन परिणाम :

प्रस्तुत शोध में उत्तरदाताओं के भूमिका संघर्ष को जानने के लिए पूछे गए प्रश्नों के उत्तरदाताओं की प्रतिक्रियाओं के आधार पर 'निम्न', 'मध्यम' और 'उच्च' के रूप में वर्गीकृत किया गया है। जो उत्तरदाता परिवार और कार्यस्थल दोनों पर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते समय सहज महसूस करते हैं उन्हें निम्न भूमिका संघर्ष से गुजरने वाला माना जाता है। जो उत्तरदाता घर और नौकरी दोनों में कर्तव्यों का पालन करते समय कभी–कभी सहज महसूस करते हैं, लेकिन हर समय नहीं, उन्हें मध्यम भूमिका संघर्ष वाले लोग माना जाता है और जो उत्तरदाता घर और नौकरी दोनों पर जिम्मेदारियों का निर्वहन करते समय कभी भी सहज महसूस नहीं करते हैं, उन्हें उच्च भूमिका संघर्ष वाली महिला माना जाता है। उच्च भूमिका संघर्ष।

तालिका–1 भूमिका संघर्ष का विस्तार

क्र.सं	भूमिका संघर्ष की सीमा	आवृत्ति	प्रतिशत
1	उच्च	148	52.8
2	मध्यम	94	33.6
3	निम्न	38	13.6
		280	100

अधिकांश उत्तरदाताओं (52.8 प्रतिशत) की राय थी कि उन्हें काम और पारिवारिक दायित्वों को फिर से समायोजित करना होगा जो एक–दूसरे के साथ टकराव करते हैं और उन्हें मानसिक तनाव की भावना देते हैं जो अक्सर जारी रहने की संभावना होती है। इसलिए, ऐसे उत्तरदाताओं को उच्च स्तर की भूमिका संघर्ष वाले लोगों के रूप में वर्गीकृत किया गया। भूमिका संघर्ष का मध्यम स्तर एक तिहाई (33.6 प्रतिशत) उत्तरदाताओं में पाया गया और उत्तरदाताओं का एक बहुत छोटा अनुपात (13.6 प्रतिशत) ऐसे भूमिका संघर्ष से अपेक्षाकृत मुक्त पाया गया है।

निम्न भूमिका संघर्ष से जूझ रही उत्तरदाताओं ने यह बताया है कि व्यवसायिक कैरियर की शुरूआत में पारिवारिक दायित्वों और अपने कार्य शेड्यूल के बीच संतुलन बनाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। समय के साथ एक महिला का अनुभव उसे परिवार और संगठनात्मक अपेक्षाओं के बीच कुशल संतुलन के लिए आवश्यक कुछ कौशल हासिल करने में सक्षम बना सकता है। तालिका 2 में सेवा की अवधि और भूमिका संघर्ष की सीमा पर तथ्य को प्राप्त करने का प्रयास किया गया है।

तालिका–2 सेवा की अवधि और भूमिका संघर्ष की सीमा

सेवा की अवधि	भूमिका संघर्ष की सीमा				काई–स्क्वायर मान
	उच्च	मध्यम	निम्न	कुल	
01–05 वर्ष	48 (77.4)	12 (19.4)	2 (3.2)	62 (100)22.1	22.046*
06–10 वर्ष	41 (59.4)	23 (33.3)	5 (7.3)	69 (100)24.7	
11–15 वर्ष	27 (56.2)	19 (39.6)	2 (4.2)	48 (100)17.1	
16–20 वर्ष	20 (44.4)	18 (40.0)	7 (15.6)	45 (100)16.1	
21 वर्ष और अधिक	12 (21.4)	22 (39.3)	22 (39.3)	56 (100)20.0	
कुल	148 (52.8)	94 (33.6)	38 (13.6)	280 (100)100.0	

' **0.01 संभाव्यता स्तर पर महत्व इंगित करें**

उक्त तालिका में सेवा की अवधि के तथ्यो को तीन समूहों में वर्गीकृत किया गया है। 1 से 10 साल की सेवा वाली महिलाओं को 'निम्न' करियर अवधि वाली महिलाओं के रूप में वर्गीकृत किया गया है। 11 से 20 साल की सेवा वाली महिलाओं को मध्यम के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अंत में 21 वर्ष और उससे अधिक अनुभव वाली महिलाओं को उच्च अनुभव के रूप में वर्गीकृत किया गया है। कार्यरत महिलाओं की सेवा अवधि से संबंधित आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि उत्तरदाताओं के एक महत्वपूर्ण अनुपात (46.8 प्रतिशत) का करियर बहुत निम्न अवधि का है। हालाँकि, उत्तरदाताओं में से एक–तिहाई (33.2 प्रतिशत) का करियर मध्यम अवधि का है और अंततः नमूने में एक–पाँचवीं (20 प्रतिशत) कार्यरत महिलाओं का करियर 21 या अधिक वर्षों की सेवा के साथ उच्च अवधि का है। उच्च स्तर की

भूमिका संघर्ष में उत्तरदाताओं का अनुपात 1–5 साल की सेवा अवधि (77.4 प्रतिशत) में सबसे अधिक पाया गया, इसके बाद 6–10 साल की सेवा (59.4 प्रतिशत) में पाया गया। इसी प्रकार, उच्च स्तर की भूमिका संघर्ष में उत्तरदाताओं का अनुपात 21 वर्ष या उससे अधिक की सेवा वाले लोगों में सबसे कम पाया गया।

तथ्यो विश्लेषण से पता चलता है की जिन उत्तरदाताओं ने भूमिका संघर्ष की समस्या का सामना नहीं किया है या कम किया है, उनकी सेवा अवधि अधिक पाई गई। इस प्रकार, सेवा के शुरुआती वर्षों में उत्तरदाताओं को उच्च स्तर की भूमिका संघर्ष का अनुभव होने की अधिक संभावना है और सेवा की अवधि में वृद्धि के साथ भूमिका संघर्ष की गंभीरता कम हो जाती है । सेवा की अवधि में वृद्धि के साथ, उत्तरदाताओं के अनुपात में उच्च स्तर की भूमिका संघर्ष से मध्यम डिग्री की भूमिका संघर्ष और अंततः कम या बिना भूमिका संघर्ष की ओर बदलाव होता है। इसलिए, सेवा की अवधि और भूमिका संघर्ष की सीमा के बीच महत्वपूर्ण संबंध है। इस प्रकार, यह अनुमान लगाया जा सकता है कि सेवा की अवधि में वृद्धि के साथ भूमिका संघर्ष की सीमा कम हो जाती है। यह तर्क दिया जा सकता है कि, जो लोग लंबी अवधि से रोजगार में हैं वे अपनी घरेलू और व्यावसायिक भूमिकाओं द्वारा रखी गई परस्पर विरोधी मांगों के अनुसार खुद को ढाल लेते हैं। तथ्यों का विश्लेषण यह इंगित करता है कि जो लोग दस या बीस वर्षों से काम कर रहे हैं वे विभिन्न आवश्यकताओं और जिम्मेदारियों वाली भूमिकाओं को बेहतर ढंग से संभालने में सक्षम हैं। ऐसा इसलिए भी हो सकता है क्योंकि युवा कामकाजी महिलाएं जिनकी नई–नई शादी हुई है और उनकी देखभाल के लिए बच्चे या बड़े लोग हैं, वे अपनी व्यक्तिगत और व्यावसायिक जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए अधिक दबाव महसूस कर सकती हैं। दूसरी ओर, वृद्ध महिलाएं जिनके बच्चे बड़े हो गए हैं और जिन्हें कई बुजुर्ग लोगों की देखभाल नहीं करनी पड़ती, उनके लिए नौकरी पाना और भूमिकाएं बदलना आसान हो सकता है। यह अध्ययन यह पता लगाने की कोशिश करता है कि कामकाजी महिलाएं अपने खाली समय को अपने परिवार की देखभाल में कैसे व्यतीत करती हैं। लोग सोचते हैं कि कामकाजी महिलाएं जिस तरह की चीजें करती हैं, उनका सीधा संबंध इस बात से होता है कि वे अपनी जिंदगी और नौकरी से कितनी खुश हैं। वे जो कर रहे हैं उसके आधार पर, लोग खुशी, तनाव, भय, दंड या प्रशंसा के विभिन्न स्तरों को महसूस करते हैं, जिससे उनकी मानसिक भावना भी बदल जाती है। इसे ध्यान में रखने के लिए, साक्षात्कारकर्ताओं को कितनी भूमिका तनाव का सामना करना पड़ा और उन्होंने अपने परिवारों के साथ कितना समय बिताया, इसकी जानकारी संयुक्त की गई।

तालिका–3 परिवार के साथ व्यतीत किया गया समय और भूमिका संघर्श की सीमा

परिवार के साथ समय व्यतीत	भूमिका संघर्ष की तीव्रता की सीमा				काई–स्क्वायर मान
	उच्च	मध्यम	निम्न	कुल	
पर्याप्त	21 (30.9)	23 (33.8)	24 (35.3)	68 (100)24.3	39.434*
अपर्याप्त	127 (59.9)	71 (33.5)	14 (6.6)	212 (100)75.7	
कुल	148 (52.8)	94 (33.6)	38 (13.6)	280 (100)100.0	

’ 0.01 संभाव्यता स्तर पर महत्व इंगित करें

आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि तीन–चौथाई (75.7 प्रतिशत) कार्यरत महिलाओं को अपने परिवार के साथ बिताने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिलता है। हालाँकि, उनमें से एक–चौथाई (24.3 प्रतिशत) के पास अपने पारिवारिक मामलों को पूरा करने के लिए पर्याप्त समय है। इसके अलावा, तथ्य यहभी जानकारी देते है कि अधिकांश कार्यरत महिलाएं (59.9 प्रतिशत) जो अपनी घरेलू गतिविधियों पर अपर्याप्त समय बिताती हैं, उनकी भूमिका संघर्ष की तीव्रता उच्च है(59.9%) जबकि परिवार के साथ पर्याप्त समय व्यतीत करने वाली केवल (30.9%) महिलाओं ने उच्च स्तर में भूमिका संघर्ष का अनुभव किया है। यह स्पष्ट है कि कार्यरत महिलाओं के पास घरेलू कामकाज के साथ–साथ पति, बच्चों तथा ससुराल वालो की देखभाल जैसे पारिवारिक दायित्व के लिए पर्याप्त समय नही होता है। इसके अलावा, देखभाल करने वाले, जीवनसाथी, गृह–निर्माता और कर्मचारी जैसी कई भूमिकाएँ उसे कोई विकल्प नहीं की स्थिति में डाल देंगी और उसे परिवार के साथ पर्याप्त समय निकालने में कठिनाई होगी। कुल मिलाकर, यह कहा जा सकता है कि वर्तमान अध्ययन में कार्यरत महिलाओं को घरेलू कर्तव्यों का पालन करने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिलता है।

भूमिका संघर्ष की सीमा और परिवार के साथ बिताए गए समय के बीच संबंध 0.01 स्तर पर सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण पाया गया है। यह काफी अपेक्षित और तर्कसंगत है कि जो महिलाएं अपने परिवार के साथ पर्याप्त समय बिताती हैं या कम से कम जो ऐसा सोचती हैं, उन्हें भूमिका संघर्ष का अनुभव होने की संभावना कम होती है। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि जितना अधिक समय वे अपने परिवार के साथ बिताते हैं, घरेलू भूमिकाओं में उनकी भागीदारी और प्रदर्शन उतना ही अधिक होता है। यह ध्यान दिया जा सकता है कि भूमिका संघर्ष की घटनाओं में योगदान देने वाले मुख्य कारकों में से एक अपने परिवार या अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों के लिए पर्याप्त समय और प्रयास समर्पित करने में सक्षम नहीं होना है। इसलिए, परिवार के साथ बिताए गए समय की पर्याप्तता और भूमिका संघर्ष की सीमा के बीच नकारात्मक संबंध का संकेत देने वाला निष्कर्ष काफी अपेक्षित और तार्किक है। इसके अलावा, वर्तमान अध्ययन में पारिवारिक जीवन पर काम या करियर के प्रभाव और भूमिका संघर्ष के साथ इसके संबंध का पता लगाने का प्रयास किया गया है।

तालिका–4 पारिवारिक जीवन पर काम का प्रभाव और भूमिका संघर्ष की सीमा

पारिवारिक जीवन पर काम का प्रभाव	भूमिका संघर्ष की सीमा				काई–स्क्वायर मान
	उच्च	मध्यम	निम्न	कुल	
काम ने पारिवारिक जीवन को प्रभावित किया	139 (56.0)	87 (35.1)	22 (8.9)	248 (100)88.6	40.981*
काम से पारिवारिक जीवन प्रभावित नहीं	9 (28.1)	7 (21.9)	16 (50.0)	32 (100)11.4	
कुल	148 (52.8)	94 (33.6)	38 (13.6)	280 (100)100.0	

0.01 संभाव्यता स्तर पर महत्व इंगित करें

तालिका में प्रस्तुत आंकड़ों से पता चलता है कि कार्यरत महिलाओं के भारी बहुमत (88.6 प्रतिशत) ने पारिवारिक जीवन पर काम के नकारात्मक प्रभाव को स्वीकार किया है। हालाँकि, उनमें से एक छोटा सा हिस्सा (11.4 प्रतिशत) कहता है कि काम का परिवार से कोई लेना–देना नहीं है। इस अर्थ में उन्होंने काम और परिवार को अलग–अलग और स्वतंत्र रूप से सफलतापूर्वक प्रबंधित किया है और उन्हें कभी एक साथ नहीं मिलाया है। इसके अलावा, पारिवारिक जीवन पर काम या करियर के प्रभाव और भूमिका संघर्ष की तीव्रता के आंकड़ों को क्रॉस–सारणीबद्ध किया गया है । तथ्य विश्लेषण बताते है कि उनमें से अधिकांश (56.0 प्रतिशत) घरेलू कर्तव्यों के निर्वहन में उनकी मौजूदा कार्यरत भूमिकाओं से गंभीर रूप से प्रभावित थे। इसके अनुरूप, उत्तरदाताओं में से आधे (50 प्रतिशत) जो कहते हैं कि काम ने उनके पारिवारिक जीवन को प्रभावित नहीं किया है, कम स्तर की भूमिका संघर्ष का अनुभव करते हैं। इसके अलावा, भूमिका संघर्ष तब संभावित माना जाता था जब महिलाएं अपने घर और करियर की भूमिकाओं को अत्यधिक वांछनीय लेकिन परस्पर अनन्य मानती थीं। कार्यस्थल पर बढ़ते दबाव का असर बच्चों और ससुराल वालों की देखभाल और घर के रख–रखाव पर अधिक पड़ेगा। प्रभाव और भूमिका संघर्ष के बीच संबंध की गणना करने का भी प्रयास किया गया है। काई–स्क्वायर 0.01 स्तर पर दोनों के बीच महत्वपूर्ण संबंध का सुझाव देता है। विशेषकर भारतीय समाज के संदर्भ में यह अपेक्षा करना बिल्कुल स्वाभाविक और तार्किक है कि महिलाएं परिवार के प्रति अपनी ज़िम्मेदारी को सबसे अधिक महत्व देंगी। यह माना जाता है कि भूमिका संघर्ष की भावना उनके इस अहसास से उत्पन्न होती है कि वे परिवार से बाहर कार्यरत होने के कारण अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों के निर्वहन में पर्याप्त समय, ध्यान और प्रयास नहीं दे रहे हैं। निष्कर्ष इस धारणा का समर्थन करते प्रतीत होते हैं क्योंकि जिन कार्यरत महिलाओं को लगता है कि उनका काम उनकी पारिवारिक जिम्मेदारियों को प्रभावित नहीं कर रहा है, उन्हें भूमिका संघर्ष के काफी निचले स्तर का अनुभव होता है।

निष्कर्ष :

प्रस्तुत अध्ययन के लिए प्राप्त और विश्लेषण किए गए आंकड़ों से पता चलता है कि आधे से अधिक उत्तरदाताओं में उच्च स्तर की भूमिका संघर्ष का अनुभव पाया गया है। सेवा की अवधि और भूमिका संघर्ष की तीव्रता के संबंध में, यह पाया गया है कि कैरियर की छोटी अवधि वाली कार्यरत महिलाएं उच्च भूमिका संघर्ष के बोझ से दबी

रहती हैं। परिवार के साथ समय बिताने के मामले में, उनमें से अधिकांश का कहना है कि वे अपने परिवार के सदस्यों के साथ जितना समय बिता रहे हैं, उससे खुश नहीं हैं। वर्तमान अध्ययन में महिला कर्मचारियो ने पारिवारिक–जीवन पर काम के नकारात्मक प्रभाव को स्वीकार किया है। इस निष्कर्ष के अनुरूप, यह देखा गया है कि अधिकांश कार्यरत महिलाएं घरेलू कर्तव्यों के निर्वहन में अपनी मौजूदा कार्य भूमिकाओं से गंभीर रूप से प्रभावित थीं।

संदर्भ

अब्दुल, जी और ए रोशन (2010), कॉन्फ्लिक्टिंग वर्ल्ड्स ऑफ वुमेनरू फाइंडिंग्स ऑफ एन एक्सप्लोरेटरी स्टडी, *इंडियन जर्नल ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस,* वॉल्यूम , 46(1).

अहमद, अमीना (2017), कार्य–परिवार संघर्ष, जीवन–चक्र चरण, सामाजिक समर्थन, और महिला कर्मचारियों के बीच मुकाबला करने की रणनीतियाँ, *जर्नल ऑफ़ ह्यूमन रिसोर्स एंड एडल्ट लर्निंग,* वॉल्यूम, 3–1–: पृष्ठ संख्या 70

फ्रोन, एम.आर., जे. के. यार्डली, और के. एस. मार्केल, (1997), प्रकार–परिवार इंटरफ़ेस के एक एकीकृत मॉडल का विकास और परीक्षण, *जर्नल ऑफ वोकेशनल बिहेवियर,* वॉल्यूम, 50, पृसं0 145–167

गॉर्डन, जे.आर., और के.एस. व्हेलन–बेरी, (2015), मध्यम आयु वर्ग की पेशेवर महिलाओं के पतियों द्वारा परिवार और घरेलू गतिविधियों में योगदान, *जर्नल ऑफ़ फ़ैमिली इश्यूज़,* 26, 899–923

ग्रीनहॉस, जे.एच. और एन.जे. ब्यूटेल, (2019), ष्कार्य और पारिवारिक भूमिकाओं के बीच संघर्ष के स्रोत, *प्रबंधन समीक्षा अकादमी,* वॉल्यूम, 10, पृसं0. 76–88.

गुणवती, जे.एस., और एन.पी. सुगन्या, (2017), बीपीओ की विवाहित महिला कर्मचारियों के बीच कार्य जीवन असंतुलन, *इंडियन जर्नल ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट*: 37(1),157–168.

जज, टी.ए., जे.डब्ल्यू. बौड्रेउ और आर.डी., ब्रेट्ज़ (2020), पुरुष अधिकारियों की नौकरी और जीवन दृष्टिकोण

काह्न, आर.एल., डी.एम., वोल्फ, आर. क्विन, जे.डी., स्नोक, और आर.ए. रोसेन्थल, (2018), *संगठनात्मक तनाव,* न्यूयॉर्क विली.

मोएन, पी., और वाई. यू, (2000), प्रभावी कार्य/जीवन रणनीतियाँरू कार्यरत जोड़े, कार्य स्थितियाँ, लिंग और जीवन गुणवत्ता, *सामाजिक समस्याएँ,* 47, 291–326-

नेटमेयर, आर.जी., जे.एस., बोल्स, और मैक आर. मुर्रियन, (1996), कार्य–पारिवारिक संघर्ष और पारिवारिक–कार्य संघर्ष पैमानों का विकास और सत्यापन, *जर्नल ऑफ एप्लाइड साइकोलॉजी,* 81(4), 400–410

रोज़ मैरी वेंटलिंग, (2013), मध्य प्रबंधन में महिलाओं का कैरियर विकास और आकांक्षाएं – पुनरीक्षित, *प्रबंधन समीक्षा में महिलाएं,* वॉल्यूम। 18 अंक: 6, पृ.311–324.

वोयदानॉफ़, पी. (2004), कार्य–से–परिवार संघर्ष और सुविधा के लिए कार्य और सामुदायिक मांगों और संसाधनों के निहितार्थ, *जर्नल ऑफ़ ऑक्यूपेशनल हेल्थ साइकोलॉजी,* 9(4), 275–285

स्किनर, नताली जेन; पोकॉक, ऐन बारबरा (2008), कार्य जीवन और कार्यस्थल संस्कृति ऑस्ट्रेलियाई कार्य और जीवन सूचकांक 2008 AWALI सेंटर फॉर वर्क लाइफ, हॉक रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सस्टेनेबल सोसाइटीज़।

लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण : सामाजिक एवं राजनीतिक विश्लेषण

डॉ0 बैजनाथ पाल'

भूमिका :– भारत एक ऐसा देश है जिसने स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात लोकतांत्रिक शासन को अंगीकार किया। यहां के लोग विभिन्न भाषाओं, विभिन्न संस्कृतियों एवं विभिन्न मूल्यों के बावजूद लोकतंत्र की डोर से एकता के सूत्र में बँधे हुए है। शासन के कार्यों में सभी लोगों की भागीदारी लोकतंत्र का मूल है। शासन सत्ता का केंद्रीकरण होने से सदैव यह भय व्याप्त रहता है कि कहीं तानाशाही की प्रवृत्तियां जन्म ना ले लें और जनमानस के अधिकार व स्वतंत्रताएं शासक वर्ग की इच्छाओं की बंधक न हो जाए। इस प्रकार लोकतांत्रिक सरकार के गठन से तात्पर्य केवल शिखर पर प्रजातंत्र का होना ही नहीं है बल्कि राजनीतिक व्यवस्था के आधार पर भी प्रजातंत्र का विस्तार होना है। वास्तव में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण एक ऐसी अवधारणा है जो जनसत्ता को निचले स्तर तक पहुँचाने का प्रयास करती है। यह प्रक्रिया न केवल प्रशासनिक सुधार को संदर्भित करती है बल्कि सामाजिक न्याय और समावेशन को भी प्रोत्साहित करती है। विकेंद्रीकरण का मूल उद्देश्य यह है कि सत्ता के सभी स्तरों पर जनता की भागीदारी सुनिश्चित की जा सके। भारत जैसे विविधता–भरे देश में, जहाँ विभिन्न भाषाएं, संस्कृतियाँ और धार्मिक परंपराएं विद्यमान हैं, विकेंद्रीकरण एक महत्वपूर्ण कदम है जो इन विविधताओं को राजनीतिक शक्ति के माध्यम से अभिव्यक्ति प्रदान करता है। अतः यहाँ हम लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के विभिन्न पहलुओं का सामाजिक एवं राजनीतिक विश्लेषण करेंगे।

लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की परिभाषा एवं महत्व :– लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का अर्थ है कि निर्णय–निर्माण की प्रक्रिया को केंद्रीकृत सत्ता से निकालकर निचले स्तर पर स्थानांतरित करना। इसका उद्देश्य केवल प्रशासनिक बोझ को हल्का करना नहीं है, बल्कि जनता की समस्याओं का समाधान स्थानीय स्तर पर ही किया जा सके, ताकि उन्हें अधिक से अधिक सुविधा और पारदर्शिता मिल सके। इस प्रक्रिया में स्थानीय संस्थाओं और नागरिकों को निर्णय लेने में शामिल किया जाता है, जिससे उनकी सत्ता में भागीदारी बढ़ती है और उनके अधिकार सुनिश्चित होते हैं। भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण ''पंचायती राज'' के लोकप्रिय नाम से जाना जाता है जिसका उद्देश्य लोगों को प्रतिनिधि सरकार की न्यूनतम स्तर पर भागीदार प्रदान कर वास्तविक लोकतंत्र से साक्षात्कार कराना है। यह आधारभूत प्रजातंत्र की एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें दूर–दराज के गांव में स्थापित प्रशासन की इकाई को क्षेत्रीय एवं केंद्रीय स्तरों पर स्थापित उच्चतर शासन से संपर्क करने का प्रयास किया जाता है। पंचायती राज भारत के लिए कोई नवीन अवधारणा नहीं है, इसके अस्तित्व का वर्णन प्राचीन कालीन ग्रंथों– मनुस्मृति, महाभारत, अर्थशास्त्र, रामायण तथा नीति शास्त्र आदि में मिलता है। वास्तव में

'असिस्टेंट प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान, श्री लाल बहादुर शास्त्री डिग्री कालेज,गोण्डा (उ0प्र0)

वैदिक काल से ही भारत में गांव को प्रशासन की आधारभूत इकाई माना जाता रहा है। ब्रिटिश काल में भी लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण ग्रामीण स्थानीय स्वशासन के रूप में अस्तित्व में रहा है, किंतु लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की अवधारणा को वास्तविक रूप में साकार करने का अवसर स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात ही हुआ। महात्मा गांधी जी की इच्छाओं को साकार रूप देने का प्रयत्न करते हुए संविधान निर्माताओं ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना का स्पष्ट प्रावधान किया है। संविधान निर्माताओं की मंशा के अनूरूप लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की दिशा में पहला सकारात्मक कदम सन 1952 में ''सामुदायिक विकास कार्यक्रम'' के द्वारा आगे बढ़ाया गया, किंतु यह प्रयास अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में सफल नहीं हो सका।

पुनः 1958 में बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश के अनुरूप राजस्थान के नागौर जिले से 2 अक्टूबर 1959 ई. को पंचायती राज संस्था भारत की धरती पर सर्वप्रथम उद्घाटित हुई। तब से लेकर के अब तक पंचायती राज व्यवस्था अनेक उतार–चढ़ाव के दौर से गुजर चुकी है। अशोक मेहता समिति, जी वी के राव समिति, एल एम सिंघवी समिति व दिलीप सिंह भूरिया समिति आदि के सुझावों के परिणाम स्वरुप लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की अवधारणा को पंचायती राज के माध्यम से अधिक व्यावहारिक एवं ठोस आधार प्रदान करने की चेष्टा की गई, परंतु इस दिशा में मनोवांछित सफलता प्राप्त नहीं हो सकी। तत्पश्चात भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को सुदृढ़ करने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम उठाते हुए केंद्र सरकार ने 73वां एवं 74वां संविधान संशोधन विधेयक पारित किया। इन संशोधनों के माध्यम से स्थानीय इकाइयों को और अधिक अधिकार तथा महिलाओं को आरक्षण एवं निश्चित निर्वाचन की व्यवस्था कर पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त संवैधानिक अधिकार प्रदान किया गया।

लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सामाजिक प्रभाव :– लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सामाजिक प्रभाव कई दृष्टिकोणों से महत्वपूर्ण है –

1. **समावेशन और न्याय –** विकेंद्रीकरण सामाजिक न्याय को बढ़ावा देता है। यह सुनिश्चित करता है कि समाज के सभी वर्गों की आवाज सुनी जाए और उन्हें निर्णय–निर्माण की प्रक्रिया में शामिल किया जाए। विशेषकर दलित, आदिवासी, महिला और अन्य पिछड़े वर्गों को इसका विशेष लाभ होता है, क्योंकि विकेंद्रीकरण उनकी भागीदारी को सुनिश्चित करता है।

2.**सामाजिक एकता** – जब स्थानीय समुदायों को निर्णय–निर्माण में शामिल किया जाता है, तो इससे समाज में एकता और सद्भावना की भावना उत्पन्न होती है। यह सामाजिक एकता को प्रोत्साहित करता है और समुदायों के बीच आपसी संबंधों को मजबूत करता है।

3.**समुदाय–आधारित विकास** – विकेंद्रीकरण स्थानीय समुदायों को उनके विकास के लिए स्वयं निर्णय लेने का अधिकार देता है। इससे समुदाय–आधारित विकास को बढ़ावा मिलता है और लोग अपनी आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं के अनुसार विकास योजनाओं को लागू कर सकते हैं।

लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का राजनीतिक प्रभाव – राजनीतिक दृष्टिकोण से, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का प्रभाव अत्यधिक महत्वपूर्ण है जिन्हें निम्नलिखित शीर्षको के अन्तर्गत देखा जा सकता है।

1.**सत्ता का विकेंद्रीकरण** – विकेंद्रीकरण का सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक पहलू यह है कि यह सत्ता को केंद्रीकृत प्रशासन से हटाकर निचले स्तर पर ले जाता है। इससे न केवल राजनीतिक शक्ति का विकेंद्रीकरण होता है, बल्कि यह स्थानीय नेतृत्व को भी प्रोत्साहित करता है।

2.**स्थानीय शासन का सुदृढ़ीकरण**– लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के माध्यम से स्थानीय निकायों का सशक्तीकरण होता है। ग्राम पंचायत, नगर पालिका, और अन्य स्थानीय संस्थाओं को अधिक अधिकार और संसाधन प्रदान किए जाते हैं, जिससे वे अधिक प्रभावी तरीके से कार्य कर सकें।

3.**जवाबदेही और पारदर्शिता** –विकेंद्रीकरण से निर्णय–निर्माण की प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ती है, क्योंकि स्थानीय स्तर पर निर्णय लिए जाते हैं और उनकी जिम्मेदारी सीधे तौर पर उन लोगों पर होती है जो उन निर्णयों का सामना करते हैं। इससे राजनीतिक जवाबदेही बढ़ती है।

4.**राजनीतिक सहभागिता**– विकेंद्रीकरण से राजनीतिक सहभागिता में वृद्धि होती है। जब स्थानीय लोगों को निर्णय–निर्माण में शामिल किया जाता है, तो वे अधिक सक्रिय रूप से राजनीति में भाग लेते हैं, जिससे लोकतंत्र को सुदृढ़ करने में मदद मिलती है।

लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की चुनौतियाँ – हालांकि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के कई लाभ हैं, लेकिन इसके सामने कई चुनौतियाँ भी हैं जो निम्नवत् हैं–

1.**प्रशासनिक बाधाएँ–** अक्सर, केंद्रीकृत प्रशासन और सत्ता संरचनाओं के कारण विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया में बाधाएँ आती हैं। निचले स्तर पर संसाधनों की कमी और सीमित प्रशासनिक क्षमताएँ भी विकेंद्रीकरण के मार्ग में बाधा के रूप में कार्य करती हैं।

2.**राजनीतिक विरोध**– कई बार केंद्रीकृत सत्ता में बैठे लोग विकेंद्रीकरण का विरोध करते हैं, क्योंकि इससे उनकी शक्ति और नियंत्रण में कमी आती है। आगे चलकर यही राजनीतिक अस्थिरता का कारण बनती है।

3.**संस्थागत कमजोरी**– विकेंद्रीकरण के लिए मजबूत और सक्षम स्थानीय संस्थाओं की आवश्यकता होती है। अगर ये संस्थाएँ कमजोर हंच या उनमें भ्रष्टाचार व्याप्त है, तो विकेंद्रीकरण का उद्देश्य पूरा नहीं हो पाता।

4.**सांस्कृतिक और सामाजिक अवरोध**– कई स्थानों पर जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा और लिंग आधारित भेदभाव जैसी सामाजिक समस्याएँ विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया को प्रभावित करती हैं। इन समस्याओं का समाधान किए बिना प्रभावी विकेंद्रीकरण संभव नहीं है। इस सम्बन्ध में विनोबा जी ने कहा था– ष्साम्राज्यवादी चंगुल से इस देश की मुक्ति का संघर्ष तब तक चलता रहेगा, जब तक स्वराज देश के गांव–गांव तक नहीं पहुंचेगा। जन–जन के उद्धार के लिए स्वर्ग से निकली गंगा आज शिव जी की जटाओं में उलझ गई है। उसी प्रकार विकास की गंगा भी देश और प्रदेशों की राजधानियों में अटक गई है। यह गांव–गांव तक तभी पहुंचेगी जब ग्रामीण स्वराज स्थापित होगा और सत्ता गांव वालों के हाथ में आएगी।

निश्चय ही इस दिशा में भारत देश के पंचायती राज संस्थाओं द्वारा अनेक प्रयास किया जा रहे हैं। किन्तु पंचायती राज को उसके अंतिम लक्ष्य तक ले जाने के लिए और सत्ता व शक्ति के विकेंद्रीकरण की पूर्णता के लिए गांव की ग्राम सभाओं को समर्थ, सक्षम और अधिकार संपन्न बनाने के विभिन्न प्रयास किये जाने की आवश्यकता है। अतः प्रदेश और देश की पंचायती राज संस्थाओं का राजनीतिक दृष्टि से महत्व बढ़ता जा रहा है। राजनीतिक दल पंचायत के चुनावों में भी प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से सक्रिय भूमिका निभाते हैं। जबकि नगर निकायों के चुनाव में उनकी प्रत्यक्ष भागीदारी होती है। अब पंचायत को राष्ट्रीय और राज्य स्तर की राजनीति का आधार माना जाने लगा है। राजनीतिक दल और उनके नेता यह महसूस करने लगे हैं कि लोकसभा और विधानसभा निर्वाचनों में सफलता प्राप्त करने के लिए ग्राम पंचायत, पंचायत समितियों और जिला परिषदों पर आधिपत्य किया जाना आवश्यक है। सरपंचों प्रधानों और जिला प्रमुखों के रूप में ग्रामीण नेतृत्व आज विकसित हो रहा है। आने वाले वर्षों में भारतीय राजनीति की कुंजी जिस दल के हाथों में होगी उसे ही ग्रामीण नेतृत्व विकसित करने में सफलता मिलेगी।

यद्यपि भारत में पंचायती शासन का प्रतिरूप प्राचीन काल से ही अंगीकार किया गया है तथा अभी कुछ समय पूर्व पंचायत के अधिकारों एवं शक्तियों को अभाव में एक स्थानीय अभिकरण के रूप में तो कार्य किया परंतु स्थानीय शासन का अभिकरण बनने में सक्षम सिद्ध नहीं हुई। मध्य प्रदेश में विद्यमान पंचायत का वर्तमान स्वरूप इसको ठीक विपरीत है। उत्तर प्रदेश शासन की पंचायती राज के प्रति प्रतिबद्धता ने पंचायत को शक्ति और सत्ता का स्थानांतरण सुनिश्चित किया है जिसके परिणाम स्वरुप पंचायती शासन स्थानीय स्तर की समस्याओं का समाधान स्वयं ही स्थानीय

स्तर पर करने में सक्षम सिद्ध हो रहे हैं। अतः जनसाधारण के हाथों सत्ता एवं प्राधिकार का स्वामित्व स्थानीय शासन की अवधारणा को साकार रूप प्रदान कर रहा है।

लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के सफल उदाहरण :– भारत में कुछ स्थानों पर लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के सफल उदाहरण देखे जा सकते हैं –

1.**केरल का विकेंद्रीकरण मॉडल** – केरल में विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया काफी सफल मानी जाती है। यहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से स्थानीय निकायों को सशक्त किया गया है, जिससे स्थानीय स्तर पर विकास के कई महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं।

2.**कर्नाटक का विकेंद्रीकरण मॉडल** – कर्नाटक में भी पंचायतों को सशक्त करने के लिए कई प्रयास किए गए हैं। यहाँ पर स्थानीय निकायों को वित्तीय स्वायत्तता दी गई है, जिससे वे अपने क्षेत्रों में विकास के कार्य कर सकें।

निष्कर्ष :– लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण समाज और राजनीति दोनों के लिए एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। यह सत्ता के विकेंद्रीकरण, सामाजिक न्याय और स्थानीय विकास को प्रोत्साहित करता है। हालाँकि इसके सामने कई चुनौतियाँ हैं, लेकिन यदि इसे सही ढंग से लागू किया जाए, तो यह लोकतांत्रिक सशक्तिकरण का एक सशक्त माध्यम हो सकता है। भारत जैसे विविधता–भरे देश में, जहाँ सामाजिक और आर्थिक असमानताएँ गहरी हैं, विकेंद्रीकरण एक ऐसी प्रक्रिया हो सकती है जो लोकतंत्र को न केवल मजबूत करती है बल्कि समाज के कमजोर वर्गों को भी सशक्त बनाती है।

इस प्रकार, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण न केवल प्रशासनिक सुधार का एक उपकरण है, बल्कि यह सामाजिक न्याय, राजनीतिक सशक्तिकरण और समुदाय–आधारित विकास के लिए भी आवश्यक है। इसे प्रभावी ढंग से लागू करना समय की मांग है, ताकि समाज के सभी वर्गों को इसका लाभ मिल सके और सच्चे अर्थों में लोकतंत्र की स्थापना हो सके।

सन्दर्भ

- डॉ0 महिपाल–पंचायती राज इन इण्डिया, प्रकाशन विभाग, भारत सरकार 2021
- जी0एस0 नरवानी–पंचायतो की शक्तियाँ, सूर्य प्रकाशन मन्दिर जयपुर।
- आर0पी0 जोशी और अरूण भारद्वाज–भारत में स्थानीय प्रशासन, शील सन्स प्रयागराज –1986।
- महिपाल– पंचायती राज विकास का मुख्य साधन, योजना नईदिल्ली अगस्त –2004।
- प्रतापमल देवपुरा– ग्रामीण विकास का आधार–आत्म निर्भर पंचायतें, राजकमल प्रकाशन–नई दिल्ली–2006
- उमा लवानिया– पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास, अर्जुन पब्लिकेशन नई दिल्ली–2014
- ग्राम पंचायत विकास योजना मार्ग निर्देशिका –2015–16 पंचायती राज विभाग उ0प्र0 लखनऊ।

❖

प्रो0 अक्षय कुमार रमणलाल देसाई का चिंतन : एक विश्लेषण

प्रो0 तेज बहादुर सिंह*
आकांक्षा सिंह **

मार्क्सवादी अधिगम के आधार पर भारतीय समाज का अध्ययन करने वाले समाज वैज्ञानिकों में प्रो0 ए0आर0 देसाई न केवल बम्बई सम्प्रदाय के बल्कि भारतीय समाज वैज्ञानिकों के प्रथम पंक्ति के समाज वैज्ञानिक हैं। इनका प्रारम्भ से ही एक स्वर रहा है कि भारतीय समाज का अध्ययन मर्क्सवादी दृष्टि के आधार पर ही होना चाहिए। इन्होंने विश्व सम्मेलन में भारतीय समाज के लिए मार्क्सवादी अधिगम की उपादेयता शीर्षक से सम्बन्धित अपना शोध पत्र प्रस्तुत किया। भारतीय राष्ट्रवाद की सामाजिक पृष्ठभूमि पुस्तक में 'देसाई ने 1857 से 1939 के स्वतंत्रता आन्दोलन के विविध पक्षों का विश्लेषण' किया है। इस अध्ययन की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन के नेतृत्व वर्ग के वर्ग–चरित्र का विश्लेषण है।

प्रो0 ए0आर0 देसाई का जन्म 1915 में बड़ौदा में हुआ था। इन्होंने कानून की शिक्षा प्राप्त कर बम्बई विश्वविद्यालय में प्रो0 गोविन्द सदा शिव घुरिये के निर्देशन में पी–एच0डी0 उपाधि प्राप्त की। वे इसी विश्वविद्यालय में प्राध्यापक एवं बाद में विभागाध्यक्ष बने। देसाई कुछ समय तक साम्यवादी दल के सदस्य रहे किन्तु पार्टी में कुछ मुद्दों पर मतभेद के कारण 1939 में उन्होंने पार्टी की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया। 1953 में वे 'ट्राटस्कीवादी क्रान्तिकारी समाजवादी दल' की सदस्यता ग्रहण की किन्तु समझौतावादी प्रवृत्ति न होने के कारण 1961 में उन्होंने इस संगठन को भी छोड़ दिया। फिर वे आजीवन मार्क्सवादी विचारधारा के प्रति पूर्णतः प्रतिबद्ध रहे।

1964 में ग्रामीण समाजशास्त्र पर फ्रांस में आयोजित विश्व सम्मेलन में प्रो0 देसाई ने देश का प्रतिनिधित्व किया। 1971 में सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम के अन्तर्गत ससेक्स में आयोजित जनसंख्या एवं गरीबी विषय पर व्याख्यान हेतु आमंत्रित किया गया।

इसी भांति कोलम्बिया विश्वविद्यालय तथा अमेरिका के अन्य विश्वविद्यालयों में आयोजित संगोष्ठियों में व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया गया। प्रो0 देसाई भारतीय समाजशास्त्र परिषद के संस्थापक सदस्य रहे। 1978–80 सत्र में इस संस्था के अध्यक्ष रहे। 1951 में यूनेस्को की कार्ययोजना में भारत में समूह तनाव के निदेशक रहे। वे इसी संस्था के मुम्बई के औद्योगिक श्रमिकों की साक्षरता एवं उत्पादन सम्बन्धी कार्य योजना के मानद निदेशक भी रहे। प्रो0 देसाई इण्डियन काउन्सिल आफ सोशल साइंस रिसर्च के राष्ट्रीय शोधार्थी भी रहे।

***प्रोफेसर, समाजशास्त्र विभाग, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी।**

****शोध छात्रा, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर।**

प्रो0 देसाई की प्रथम कृति 'Social Background of Indian Nationalism' न केवल मार्क्सवादी दृष्टि से बल्कि नवीन प्रवृत्ति की दृष्टि से एक अप्रतिम ग्रंथ है। बाद में इन्होंने भारतीय राज्य, कृषक समाज व्यवस्था, प्रजातंत्रात्मक अधिकार, नगरीकरण, कृषक आन्दोलन आदि पर लिखा। 1994 में इनका देहावसान हो गया इनकी महत्वपूर्ण कृतियां इस प्रकार हैं–

1. Social Background of Indian Nationalism (1946);
2. Recent Trends in Indian Nationalism (1960);
3. Rural Sociology in India (ed. 1969);
4. Slums and Urbanization (1970);
5. Peasant Struggle in India (ed. 1979);
6. India's path of Development (1984);
7. Agrarian Struggles in India after Indepedence (1986).

भारतीय राष्ट्रवाद की सामाजिक पृष्ठभूमि नामक अपनी प्रथम पुस्तक में प्रो0 देसाई ने मार्क्सवादी प्रारूप के आधार पर 1857 से 1939 की समयावधि के दौरान राष्ट्रीय आन्दोलन का विश्लेषण ऐतिहासिक संदर्भ में किया है। 1857 से 1939 की समयावधि में औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था ने किस प्रकार अन्तर्विरोधों से आक्रान्त भारत की सामाजिक व्यवस्था, भारतीय राष्ट्रवाद तथा ब्रिटिश शासनतंत्र को प्रभावित किया है। साथ ही भारतीय राष्ट्रवाद के विकास, सामाजिक शक्तियों, सामाजिक तथा धार्मिक सुधार आन्दोलनों की भूमिका का भी मूल्यांकन किया है।

कालक्रम से आंतरिक एवं बाह्य शक्तियों के प्रभाव स्वरूप विभिन्न देशों में राष्ट्रवाद के उदय के ऐतिहासिक कारण परिपक्व होते दृष्टित हुए। भारतीय राष्ट्रवाद अर्वाचीन तथ्य हैं। ब्रिटिश शासन एवं विश्व शक्तियों के कारण एवं भारतीय समाज में उत्पन्न एवं विकसित अनेक भावनिष्ठ एवं वस्तुनिष्ठ कारकों की क्रिया–प्रतिक्रिया के परिणामस्वरूप ब्रिटिश काल में भारतीय राष्ट्रवाद का आविर्भाव हुआ। भारत में राष्ट्रीयता के विकास की प्रक्रिया बड़ी जटिल एवं बहुअंगी है। उसके अनेक कारण है। अंग्रेजों के आगमन से पूर्व भारत की सामाजिक संरचना अपने आप में अद्वितीय थी। यहाँ की अर्थव्यवस्था का आधार यूरोपीय देशों के मध्ययुगीन प्राक् पूँजीवादी समाजों से भिन्न था। भारतीय समाज विभिन्न भाषाओं, विभिन्न धर्मों एवं बहुत बड़ी आबादी वाला विविधताओं से युक्त बड़ा देश है। आबादी का लगभग दो तिहाई भाग हिन्दू है एवं यह हिन्दू समाज विभिन्न जातियों उपजातियों में विभाजित है। भारतीय राष्ट्रवाद के विकास की पृष्ठभूमि की यह खासियत है कि विशेषतः हिन्दू समाज एवं सामान्यतः समस्त भारतीय समाज खण्डित एवं विभाजित रहा है। किसी भी अन्य देश में राष्ट्रवाद का उदय ऐसी नितान्त शक्तिशाली परम्पराओं एवं संस्थाओं के संदर्भ में नहीं हुआ। संसार के किसी भी अन्य देश की अपेक्षा भारत में भूतकालीन सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक संरचना की आत्म–रक्षात्मक इच्छाशक्ति अधिक प्रबल रही है। राष्ट्रीयता का आन्दोलन मानव समाज के बहुत बड़े अंग का आन्दोलन है एवं दिन–प्रतिदिन अधिक गतिशील तथा गत्यात्मक होता जा रहा है।

भारतीय राष्ट्रवाद का एक अन्य रोचक तथ्य यह है कि इसका आविर्भाव राजनीतिक पराधीनता के दिनों में हुआ। अंग्रेजी शासकों ने अपने स्वयं के हितों के लिए समाज के आर्थिक ढांचे का आमूल परिवर्तन किया, केन्द्रीभूत राज्य व्यवस्था की स्थापना की, आधुनिक शिक्षा पद्धति की नींव डाली, आवागमन के नवीन साधनों एवं अन्य ऐसी संस्थाओं का

निर्माण किया। इसके परिणामस्वरूप नवीन सामाजिक वर्गों का अभ्युदय हुआ एवं अपने आप में अद्वितीय नवीन सामाजिक शक्तियों का उन्मोचन संभव हो सका। ये नवीन सामाजिक तत्व अपनी अपरिहार्य प्रकृति के कारण ब्रिटिश साम्राज्य से टकराए एवं भारतीय राष्ट्रवाद के विकास की आधारशिला ही नहीं, उसके लिए प्रेरणा स्रोत भी सिद्ध हुए। इस प्रकार भारतीय राष्ट्रवाद जटिल एवं विशिष्ट सामाजिक परिस्थितियों में जन्म लेकर वर्तमान स्वरूप तक पहुँचा।

आत्मनिर्भर गाँव

अंग्रेजों के यहाँ आने से पहले भारतीय अर्थव्यवस्था का मूल सत्य आदिम हल एवं बैल से खेती तथा साधारण औजार की मदद से दस्तकारी पर टिका आत्मनिर्भर गाँव था। गांव सदियों से भारतीय जीवन की मूल इकाई थे। न्यूनाधिक परिशोधनों को आत्मसात करते ये गांव अनेक राजनीतिक हलचलों, धार्मिक उथल–पुथल एवं विनाशकारी युद्धों के परिणामस्वरूप भी इनकी प्रकृति में बदलाव लगभग नगण्य रहा। राजकुल लुढ़कते रहे, क्रान्तियाँ होती रहीं, हिन्दू, पठान, मुगल, मराठा, सिक्ख, अंग्रेज क्रमशः मालिक बने, लेकिन ग्राम समुदाय पूर्ववत बने रहे। गाँव के उत्पादन के सम्बन्ध में शेलबंकर ने ठीक कहा है कि :

''यह कहना कदाचित सही नहीं कि व्यक्तियों के बीच परस्पर संबंध थे। आवश्यकता पड़ने पर किसान कारीगरों के यहाँ अपनी स्वयं की हैसियत में जाते थे लेकिन जो भुगतान होता था वह अलग–अलग काम के हिसाब से नहीं जोड़ा जाता था, एवं न प्रत्येक गृहस्थ से अलग–अलग मिलता था। भुगतान सारे गांव का सामूहिक दायित्व था तथा प्रत्येक कारीगर को समस्त समुदाय की तरफ से गाँव की भूमि का कुछ अंश स्थाई तौर पर जोतने–काटने के लिए मिला रहता था या फसल करने पर उस राशि की निश्चित मात्रा दे दी जाती थी। कई स्थानों पर दोनों तरह की व्यवस्थायें लागू थीं। इस प्रकार गाँव का कारीगर स्वतंत्र उत्पादक न होकर समुदाय द्वारा नियुक्त जनसेवक जैसा था।'' (शेल बंकर : 1940 : 25)

प्रोफेसर गाडगिल ने कहा, ''गाँवों का पृथकत्व स्वतः उल्लेखनीय नहीं है, तथा न यही कोई विशिष्ट तथ्य है कि भी कारीगर गाँवों में रहते थे। अधिकांश गाँवों की विशिष्टता यह थी कि लगभग सारे कारीगर गांव के सेवक होते थे।'' (गाडगिल : 1933 : 10)। गाँवों की मुख्य सामाजिक संस्थाएँ, अपनी समष्टि में व्यक्तिवादी न होकर समुदायवादी थी। मूल सामाजिक इकाई व्यक्ति न होकर परिवार था। परिवार ही समाज के समस्त सदस्यों के पारस्परिक सम्बन्धों को व्यवस्थापित करता था, तथा विभिन्न परिवारों के आन्तरिक सम्बन्धों पर ग्राम समुदाय एवं जाति व्यवस्था का नियंत्रण था। व्यक्ति पर परिवार, जाति एवं ग्राम समुदाय का वैचारिक नियंत्रण था तथा उसे इनके द्वारा स्थापित आदर्शों को मानकर चलना पड़ता था। समूह द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर ही आत्मसंकल्प भी संभव था। आर्थिक एवं प्रशासनिक संगठन पर नियंत्रण रखने का राज्य का हक था, फिर भी इस हक का इस्तेमाल कम ही था, परन्तु जातीय एवं पारिवारिक प्रश्नों से राज्य का कोई सीधा सरोकार नहीं था। लोगों के जातीय एवं पारिवारिक प्रश्नों से राज्य का कोई सीधा सरोकार नहीं था। लोगों के जातीय एवं पारिवारिक सम्बन्ध हिन्दू धर्म एवं परम्परागत नियमों पर आधारित थे। (ब्युकैनन : 1914 : 15)

यायातायात के आधुनिक साधन एवं भारतीय राष्ट्रवाद का उदय

भारत में रेलवे एवं मोटर बसों के आगमन एवं प्रसार से भारतीय जनता के समेकन में काफी सहायता मिली। आवागमन के आधुनिक साधनों के निर्माण के लिए आधुनिक उद्योगों का विकास अपरिहार्य है। भारतीय समाज में अधिकांश आबादी गाँवों में रहती थी एवं आत्मनिर्भर था। दुर्बल अर्थव्यवस्था के कारण आवागमन के साधनों की अक्षमता बनी रही और इन साधनों की दुर्बलता ने अर्थव्यवस्था के विकास को अवरूद्ध किया। इस प्रकार की स्थितियों के कारण ग्रामीण जाति चेतना का ही विकास हो, राष्ट्रीय चेतना तथा दृष्टि विकसित नहीं हो सकी। 19वीं सदी के पूर्वार्द्ध में उद्योगों की आवश्यकताओं

के कारण ईस्ट इण्डिया कम्पनी की सरकार को भारत में रेलवे एवं सड़कों का निर्माण करना पड़ा। लार्ड डलहौजी ने भारत में रेलवे के निर्माण का व्यापक कार्यक्रम प्रारम्भ किया। रेलवे निर्माण का कार्यक्रम शुरू करने पर भारत सरकार को पूंजी की जरूरत होती थी। ब्रिटेन में एकत्र पूँजी के अतिरेक का भारतीय सरकार को कर्ज के रूप में दिया जा सका और इस तरह उसका विकास संभव हुआ। इन आर्थिक कारणों के अतिरिक्त भारत में रेलवे के स्थापना के राजनीतिक प्रशासन एवं सामरिक राजनीतिक कारणभीथे।

अंग्रेजों के आने से पूर्व भारत की सरकारें लगान वसूली एजेन्सी पर निर्भर थी। अंग्रेजी सरकार ने गाँवों के अन्तर्जीवन पर आघात किया, उनके न्यायिक एवं पुलिस स्वातंत्र्य को समाप्त किया उनकी जगह सम्पूर्ण देश को एक विधिव्यवस्था प्रदान की तथा उसके कार्यान्वयन के लिए गांवों में अपने प्रतिनिधि भेजे। वस्तुतः उन्होंने पहले के स्वशासित गाँवों से वे सारे कार्य छीन लिए जो राज्य द्वारा संचालित होते थे। इस तरह अंग्रेजों ने भारत में एक विशाल प्रशासनिक मंत्र की स्थापना की। इसके लिए रेलवे की स्थापना और उसका विकास, आधुनिक सड़कों का निर्माण तथा डाक एवं तारघर की स्थापना अनिवार्य थी। गाँवों, शहरों, जिलों और प्रान्तों को एक राजनीतिक, प्रशासनिक व्यवस्था के रूप में संगठित करने की आवश्यकता से रेलवे निर्माण को काफी प्रोत्साहन मिला। रेलवे और आधुनिक सड़कों ने कृषि के क्षेत्र में तो क्रान्ति ही ला दी है। इनके चलते कृषि के उत्पादों की बिक्री संभव हो सकी। भारत का कृषि तंत्र राष्ट्रीय एवं विश्व के अर्थतंत्र का अंगभूत अंश बना। अकाल के दिनों में तो रेलवे वरादन ही सिद्ध हुआ। देश के दूसरे भागों की फसल दुर्भिक्ष इलाकों में तेजी से लाया जा सका और इस तरह तरह सम्बन्धित इलाके के लोगों की तकलीफों को दूर किया जा सका।

आवागमन के आधुनिक साधनों ने सामाजिक स्तर पर भारतीय जनता को एकबद्ध किया। रेल का इंजन बहुत दूर तक गया और इस तरह इसने विभिन्न हिस्सों में रहने वाले लोगों के बीच की दूरी को समाप्त किया। मोटर बसें तो बाद में आईं लेकिन उन्होंने भी गाँवों के पृथकत्व को समाप्त करने में बड़ी भूमिका अदा की। जैसे हजारों की तादाद में चूहे प्लेग फैलाते हैं, वैसे ही हजारों की तादाद में बसें, हरदम मुसाफिरों से ठासठस भरी हुई, उन्हें गांव से शहर और फिर वापस गाँव ले जाती हुई, आधुनिकता रूपी बीमारी के कीट चारों तरफ फैलाती रहती हैं। रेलवे एवं बसों के कारण देश के एक भाग से दूसरे भाग में लोगों का प्रवसन संभव हुआ। नौकरी की खोज में या अपने भविष्य की बढ़ोत्तरी के लिए लोग बस या रेल द्वारा चेन्नई से मुम्बई या लाहौर से कोलकाता गये। शिक्षित लोग, डाक्टर, शिक्षक, किरानी इन लोगों ने रोजगार के लिए अपने प्रान्त छोड़े और मुम्बई जैसे शहरों में नौकरी–पेशा एवं व्यावसायिक वर्ग में देश के हर प्रान्त के लोग मौजूद हैं।

यात्रा की व्यापक सुविधाओं के कारण लोगों का जो सम्मिश्रण संभव हुआ, उसके बड़े गहरे नतीजे निकले। कुछ दिनों तक पुराने एवं स्थानीय प्रान्तीय दृष्टिकोण बने रहे लेकिन उनके विनाश की प्रक्रिया शुरू हो गयी। पुराने संकीर्ण विचार एवं दृष्टिकोण मृतप्राय होते गए। इसके परिणामस्वरूप व्यापक राष्ट्रीय चेतना एवं राष्ट्रीय आधार पर सहयोग का रास्ता प्रशस्त हुआ। भोजन पान, शारीरिक संबंध व्यवहार और ऐसी ही अन्य बातों के विषय में जो रूढ़िवादी या सामाजिक आदतें थीं उनको समाप्त करने में रेलवे ने बहुत बड़ा योगदान दिया। रेलवे के निष्पक्ष रूप से, केवल भाड़ा चुकाने के आधार पर, हिन्दू, 'छूत–अछूत' सबको एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाया। कुलीन लोगों की पहले तो यह बात अच्छी नहीं लगी, लेकिन शीघ्र ही उन्होंने अछूतों के साथ यात्रा की बात से समझौता कर लिया। क्योंकि रेलगाड़ी की यात्रा करने के जो लाभ थे उनसे वे वंचित नहीं रहना चाहते थे। इस तरह रेलवे ने सनातनी हिन्दुओं की कट्टर रूढ़िवादिता और भोजन पान, छूत–अछूत संबंधी उनकी पाप शंका को कालक्रम से समाप्त किया। रेलवे के कारण लोगों का आवागमन बढ़ा और वे आपस में मिलने–जुलने लगे। लगातार मिलने जुलने और सामाजिक आदान–प्रदान से

सामाजिक पृथकता के पुराने भाव भी धीरे–धीरे तिरोहित होने लगे।

रेलवे, मोटर, बस एवं आवागमन के आधुनिक साधनों के बिना राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक एवं सांस्कृतिक जीवन असंभव होता। अगर ये साधन भारत में अंग्रेजी शासन सुदृढ़ एवं सुरक्षित करने के माध्यम बने तो साथ ही उन्होंने इस शासन के विरूद्ध भारतीय जनता के राजनीतिक, आन्दोलन को संगठित करने का भी कार्य किया। विभिन्न शहरों, गाँवों, जिलों, प्रान्तों के लोगों को रेलवे के द्वारा आपस में मिलने का, विचारों के आदान–प्रदान का और आन्दोलन के लिए कार्यक्रम निश्चित करने का मौका मिला। इसके बिना राष्ट्रीय आन्दोलन की कल्पना ही नहीं की जा सकती थी। रेलवे एवं बसों के द्वारा लोगों के बीच प्रगतिशील, सामाजिक और वैज्ञानिक एवं प्रगतिशील साहित्य (किताबें और पत्र–पत्रिकायें) सम्पूर्ण देश में तेजी से वितरित नहीं हो पाती।

आधुनिक शिक्षा एवं भारतीय राष्ट्रवाद

अंग्रेजों से आने के पूर्व भारत का आर्थिक एवं वैज्ञानिक विकास बहुत कम हुआ था। विश्व के अनेक देश जब सभ्य जीवन के पथ पर अग्रसर हुए उसके सदियों पूर्व भारतीयों ने गणित, रसायन, एवं औषधि विज्ञान में पथ–प्रदर्शक का कार्य किया। लेकिन संभवतः इसीलिए भारतीय समाज लगभग उसी पुराने आर्थिक और सांस्कृतिक स्तर पर बहुत दिनों तक स्थिर रहा तथा भारतीय जनजीवन का समुचित विकास नहीं हो सका। भारतीयों ने इस लम्बे अन्तराल में उपनिषद के आदर्शवादी दर्शन के अनेकानेक भाष्य प्रस्तुत किए। लेकिन प्रकृति विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में इनकी देन कुछ विशेष नहीं रही। ट्रैवीलियन ने ठीक कहा है कि ''समय आ गया है जब यूरोप एशिया की सभ्यता के पुराने ऋण का भुगतान करे। विज्ञान जो पूरब देशों में जन्मा और पश्चिम के देशों में सयाना हुआ, अब सारी दुनिया पर छा जाने वाला है।''

अंग्रेजों के आने के पूर्व की भारतीय संस्कृति के बारे में दो गलत धारणायें प्रचलित थीं। अंध देशभक्त एवं अति राष्ट्रीयवादी आर्य समाज ने भारत के अतीत को आदर्श रूप में प्रस्तुत किया। आर्य समाज कहता है कि आर्यों ने सम्पूर्ण सामाजिक, वैज्ञानिक, आध्यात्मिक ज्ञान बहुत पहले प्राप्त कर लिया था, और वह ज्ञान चिरंजीवी वेदों में सदा के लिए एकत्र है।

भारत में राष्ट्रवाद का प्रस्फुटन स्वतंत्रता आन्दोलन के रूप में हुआ। यद्यपि एक संगठित आन्दोलन के रूप में भारतीय राष्ट्रवाद का सूत्रपात 19वीं शताब्दी के मध्य में हुआ किन्तु वास्तविक राष्ट्रीय चेतना 19वीं शताब्दी के तीसरे दशक में इंग्लैण्ड में शिक्षा प्राप्त किये हुए प्रगतिशील विचारों वाले नवीन पीढ़ी के बुद्धिजीवियों ने ब्रह्म समाज नामक संस्था की स्थापना के साथ हुई। इस संगठन ने देश के प्रबुद्ध वर्ग को बहुत प्रभावित किया था। ब्रह्म समाज का आन्दोलन एक सांस्कृतिक एवं धार्मिक आन्दोलन था। लेकिन उसे उदयीमान राष्ट्रीय जागरण की धार्मिक अभिव्यक्ति कहा जाता है (देसाई, 1966 : 308)। ब्रह्म समाज के अतिरिक्त ब्रिटिश इण्डिया सोसाइटी जैसे संगठनों ने भी भारत में राष्ट्रीय चेतना को राजनीतिक अभिव्यक्ति देने में योगदान दिया। राष्ट्रीयता की भावना बढ़ाने में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम ने ऐतिहासिक भूमिका अदा की। यद्यपि 1857 का स्वतंत्रता संग्राम सुनियोजित आधार पर एक संगठित राष्ट्रीय संघर्ष नहीं बन का, लेकिन उसने विभिन्न भारतीय समूहों को एक होकर विदेशी शासन के सामने एक नमूना रख दिया। सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात तो यह थी कि 1857 के गदर में ब्रिटिश शासन के विरूद्ध हिन्दू एवं मुसलमानों की एकता की सम्भावना ने पहली बार साकार रूप धारण किया। भारत राष्ट्रीय स्वतंत्रता आन्दोलन की सबसे पहली अभिव्यक्ति 19वीं शताब्दी के अंत में प्राप्त हुई जब 1885 में राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म हुआ। कांग्रेस के जन्म के बाद तो भारत में राष्ट्रीय शक्तियों का निरन्तर प्रसार होता गया।

भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन के सभी अध्येताओं ने उसे ऐतिहासिक विकासक्रम में रखकर देखने की कोशिश की है। इन अध्येताओं के अनुसार भारतीय राष्ट्रवाद अनेक दौरों से गुजरा। प्रो0 देसाई ने राष्ट्रीय आन्दोलन को पाँच दौरों में विभाजित किया है (देसाई : 1966 : 434), जो इस प्रकार हैं :–

1. **<u>प्रथम दौर (1857–1885)</u>**

प्रो0 देसाई ने भारतीय राष्ट्रवाद के प्रथम दौर के प्रारम्भ को 19वीं शताब्दी में माना है। इनकी दृष्टि में यह दौर 1857 से प्रारम्भ होकर 1885 में समाप्त हुआ। इस समयावधि में विभिन्न धार्मिक सुधार आन्दोलनों से लेकर सामाजिक सुधार आन्दोलन तथा सभी प्रकार के राष्ट्रीय जागृति उत्पन्न करने का प्रयास तथा ऐतिहासिक घटनायें समाहित हो जाती हैं। इसके माध्यम से भारत में जनतंत्र और तर्कसंगतता के नवीन सिद्धान्त का विकास हुआ और इसके माध्यम से भारतीय समाज के कुछ मुखरवर्गों में राष्ट्रीयता को अभिव्यक्ति मिली। इस संदर्भ में राजाराम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना, स्वामी दयानन्द सरस्वती द्वारा आध्यात्मिकता के माध्यम से भारतीयों का उत्थान तथा स्वतंत्रता के लिए प्रेरित करना, रामकृष्ण मिशन तथा थियोसोफिकल सोसाइटी आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं।

2. **<u>द्वितीय दौर (1885–1905)</u>**

द्वितीय दौर का प्रारम्भ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जन्म के साथ हुआ और यह 1885 से लेकर 1905 तक, करीब 20 वर्षों तक चलता रहा। इस दूसरे दौर में जहाँ पहली बार कांग्रेस के ंगठन के रूप में राष्ट्रीय जागरण के संगठित प्रयासों की विधिवत शुरुआत हुई वहीं दूसरी ओर राष्ट्रीय आकांक्षाओं को अभिव्यक्ति देने का उदारवादी बुद्धिजीवियों के नेतृत्व में राष्ट्रीयता का प्रसार शिक्षित मध्यम वर्ग में हुआ एवं कुछ मात्रा में व्यापारी वर्ग तथा नवीन औद्योगिक वर्ग भी इस आन्दोलन की ओर आकृष्ट हुआ। तात्पर्य यह है कि आन्दोलन के दूसरे दौर में भारतीय राष्ट्रवाद की विधिवत नींव पड़ी और धीरे–धीरे समाज के प्रभावशाली एवं नवीन समूहों में इसका प्रसार होने लगा। भारतीय राष्ट्रवाद के दूसरे दौर में दो प्रकार के राष्ट्रवादियों का उदय हुआ। एक का नेतृत्व उदार राष्ट्रवादियों अथवा नरमपंथी बुद्धिजीवियों के हाथ में था, जिनके नेता दादा भाई नौरोजी, सुरेन्द्र नाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोजशाह मेहता, लाल मोहन घोष, रानाडे और ह्यूम तथावेडरवर्न जैसे अग्रेज थे। ये सभी उच्च मध्यम वर्ग से आये थे और वकील, डाक्टर, अध्यापक, पत्रकार जैसे संभ्रान्त वर्ग से संबंधित थे। ये लोग प्रगतिशील भारत के प्रतिनिधि थे। भारतीय राष्ट्रवाद के प्रथम पंक्ति के इन नेताओं ने प्रेस की स्वतंत्रता जैसे प्रजातांत्रिक अधिकारों का समर्थन किया, मांग की कि देश के प्रशासन में देश के लोगों का ही हाथ रहे। दूसरे को उग्रवादी राष्ट्रवादी कहा गया जिसके प्रमुख नेता बाल गंगाधर तिलक, अरविन्द घोष, विपिन चन्द्र पाल तथा लाला लाजपतराय थे। इस दूसरे दौर में जनसाधारण स्वतंत्रता संग्राम की परिधि के बाहर थे। किसान और मजदूर वर्ग संगठित नहीं था। यह आन्दोलन का उदारवादी दौर था।

3. **<u>तृतीय दौर (1906–1918)</u>**

आन्दोलन का तीसरा दौर बीसवीं शताब्दी के प्रथम दो दशकों से संबंधित है। इस दौर में आन्दोलन का नेतृत्व उदार पंथी बुद्धिजीवियों के हाथ से निकलकर उग्रवादी नेताओं के हाथ में आ गया। लोकमान्य तिलक, अरविन्द घोष, लाला लाजपतराय जैसे नेता सामने आये। इस कालावधि में बेरोजगारी बढ़ रही थी। 19वीं शताब्दी के अन्तिम दौर में भयंकर महामारी तथा अकाल ने भारतीय जनता को पीड़ित कर दिया था। इसी समयावधि में लार्ड कर्जन ने भारतीयों की भावनाओं की उपेक्षा करते हुए बंगाल विभाजन जैसे जनविरोधी कार्य कर डाले। इन बदली हुई परिस्थितियों में कांग्रेस ने एक जुझारू लहर को जन्म दिया। इस समय ऐसे नेतृत्व का उदय हुआ जो किसी भी कीमत पर भारत पर ब्रिटिश आधिपत्य को और अधिक सहन नहीं करना चाहता था। यह सशस्त्र आन्दोलन का पक्षपाती था। इसलिए इस चरण को

सैनिक राष्ट्रवाद, गरमपंथ या उग्रवाद कहा जाता है। उग्र राष्ट्रवादियों के अनुसार उदारपंथियों का यह दृष्टिकोण सही नहीं था कि भारत को स्वतंत्रता अंग्रेज शासकों के सहयोग से प्राप्त हो सकती है। उनका कहना था कि स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए स्वअर्जित शक्ति पर निर्भर रहना होगा। फलस्वरूप तीसरे दौर में राष्ट्रीय आन्दोलन का सामाजिक आधार और भी अधिक विस्तृत हुआ और भारतीय समाज के निम्न मध्यम वर्ग प्रभावकारी रूप से अपनी तरफ आकृष्ट करने में सफलता प्राप्त की। इस अवधि में प्रथम महायुद्ध के समय छेड़े गये होमरूल आन्दोलन ने भारतीय जनता की राजनैतिक चेतना को और भी पैना बना दिया।

वास्तव में इस उग्रवादी दौर में तीन धाराएँ उग्रवाद, आतंकवाद तथा भारतीयों का विदेशों में भारतीय स्वतंत्रता के लिए उग्रवादिता साथ–साथ प्रवाहित हुई। उग्रवादियों के प्रमुख तत्त्वों में तीव्र राजनीतिक संघर्ष, औपनिवेशिक शासन में अविश्वास पूर्ण स्वतंत्रता तथा समग्र कार्यवाही प्रमुख थे। इन उग्रवादियों की रणनीति आतंकवादी थी। इनका प्रमुख उद्देश्य था कि लोगों को विश्वास दिलाया जाय कि ब्रिटिश शासन न तो सर्वशक्तिमान है और न ही जनहित में है। वे जनता को विश्वास दिलाना चाहते थे कि यदि जनक्रान्ति होगी तो ब्रिटिश शासन ताश के महल की तरह ढह जायेगा। अपने इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उन्होंने सविनय अवज्ञा आन्दोलन, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, सरकार से सभी प्रकार के संबंधों को तोड़ना एवं सरकारी नौकरियों का परित्याग जैसे आन्दोलनों को चलाया। रचनात्मक कार्यक्रमों के अन्तर्गत इन्होंने शिक्षण संस्थाओं की स्थापना, स्वदेशी को अपनाना एवं आपसी झगड़ों को ब्रिटिश अदालत के बजाय पंचों से निपटाना आदि को सम्मिलित किया।

आतंकवादी धारा के प्रमुख नेता शिक्षित मध्यम वर्ग से सम्बन्धित थे। इनकी कोई स्पष्ट सामाजिक–आर्थिक नीति नहीं थी। इन्होंने आयरलैण्ड के आतंकवादियों एवं रूसी क्रान्तिकारियों के तरीकों का अनुसरण किया। यद्यपि वे जानते थे कि अपनी आतंकवादी गतिविधियों द्वारा वे भारत को आजाद नहीं करा सकेंगे किन्तु उका विश्वास या कि वे जनता में विश्वास भरने तथा शासकों के हृदय में भय पैदा करने में सफल अवश्य होंगे। इसीलिए उन्होंने आग्नेयास्त्रों को अपना साधन बनाया तथा राजनीतिक डकैतियों एवं हत्याओं का सिलसिला जारी किया। इस आतंकवादी धारा की प्रमुख कमजोरियों में नेतृत्व का अभाव एवं आपसी ताल–मेल का अभाव प्रमुख था। इनके सभी कार्य गोपनीय होते थे, इसीलिए जन सहयोग के अभाव में ये सफल नहीं हो सके। फिर इस आतंकवादी धारा ने स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक नवीन अध्याय का सृजन किया।

उग्रवादी चरण की तीसरी धारा प्रवासी भारतीयों की थी जिनके क्रान्तिकारी प्रयास सीमा के बाहर किये गये। सर्वप्रथम 1905 में श्याम जी वर्मा के नेतृत्व में इण्डियन होमरूल सोसाइटी की स्थापना हुई जिसके तहत 'इण्डियन सोशियोलाजिस्ट' नामक पत्रिका का प्रकाशन प्रारम्भ हुआ। उन्होंने ब्रिटिश विश्वविद्यालयों में अध्ययनरत् छात्रों के लिए 'इण्डिया हाउस' नाम के छात्रावास की स्थापना की। यह छात्रवास प्रभावी भारतीयों का केन्द्र बन गया। इस संगठन के अन्य प्रमुख नेता वीर सावरकर, वीरेन्द्रनाथ चट्टोपाध्याय, एस0 राव भाई राणा, वी0वी0एस0 अय्यर आदि थे। ब्रिटिश पुलिस दमन चक्र के कारण अधिकांश नेताओं को लंदन छोड़ना पड़ा और पेरिस में दूसरा केन्द्र स्थापित हुआ। मैडम कामा, राणा और हरदयाल आदि ने रूसी जनवादियों और अन्य यूरोपीय देशों के क्रान्तिकारियों से भी सम्पर्क स्थापित किए। इण्डियन सोसियोलाजिस्ट को पेरिस से प्रकाशित किया गया। मैडम कामा और राणा ने वन्देमातरम् पत्रिका का संपादन प्रारम्भ किया परन्तु प्रथम विश्व युद्ध प्रारम्भ होते ही पेरिस केन्द्र भी बंद करना पड़ा। मैडम कामा और राणा को नजरबंद कर दिया गया। पत्रिका का प्रकाशन भी बंद हो गया। श्याम जी कृष्ण वर्मा स्विटजरलैण्ड और चट्टोपाध्याय बर्लिन प्रवास कर गये। इसके अतिरिक्त कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका में भी भारतीयों ने क्रान्तिकारी गतिविधियां तेज कर दी थी। 1911 में गदर नामक अखबार निकलना प्रारम्भ हुआ। गदर पार्टी की शाखायें अमेरिका, जापान,

फिलीपीन्स, इण्डोनेशिया, मलाया, चीन और प्रशान्त महासागर के विभिन्न देशों में गठित की गयी।

स्वतंत्रता संग्राम के इस चरण में एक नये जनाधार का उदय हुआ जिसमें निम्न वर्ग के लोग छात्र एवं युवक शामिल हुए, मजदूर वर्ग की राजनीतिक गतिविधियों एवं चेतना में वृद्धि, राष्ट्रवादी उद्योगपति भी शामिल हुए। इस प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर आन्दोलन का विस्तार हुआ तथा जनता में आत्म निवास और राष्ट्रवादी चेतना में वृद्धि हुई। स्वतंत्रता आन्दोलन का यह दौर एक सीमित दायरे तक ही रहा। इस आन्दोलन में सामान्य जन की सहभागिता नहीं थी तथा यह संकीर्ण पूँजीवादी परिधि तक ही सीमित रहा फिर भी इस उग्रवादी दौर में आन्दोलन को गति मिली। आन्दोलन का यह दौर उग्रवादी था।

4. चतुर्थ दौर (1919–1934)

आन्दोलन का यह दौर बीसवीं शताब्दी के दूसरे दशक के अन्त से तीसरे दशक के मध्य तक चला। इस दौर के आन्दोलन के प्रसार के संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण घटना थी, 1930 से 1934 तक चलने वाला सविनय अवज्ञा आन्दोलन। प्रो0 देसाई के अनुसार चौथे दौर के आन्दोलन की विशेषता यह थी कि इसमें आन्दोलन का प्रसार आम जनता तक हो गया अब वह केवल उच्च व मध्यम वर्गों तक सीमित नहीं रहा। वह ऊपरी वर्गों से उतरकर आम लोगों तक फैल गया। इसी समय गांधी जी का आन्दोलन में प्रवेश हुआ। राष्ट्रीय आन्दोलन में प्रवेश करते ही गांधी जी ने 1919 में रौलेक्ट बिल के विरूद्ध सत्याग्रह का प्रयोग किया और दमनकारी कानून की अवज्ञा करने के लिए देश भर में सत्याग्रह सभाएं शुरू कीं। उन्होंने देश में आम हड़ताल का भी आहवान किया, सरकार ने भी दमनकारी रुख अपनाया और हड़ताल के दौरान दिल्ली की एक भीड़ पर पुलिस फायरिंग से बहुत सारी जानें भी गयीं। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग की घटना घटी और जनरल डायर के आदेश से पुलिस फायरिंग में एक हजार लोगों की जानें गयीं और कई हजार लोग घायल हुए। सितम्बर 1920 में कलकत्ता में कांग्रेस अधिवेशन में असहयोग आन्दोलन का प्रस्ताव स्वीकार किया गया। यहीं से प्रथम असहयोग आन्दोलन का प्रारम्भ हुआ। अब आन्दोलन का लक्ष्य शान्तिपूर्ण और वैधानिक तरीके से स्वराज की स्थापना था।

यद्यपि प्रो0 देसाई ने इस दौर की व्याख्या करते समय महात्मा गांधी के नेतृत्व को अपेक्षाकृत कम महत्व दिया है किन्तु गांधी जी का नेतृत्व साधारण प्रकार का नेतृत्व नहीं था। इसी दौर में ही आन्दोलन को महात्मा गांधी का चमत्कारिक नेतृत्व प्राप्त हुआ। भारतीय राजनीतिक मंच पर महात्मा गांधी का आविर्भाव एक असाधारण घटना थी। एक चमत्कारिक नेता के जितने गुण सम्भव हो सकते हैं वे सब उनमें मौजूद थे और उन्होंने पहली बार राष्ट्रीय आन्दोलन को भारत की ग्रामीण जनता से जोड़ा। उन्होंने उसे भारतीय संस्कृति के लोकपक्ष से सम्बद्ध किया। यह उन्हीं के नेतृत्व का चमत्कार था कि राष्ट्रीय आन्दोलन न केवल शहरी और पढ़े–लिखे उच्च–मध्यम वर्ग तक ही सीमित रहा बल्कि यह गाँवों तक पहुँच गया।

असहयोग आन्दोलन को विफल बनाने के लिए कांग्रेस और खिलाफत के स्वयंसेवकों को अवैध करार दे दिया गया। जन सभाओं तथा जुलूसों पर पाबंदी लगा दी गयी। गांधी जी को छोड़ लगभग सभी नेताओं को जेल में बंद कर दिया गया। इसी समयावधि में अहमदाबाद के कांग्रेस अधिवेशन में नागरिक अवज्ञा को स्वीकृति दी गयी। गांधी जी के पत्र के माध्यम से वायसराय को चुनौती दी गयी कि यदि राजनेताओं को जेल से रिहा नहीं किया जाता और अहिंसक राजनीतिक कार्यक्रमों पर पाबंदी नहीं हटाई जाती तो नागरिक अवज्ञा आन्दोलन का प्रारम्भ कर दिया जायेगा। इस निमित्त गांधी जी ने गुजरात के वारडोली जनपद का चयन किया गया। इसी बीच उत्तर प्रदेश के चौरीचौरा नामक स्थान पर पुलिस कार्यवाही के प्रतिरोध में नागरिकों ने थाने में आग लगा दी जिसमें 22 सिपाहियों की मौत हो गयी।

गांधी जी ने नगरिक अवज्ञा आन्दोलन वापस लेने का निर्णय लिया। इस निर्णय से लाला लाजपतराय तथा मोती लाल नेहरू सहमत नहीं थे। इस दौरान गांधी जी ने छुआछूत तथा महिलाओं के पिछड़ेपन के विरूद्ध जनता का ध्यान आकर्षित किया और चरखे तथा खादी का प्रचार किया।

सविनय अवज्ञा आन्दोलन की वापसी के बाद के पांच वर्षों तक स्वतंत्रता आन्दोलन की गति धीमी रही। चितरंजन दास मुंसी और मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस में रहते हुए पूँजी के शोषण से श्रम की रक्षा, डेमेनियन स्टेट की प्राप्ति, पूँजीवादी एवं जमींदारों की रक्षा तथा विभिन्न वर्गों के मध्य तादात्म्य स्थापित करने के उ्देश्य से स्वराज पार्टी की स्थापना की। राजनीतिक निराशा के हस वातावरण में 1905 में स्थापित मुस्लिम लीग और 1917 में स्थापित हिन्दू महासभा भी सक्रिय हो उठी। 1924—25 तथा 1926 में अनेक स्थानों पर हिन्दू मुस्लिम दंगे भड़क उठे। 1923 में एस0ए0 डांगे ने पहला समाजवादी अखबार निकाला। 1925 में प्रसिद्ध कानपुर षडयंत्र केस चला जिसमें डांगे सहित तीन अन्य कर्मचारियों को चार वर्ष की कठोर सजा सुनायी गयी। फिर भी समाजवादी चिन्तन में उफान बढ़ता ही गया और 1925 में सभी समाजवादी दलों ने मिलकर भारत की कम्युनिष्ट पार्टी की स्थापना की।

1927 में एक शाही कमीशन साइमन के नेतृत्व में सरकार ने गठित किया जिसके समक्ष भारत में संसदीय प्रजातंत्र के विस्तार का लक्ष्य रखा गया। इस कमीशन के सभी सदस्य अंग्रेज थे, इसलिए इस कमीशन के बहिष्कार का निर्ण्य लिया गया। इसी वर्ष कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को लक्ष्य के रूप में रखा गया। दिसम्बर 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने इस लक्ष्य को पूर्णतः आत्मसात कर लिया। 31 दिसम्बर को रात्रि 12 बजे नवीन वर्ष के प्रारम्भ में रावी नदी के तट पर एक बड़े जनसमूह के सामने राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। इस वर्ष की अन्य महत्वपूर्ण गतिविधियों में भगत सिंह आदि द्वारा स्थापित भूमिगत संगठन और इण्डियन रिपब्लिकन एसोसिएशन की क्रान्तिकारी भूमिका रही। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त असेम्बली में बम विस्फोट कर चुके थे।

30 जनवरी 1930 को प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाया गया। इसी वर्ष अप्रैल में गांधी जी ने दूसरे असहयोग आन्दोलन की घोषणा की। लगभग एक लाख लोग जेल गये। 12 मार्च 1930 को गांधी जी से 61 वर्ष की आयु में साबरमती आश्रम से डांडी मार्च प्रारम्भ किया और 200 मील पैदल चलकर समुद्र तट पर डांडी पहुँचकर नमक कानून तोड़कर पूरा किया। सम्पूर्ण देश में आन्दोलन का उन्माद छा गया। पेशावर, चटगांव और रोलापुर में सशस्त्र बलवे हुए। नवम्बर 1930 में पहली राउण्ड टेबल कान्फ्रेंस हुई जिसमें गांधी जी मौजूद नहीं थे। 1931 में प्रसिद्ध गाँधी इरविन समझौता हुआ। जनवरी 1932 से 1933 के दौरान तीन असहयोग एवं सत्याग्रह आन्दोलन छेड़ा गया। इसी दौरान साम्प्रदायिक अवार्ड के विरूद्ध 26 सितम्बर 1932 को आमरण अनशन घोषित किया गया जिसके परिणामस्वरूप प्रसिद्ध पूना पैक्ट हुआ। इसी बीच 1931 में दूसरी गोलमेज कान्फ्रेंस और नवम्बर 1932 तीसरी गोलमेज कान्फ्रेंस हुई किन्तु नतीजा कुछ नहीं निकला।

स्वतंत्रता आन्दोलन के इतिहास के इस दशक का पूर्वार्द्ध आतंकवादी गतिविधियों से भरा रहा है। 7 अक्टूबर 1930 को भगत सिंह सुखदेव एवं राजगुरु को फांसी सजा सुनाने के बाद अंग्रेज समझने लगे कि आतंकवादी गतिविधियां समाप्त हो जायेंगी। फरवरी 1931 में चन्द्रशेखर आजाद के शहीद हो जाने के बाद अग्रेजों की यह आशा और बलवती हो गयी। परन्तु यह उनकी भूल थी। कलकत्ता विश्वविद्यालय के वार्षिक दीक्षान्त समारोह में बंगाल के गवर्नर सर स्टैनले जैक्सन पर कालेज की छात्रा बीनादास ने गोली चलाई किन्तु वे बच गये। जून 1932 में सूर्यसेन तथा उनकी महिला सहयोगी प्रीतिलता वाडेकर तथा कल्पनादत्त गुरिल्ला युद्ध चलाते रहे। 1933 में सूर्यसेन पकड़े गये और उन्हें ढाका में फांसी दे दी गयी।

5. पंचम दौर (1934–1939)

1939 में समाप्त होने वाले सविनय अवज्ञा आन्दोलन के बाद की अवधि को प्रो0 देसाई पांचवा दौर कहा है। उन्होंने इस दौर को केवल चार पांच वर्षों तक सीमित किया है। इस अवधि में कांग्रेस के अंदर अन्य समाजवादी तथा प्रतिशील शक्तियों का उदय हुआ जो गांधी जी के संघर्षात्मक तरीके को अपर्याप्त समझते थे। 1937 में प्रान्तीय विधान मण्डलों के चुनाव में कांग्रेस को भारी विजय प्राप्त हुई। 1938 एवं 1939 में गांधी जी एवं उनके समर्थकों के विरोध के बावजूद सुभाषचन्द्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गये। 1939 में दूसरा विश्वयुद्ध प्रारम्भ हो गया। गांधी जी के विरोध के कारण सुभाषचन्द्र बोस ने कांग्रेस से त्यागपत्र देकर फारवर्ड ब्लाक की स्थापना की। भारत से बातचीत किए बिना ही ब्रिटिश सरकार ने भारत को युद्ध क्षेत्र घोषित कर दिया। इसका तीव्र विरोध किया गया और द्वितीय विश्वयुद्ध को देखते हुए भावी रणनीति तय की गयी। इसी दौर में मजदूरों वं किसानों के संगठन विकसित हुए। लोगों में समाजवादी चेतना फैली और राजनैतिक चेतना को गहरी जड़ें जमाने का और भी अवसर प्राप्त हुआ।

प्रो0 देसाई ने पांचवे दौर को 1934 से 1939 तक की अवधि तक सीमित किया है। उन्होंने 1939 के बाद के वर्षों की आन्दोलन की गतिविधियों को अपने अध्ययन में सम्मिलित नहीं किया है। यदि उन्होंने बाद के वर्षों की अवधि के राष्ट्रीय आन्दोलन का विश्लेषण किया होता तो उसके लिए अवश्य ही छठे दौर का उल्लेख करना आवश्यक होता। यह छठा दौर राष्ट्रीय स्वतंत्रता आन्दोलन का आखिरी और निर्णायक दौर था। आन्दोलन के इस दौर को दो महत्वपूर्ण घटनाओं के लिए याद किया जाता है। इसमें एक या 1940 से 1941 का व्यक्तिगत सत्याग्रह आन्दोलन और दूसरा 1942 का भारत छोड़ो आन्दोलन व्यक्तिगत सत्याग्रह आन्दोलन ने उतना दूरगामी प्रभाव उत्पन्न नहीं किया किन्तु भारत छोड़ो आन्दोलन पूर्ववर्ती सभी आन्दोलनों से इतना भिन्न एवं प्रभावशाली था कि उसको एक प्रकार से आन्दोलन का विशिष्ट दौर कहा जा सकता है। भारत छोड़ो आन्दोलन ने स्वतंत्रता के राष्ट्रीय लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भारत की आम जनता ने अपनी संघर्षशीलता का अभूतपूर्व परिचय दिया। राष्ट्रीय आन्दोलन में आम जनता की राजनीतिक सहभागिता जितनी 1942 में देखने में आयी उतनी कभी नहीं देखी गयी। 1942 के आन्दोलन का वेग इतना प्रबल था कि ब्रिटिश शासक भी इस निष्कर्ष पर पहुँच गये अब भारत में बना रहना सम्भव नहीं है। इस प्रकार राष्ट्रीय आन्दोलन के इस आखिरी दौर में भारत की आम जनता और भारतीय समाज के अन्य समूह तथा वर्ग इस तरह जुड़े गये जेसा किसी अन्य दौर में नहीं जुड़े थे।

उपर्युक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि जिस प्रकार रूस तथा चीन जैसे देशों में साम्यवादी आन्दोलन की प्रमुख भूमिका रही है उसी प्रकार भारतीय समाज में भी परिवर्तन लाने में राष्ट्रवाद की प्रमुख भूमिका रही है। ज्ञातव्य है कि किस प्रकार की राष्ट्रवाद की प्रमुख भूमिका रही है। ज्ञातव्य है कि किस प्रकार का राष्ट्रवाद के प्रसार के साथ ही जनतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद जैसी प्रमुख विचारधाराओं का प्रवेश भारत में हुआ। राष्ट्रीय चेतना के विकास ने भारतीय समाज के विभिन्न समूहों को एक सूत्र में गूंथा। धार्मिक, जातिगत, वर्गगत, भाषागत, क्षेत्रगत आदि अनेक उन गहरी सामाजिक विभिन्नताओं से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद ने जनता को सम्बद्ध रूप से संगठित किया जो उसके अभाव में बिखरी पड़ी थी।

संदर्भ

1. Adhikari, G; Pakistan and National Unity (1944)

2. Aiyangar, S.K.; Ancient India and the South Indian History and Culture (19841)

3. Brijnarayan, India in the Crisis (1935).

4. Desai, A.R.; Social Background of Indian Nationalism (1948)

5. Gadgil, D.R.; The Industrial Evolution of India in recent Times (1933)

6. व्युकैनन डी0एच0, दि डेवलपमेंट आफ कैपिटलिस्ट इण्टरप्राइज इन इण्डिया (1914)

7. रोल वेकर, के0एस0, प्राब्लम आफ इण्डिया (1940)।

8. ट्रैवीलियन, सी0ई0, दि एजुकेशन आफ दि पीपुल आफ इण्डिया (1938)

9. विंटरनिट्ज, जे0 नेशनलिटीज इन यूरोप (1945)

❖

इजराइल–फिलीस्तीन विवाद : एक समीक्षात्मक अध्ययन

डॉ0 अनुराग तिवारी’

इजराइल और फिलीस्तीन के बीच संघर्ष की जड़े प्राचीन काल से जुड़ी है। यह समस्या प्रारम्भ में ऐतिहासिक थी, फिर धार्मिक हुई और अब इस समस्या ने राजनीतिक स्वरूप धारण कर लिया है। इस समस्या की जड़ को यहूदियों के उद्भव के साथ ही खोजना प्रासंगिक होगा। यहूदी धर्म 4000 से ज्यादा सालों से चली आ रही ऐतिहासिक निरन्तरता का दावा करता है। यहूदी धर्म की जड़े कांस्य युग के दौरान मध्य पूर्व में एक संरचित धर्म के रूप में है। यहूदी धर्म को सबसे पुराने एकेश्वर वादी धर्मों में एक एक माना जाता है।[1]

यहूदी धर्म का उदय और विकास प्राचीन लेवेंट या प्राचीन कनान क्षेत्र में हुआ है जिसमें वर्तमान इजाराइल, फिलीस्तीन, लेबनान और सीरिया के हिस्से शामिल थे। ये साझा वंश, साझा मिथक, अनुसंधान और इतिहास की भावना से एकजुट थे। प्राचीन इजरालियों का विश्वास था कि वे तीन लोगों के वंशज थे। अब्राहम, उनके बेटे इसहाक और उनके पोते जैकब। बाइबल में जैकब का नाम बदलकल इजराइल रखा गया है जो प्रमाणित है है कि इजराइलियों के पास अपने इतिहास के हिस्से के रूप में नाम परिवर्तन की साझा स्मृति थी।[2]

आगे चलकर ये कनानी सभ्यता दो हिस्सों में बट गयी यह शांतिपूर्ण विभाजन 1200 ईसा पूर्व के आसपास हुआ इसमें कोई मारकाट या हिंसा नहीं हुई। कनानी धर्म बहुदेववाद पर आधारित था, धीरे–धीरे उनमें से ही एक समूह उभरा जो बहुदेववाद को यहवेवाद में आस्था रख विकसित हुआ। यहवेवाद एक एकेश्वरवाद था जिसने सिर्फ एक देवता जिन्हें ”यहवे” कहा गया कि पूजा पर जोर दिया और इसे मानने वालों को यहूदी कहा जाने लगा।[3]

हिब्रू बाइबिल की दूसरी पुस्तक के अनुसार प्राचीन काल में सूखा पड़ा और इजराइली भोजन की तालाश में मिश्र चले गए अपनी कम संख्या के कारण उनको वहां गुलाम बना लिया गया। पैगम्बर मूसा की मदद से ईजराइली पुनः कानन के क्षेत्र में लौट आए। राजा डेविड और राजा सोलोमन (1010–931) के समय को प्राचीन इजराइल के र्स्वण युग के रूप में देखा जाता है। राजा डेविड ने इजराइल के केन्द्र में येरूशेलम शहर की नीव डाली जबकि राजा सोलेमन का सम्बन्ध 957 ईसा पूर्व में पहले महान मंदिर के निर्माण से है। प्राचीन इजराइली समाज 12 जनजातियों में विभक्त था जिसमें से 10 जनजातियां क्षेत्र के उत्तर में और 2 जनजातियां दक्षिण में थी। 722 ईसा पूर्व में उत्तरी इजराइल की 10 जनजातियों पर प्राचीन असीरियन साम्राज्य ने विजय प्राप्त कर ली थी और केवल दक्षिणी जनजातियां यहूदियों के छोटे से राज्य में स्वशासित राजनीतिक इकाई के रूप में बची रहीं।[4]

587 ⁄ 586 ईसा पूर्व में बेबीलोनियों ने यहूदियों के दूसरे हिस्से यहोदा पर आक्रमण कर यरूशलम की दीवारों को तोड़ दिया और शहर पर अधिकार कर यहूदियों को खदेड़ दिया यद्यपि यहूदी अल्पसंख्यक के रूप में बने रहे परन्तु उनके अधिकार सीमित कर दिए गए। बहुत से निर्वासित यहूदी यूरोप के विभिन्न हिस्सों में फैल गए। 539 ईसा पूर्व फारस के साइरस ने बेबीलोनियो को पराजित किया तो उन्होंने यहूदियों को ‘येरूशेलम’ और ‘यहूदा’ की भूमि पर लौटने की अनुमति दे दी। 70 ईसवी में रोमन सम्राट साइकस ने यरूशलम पर भीषण हमला किया और यहूदियों का भयंकर नरसंहार किया और उनके पवित्र मंदिरों को तोडफोड कर नेस्तानाबूत कर दिया। इस तरह से यहूदियों को फिर एक बार उनके होमलैण्ड से खदेड़ दिया गया और वहां से वह भागकर दुनिया से अलग–अलग हिस्से में माइग्रेट कर गए।[5]

इसी दौर में यरूशलम की जमीन पर जहाँ अलअक्सा मस्जिद स्थित है वहाँ ईसा महीस का जन्म होता है। ईसा ने खुद को ईश्वर को बेटा कहा और कई यहूदी उनके शिष्य बनने लगे और यहीं से ईसाई धर्म की नीव पड़ती है।

’प्रवक्ता, राजनीतिशास्त्र, – – –

यहूदियों पर आरोप लगाया जाता है कि उन्होंने रोमन गर्वनर पिलातुस से शिकायत करके ईसा को सलीब पर चढ़वा दिया जिससे ईसाई यहूदी धर्म के शत्रु बन गए। इन दो धर्मो की लड़ाई के बीच में इस्लाम धर्म के प्रवेश की कहानी भी बहुत रोचक है। रोमनों को लगता था कि यहूदी और ईसाई दोनों एक ही है और वो दोनों का दुश्मन बना रहा जबकि यहूदी और ईसाई दोनों एक दूसरे से लड़ रहे थे। त्रिकोणीय संघर्ष चलता रहे और लाशों के अंबार लगते रहे। रोमन सम्राट कास्टैटिन द ग्रेट के ईसाई धर्म अपना लेने के कारण अब रोमन और ईसाई एक हो गए और यहूदी अकेले पड़ गये और उनकी स्थिति बहुत खराब हो गई।[6]

570 ईसवी में यहूदी डायसपोरा की करीब 500 वर्ष पूरे हो चुके थे। डायसपोरा (यहूदियो का यूरोप, अफ्रीका, अरब और एशिया में पलायन)। इसी साल मक्का में हजरत मोहम्मद का जन्म होता है। ईसवी 622 में वो मक्का से मदीना गए जिसके इस्लाम में हिजरी कहा जाता है। महीनों में उसे समय यहूदी बहुत संख्या में थे। यहाँ इस्लाम और यहूदी में संधि हुई कि मक्का से होने वाले हमलों का दोनों मिलकर मुकबला करेंगे। यहाँ भी यहूदियों पर पैगम्बर मोहम्मद के साथ धोखे का आरोप लगा और इस्लाम और यहूदी शत्रुता का आरम्भ हुआ। अब यूरोप से अरब के मैदान में दो नहीं तीन धर्म एक दूसरे से वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे थे। स्पेन से निकाले जाने के बाद यहूदी फिर इजराइल लौटते है और अपनी बस्ती बनाना शुरू करते हैं। 12वी सदी मामूलक पीरियड और उस्मानिया साम्राज्य के दौरान यहूदियों पर बहुत सी पाबंदियां लगाई जाती है लेकिन विवशतावश उन्हें सब सहन करना पड़ता है। अब यहूदियों का सब्र जवाब देने लगता है और यहूदियों में राष्ट्रवाद की कल्पना जन्म लेती है। रूस, पोलैण्ड यहाँ तक कि फ्रांस में भी यहूदी सुरक्षित नहीं रह पाये और उनके हृदय में एक सुरक्षित मातृभूमि की भावना जन्म लेती है।[7]

इजराइल फिलीस्तीन संघर्ष के वर्तमान रूप को 19 सदीं के उत्तरार्द्ध में खोजा जा सकता है जब आटोमन साम्राज्य के अधिकार में आने वाले फिलीस्तीन में यहूदी लोगों के लिए मातृभूमि स्थापित करने के मांग उठी।[8] प्रथम विश्वयुद्ध में ब्रिटेन ने आटोमन साम्राज्य को पराजित कर दिया था और इस हिस्से पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था। 1917 में ब्रिटेन विदेशमंत्री सर आर्थर बेलफोर एक डिक्लेरेशन जारी किया और यह इंगित किया कि ब्रिटेन यहूदियों को उनकी पवित्र भूमि फिलीस्तीन देगा और वहां उनका पुर्नवास करायेगा। बेलफोर डेक्लेरेशन के कारण दुनिया के विभिन्न हिस्सों से यहूदी फिलीस्तीन आने लगे और ज्यादा जमीने खरीद–खरीद बसने लगे।[9] इस समय यहां यहूदी और मुसलमान दोनों ही रहते थे। द्वितीय विश्वयुद्ध में भी यहूदियों को व्यापक अत्याचार का सामना करना पड़ा। लाखों यहूदियों को गैस चैम्बर में डालकर मार दिया गया। यूरोप में रह रहे यहूदियों को महसूस हुआ कि फिलीस्तीन के अतिरिक्त कोई और जगह नहीं वहां वे सुरक्षित रह सके।

द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ अस्तित्व में आता है। इस समय तक यहूदी और अरब लोगों का मतभेद बहुत बढ़ चुका था। अतः ब्रिटेन इस मसले को संयुक्त राष्ट्र संघ भेज देता है और वहां वोटिंग के द्वारा तय होता है कि जहाँ यहूदियों की संख्या ज्यादा है उन्हें इजराइल दिया जायेगा और जहां पर अरब बहुसंख्यक है उन्हें फिलीस्तीन दिया जायेगा। तीसरा था यरूशलम इसे लेकर काफी मतभेद थे यहां आधी आबादी यहूदी थी और आधी आबादी मुस्लिम। संयुक्त राष्ट्र संघ ने कहा कि इस पर अंतराष्ट्रीय नियंत्रण लागू होगा।[10]

यू.एन. के इस फैसले के फौरन बाद ही नवनिर्मित इजराइल पर पड़ोसी देशों (इजिप्ट, सीरिया, इराक और जार्डन) ने उस पर हमला बोल दिया। इस लड़ाई में इजराइल ने इन चारों को हरा दिया और लड़ाई के बाद जार्डन के पास फिलीस्तीन के पूरे बेस्ट बैंक का नियंत्रण आ गया। गाजा पट्टी इजिप्ट के अधिकार में आ गया वही थोड़ी बहुत जगह फिलीस्तीन की बची थी, उस पर इजराइल ने कब्जा कर लिया। इस युद्ध में लगभग 7 लाख अरबों को अपना देश छोड़ना पड़ा और इजराइल का फिलीस्तीन के 50 प्रतिशत हिस्से पर अधिकार हो गया। 1967 के युद्ध में इजराइल ने सीरिया से गोलन हाइट, इजिप्ट से गाजा पट्टी और जार्डन से वेस्ट बैंक छीन लिया। इसी कड़ी में फिलीस्तीन लिबरेशन आर्गेनाइजेशन अस्तित्व में आता है जिसका नेतृत्व यासिर अराफात के हाथ में था आगे चलकर 1993 में दोनों देशों में ओसलों एकार्ड समझौता होता है जिसमें फिलीस्तीन इजराइल को एक अंतराष्ट्रीय देश स्वीकार करता है और इजराइल पी.एल.ओ. को फिलीस्तीन लोगों का प्रतिनिधित्व मानते हुए वेस्ट बैंक और गाजा पटटी को लोकतांत्रिक ढंग से नियंत्रित करने की बात स्वीकारता है। ये समझौता 5 वर्षों के लिए हुआ था लेकिन वर्ष 2000 से स्थिति गड़बड़ हो जाती है। फिलीस्तीन में 2006 में विधायी चुनाव में हमास की जीत के साथ तनाव में और वृद्धि हो जाती है। इजराइल और हमास के बीच बार–बार गंभीर झड़पे होती रहती हैं। आपरेशन कास्टलीड (2008–09), आपरेशन पिलर आफ डिफेस (2012) और आपरेशन प्रोटेक्टिव एज (2014) जैसे संघर्षों के परिणामस्वरूप दोनों पक्षों को भारी क्षति उठानी पड़ती है। हमास अपनी आतंकी क्रियाओं से लगातार इजराइल के सम्मुख परेशानी खड़ी करता रहता है जिसको प्रत्युत्तर इजराइल कड़ी जवाबी कार्यवाही करके देता है। अल अक्सा मस्जिद, शेख जर्राह, वेस्ट बैंक, गाजा पट्टी, गोलन हाइटस विवाद के मुख्य बिन्दु हैं और ये सब इजराइल के अधिकार क्षेत्र में है।[11]

संदर्भ

1. https://Fscj.pressbooks.Pub
2. https://jewishstudies.washington.edu
3. अनंतदृष्टि में श्री नागेश मणि त्रिपाठी का लेख.
4. यहूदी धर्म, यहूदी इतिहास और यहूदी विरोधी पूर्वाग्रह पर प्रोफेसर मिका अहुविया का लेख.
5. अनंत दृष्टि में श्री नागेश मणि त्रिपाठी का लेख.
6. भारतवर्ष में सुधीर कुमार पाण्डेय का लेख, 13 मई, 2021.
7. वही.
8. फिलीस्तीन सुलह आयोग, चौथी प्रगति रिर्पोट, A/922, 22 सितम्बर,1949.
9. www.AmarUjala.com
10. www.AmarUjala.com
11. www.driistiias.com

❖

पंचायती राज में महिलाओं की राजनीतिक, प्रशासनिक भूमिका : एक अवलोकन

रिंकी'
प्रोफेसर डी0 आर0 यादव''

भारत में महिलाओं की स्थिति समय–समय पर परिवर्तित होती रही है। प्राचीन काल में नारियों को समाज में उच्चस्तर प्राप्त था। उन्हें सुख समृद्धि शक्ति वैभव और ज्ञान का प्रतीक माना जाता था इसलिए दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती के रूप में उनकी पूजा का विधान रहा है। मनुस्मृति के अनुसार **"यत्र नार्यस्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्रः देवताः यतैत्षु न पूजयन्ते सर्वास्त्रफलाः क्रिया।** "अर्थात जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते है जहाँ उनकी पूजा नहीं होती वहाँ सारे कार्य निष्फल होते हैं" किसी भी समाज का स्वरूप वहाँ की नारी की स्थिति पर निर्भर करता हैं यदि उनकी स्थिति सुदृढ़ एवं सम्मानजनक है तो समाज भी सुदृढ़ एवं मजबूत होगा। यदि महिलाओं की स्थिति को भारतीय सन्दर्भ में देखें तो हम पाते है कि प्राचीनकाल में समाज में उनकी स्थिति काफी अच्छी थी सभी सामाजिक, धार्मिक क्रियाकलापों में उनकी सहभागिता थी। धीरे–धीरे उनकी स्थिति में ह्रास हुआ और आज स्थिति यह है कि हम महिला की बात करते हैं। भारतीय राजनीति की प्रशासनिक इकाई नगर पंचायतों एवं ग्राम पंचायतों में भी महिलाओं की भूमिका का विस्तार हुआ है। 73 वे संविधान संशोधन द्वारा 33 % आरक्षण पंचायतों में महिलाओं को दिया गया है। आज अनेक गाँवो में महिला सरपंच के रूप में महिलायें गाँवों के विकास में सर्वंगीण समस्याओं को सुलाझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

भारत में महिला सशक्तिकरण संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के आर्टिकल 55 में कहा गया है कि Universal respect for and observance of human right and fundamental freedam for all without distinetion as to race, six language or religion. इसी वैश्विक भावना के साथ स्वतन्त्रता के बाद भारत के संविधान में स्त्री–पुरूष समानता (अनुच्छेद–14) की चर्चा की गयी है। देश व प्रदेश की राजनीति में महिलाओं की भागेदारी सिर्फ 03 % है। लोकसभा में सिर्फ 11 % महिलाएँ हैं जबकि राज्यसभा में 16 % से अधिक। नवम्बर–दिसम्बर 2015 में उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायत चुनाव हुए। जब पंचायत चुनावों में 73 वं संवैधानिक संशोधन 1993 द्वारा महिलाओं को 33 % आरक्षण दिया गया, वो इसकी मूल आत्मा इस उम्मीद पर केन्द्रित थी कि एक तो सत्ता का विस्तार महिलाओं तक होगा और दूसरा इसके जरिये लोकतंत्र में महिलाओं की सहभागिता बढ़ेगी। लेकिन अभी तक जो देखा जा रहा है उसमें लगता है कि ग्रामीण क्षेत्र के शक्तिमान और अभिजात्य लोंगो के सत्ता विस्तार की इस प्रक्रिया को भी अपने कब्जे में कर लिया। नेपोलियन वोनापार्ट ने नारी की महत्ता को बताते हुए कहा था कि मुझे एक योग्य माता दे दो, मै तुमको एक योग्य राष्ट्र दूँगा।

'शोधार्थिनी, राजनीति विज्ञान
''अध्यक्ष, राजनीति विज्ञान विभाग, गायत्री विद्यापीठ पी0 जी0 कालेज रिसिया, बहराइच,उ0 प्र0

सर्वप्रथम 1792 ई0 में मेरी वोस्टन क्राफ्ट की पुस्तक 'ए विडिकेसन आफ द रजिस्टर से महिला मुद्दों के प्रति चेतना आन्दोलनकारियों द्वारा बढ़ावा मिला। 1885 में नैरोबी में सम्पन्न अर्न्तराष्ट्रीय महिला पंचायती राजव्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अन्तर्गत शक्ति का विकेन्द्रीकरण किया जाता है तथा सत्ता तथा प्रशासनिक शक्तियों को विभिन्न क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। शक्ति का विकेन्द्रीकरण किया जाता है। ताकि विकास योजनाओं को राष्ट्र के प्रत्येक क्षेत्र में क्रियान्वित किया जा सके। पंचायती राजव्यवस्था 73 वें संविधान संशोधन 73rd Amendment Act के द्वारा बनायी गयी है। स्थानीय स्तर पर शासन के रूप में एक विभाजन होता है।

पंचायती राजव्यवस्था पृष्ठभूमि :

भारत में स्थानीय स्वशासन आजादी से पहले भी बहस का विषय रहा है। जहाँ गाँधी, गाँव के लिए प्रजातन्त्र राज और द्वितीयक महत्व का सिद्धान्त चाहते थे, वही नेहरू और अम्बेडकर एक मजबूत केन्द्र के पक्षधर थे। मतभेदों के कारण DPSP के तहत इसके गठन के समय संविधान में केवल पंचायती राज का उल्लेख किया गया था। हालांकि कई विचार–विमर्श और बिलो के बाद अन्ततः 1992 में 73 वें और 74 वें संशोधन अधिनियमों के माध्यम से, पंचायती राज और शहरी शासन को क्रमशः संवैधानिक दर्जा दिया गया।

पंचायती राज्यव्यवस्था– भारत में पहली पंचायती राजव्यवस्था राज्य द्वारा 1959 में, नागौर जिले में और उसके बाद आन्ध्र प्रदेश द्वारा स्थापित की गयी थी। तत्पश्चात अधिकांश राज्यों द्वारा इस प्रणाली को अपनाया गया। स्थानीय एवं शासन के बारे में मुख्य चिन्ता इसकी बनावट, शक्ति के विकास की मात्रा वित्त आदि थे। इसके लिए एक विधि तैयार करने के लिए सम्बन्धित केन्द्रीय सरकारों द्वारा कई समितियों का गठन किया गया था।

पंचायती राज में सम्बन्धित महत्वपूर्ण समितियाँ :

1.बलवन्त राय मेहता समिति–1957

2.अशोक मेहता समिति–1977

3.जी0 वी0 के0 राव समिति–1985

4.एल0 एम0 सिंघवी समिति–1986

5.भुंगोन समिति

6.गाडगिल समिति

कई समितियों के बाद, राजीव गांधी सरकार ने 64 वां संवैधानिक संशोधन बिल पेश किया लेकिन इसे राज्यसभा में इस आधार पर अस्वीकार किया गया कि संघीय व्यवस्था में केन्द्रीयकरण को मजबूत करने की मांग की थी। हालांकि नरसिम्हा राव सरकार ने सभी विवादास्पद पहलुओं को हटाने के लिए विधेयक को संशोधित किया और विधेयक पेश किया। इसलिए 73 वें और 74 वें संशोधन अधिनियम दोनों को संवैधानिक दर्जा देने के लिए पारित किया गया था।

73 वें संशोधन के बाद से देश में तीन स्तर वाली पंचायती राजव्यवस्था को कानूनी मान्यता मिली। इस के तीन स्तर इस प्रकार से हैं।–

ग्राम पंचायत (ग्रामीण स्तर के लिए)

पंचायत समिति (मध्य स्तर के लिए)

जिला परिषद (जिले स्तर के लिए)

संविधान में 73 वें संशोधन 1992 में महिलाओं को पंचायतों में एक तिहाई (33 %) आरक्षण दिया गया है और अगर हम बात करें वर्तमान समय की तो इस आरक्षण (Reservation in Panchayati Raj for Sc/St) को कई राज्यों में

सीमा को बढ़ाकर 50 % तक कर दिया है। यही कारण है कि पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं की भूमिका और भागीदारी बढ़ी है।

महिलाओं की स्थिति एवं वैचारिक आधार– 20वीं सदी में अमेरिकी समाज शास्त्री विफ्राल्ट ने वैचारिक स्तर पर महिलाओं से सम्बन्धित विभिन्न पक्षों को उजागर किया। उन्होंने अपनी पुस्तक 'द मदर' में महिला के समाज में माँ, बहन, पत्नी, बेटी आदि के विभिन्न रूपों की चर्चा करते हुए उसकी भूमिका को वर्णित किया। फ्रेंच समाजशास्त्री दुर्खिम ने इंगित किया है कि समाज में जो भी घटनाए होती है उसका जिम्मेदार स्वयं समाज है। "औरत जन्मती नहीं बल्कि बनायी जाती है" प्रकार्यवादी विचारक टैलकाट पारसन्स ने भी पुरूष को यान्त्रिक तथा महिला को भावनात्मक प्रतीक के रूप में माना है। महिलाओं की समाज में दुर्दशा को देखते हुए उन्होंने अपनी पुस्तक "डैथ ऑफ द फैमली" में परिवार नाम की संख्या को उसके शोषण का मुख्य कारण माना है। जिसके बिना मूल्य के मजदूर के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसी विचार के समर्थक ऐजिंल्स ने भी अपनी पुस्तक " द ओरिजन ऑफ द फैमली प्राइवेट प्रापर्टी एण्ड स्टेट" में परिवार को महिला के शोषण का आधार माना है।

उपरोक्त विचारो प्रयासों के फलस्वरूप विकसित देशों में महिलाओं की सार्वजनिक जीवन तथा राजनीति में भागीदारी बढ़ी है तथा उनकी स्थिति में तेजी से सुधार हुआ है। भारतीय समाज में भी महिलाओं की स्थिति में तेजी से सुधार हो रहा हैं यहाँ अनेक महिलाओं ने शासन सूत्र अपने हाथों में लेकर न केवल सुशासन का परिचय दिया अपितु निर्णय व पद्वतियों से अपना नाम इतिहास के पन्नों पर स्वर्णक्षरों में लिखवाया है यद्यपि यह संख्या काफी कम है। आज भी भारत महिला सूचकांक की दृष्टि से लगभग 99वें स्थान पर है जो काफी चिन्ताजनक है।

महिलाओं के शोषण के विभिन्न आयाम व स्वरूप–

महिलाओं में अधिकांश की स्थिति आज भी दयनीय है वे आज भी हाशिये पर खड़ी है उनके प्रति घरेलू हिंसा के अलावा कार्यस्थल पर सड़के एवं सार्वजनिक यातायात के साधनों में एवं समाज के अन्य स्थलों पर होने वाली हिंसा में वृद्धि हुयी है। वर्तमान समय में महिलायें प्रति स्वरूप को हम अग्रनिर्मित आधार पर बेहतर समझ सकते है।

1.जन्म से पूर्व – कन्या भ्रूण हत्या

2.शैशवावस्था – शिशु कन्या हत्या, माता–पिता द्वारा भेदभाव, मारपीट बाल विवाह

3.किशोरावस्था – शीघ्र विवाह, यौन शोषण, बाल वैश्यावृत्ति, बलात्कार, शारीरिक प्रेम कराना, मूलभूत सुविधाओं का अभाव

4.युवावस्था – यौन उत्पीड़न व शोषण, कार्यस्थल पर शोषण, अवैधव्यापार, बलात्कार, अपहरन, यात्नाऐं, मारपीट, अंधविश्वास के कारण हिंसा

5.गृहस्थ जीवन – दहेज के कारण हिंसा, आत्महत्या के लिए मजबूर करना, पति द्वारा मानसिक व शारीरिक शोषण, घरेलू हिंसा, बलात्कार आदि।

6.ग्रहस्थ जीवन के बाद – आधुनिक जीवन शैली व रोजगार की तलाश में बच्चों को बाहर जाकर रहना भी बुजुर्ग महिलाओं का शोषण ही है।

विधिक समाधान – भारतीय संसद व राज्यों की विधान पालिकाओं द्वारा भारतीय संविधान के अन्तर्गत अनेक कानून महिलाओं को सम्मान से जीने व सुरक्षित रखने के लिए बनाए हैं उनमें से मुख्य इस प्रकार हैं।

1.अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956, 1986

2.मातृत्व लाभ अधिनियम 1961

3.दहेज निषेध अधिनियम 1961, 1986

4.सती प्रथा निवारण अधिनियम 1987

5.परिवार न्यायालय अधिनियम 1984

6.गर्भ का चिकित्सकीय समापन अधिनियम 1971, 1994

7.बाल विवाह नियंत्रण अधिनियम 1929

8.स्त्री और बाल संस्था अधिनियम 1956

9.मुस्लिम स्त्री विवाह विच्छेद पर अधिकार संरक्षण अधिनियम 1986

10.वैश्यावृत्ति निवारण अधिनियम 1986

11.घरेलू हिंसा से सुरक्षा अधिनियम 2005

12.बंधुआ श्रमिक प्रणाली उन्मूल्य अधिनियम 1976

13.महिला विकास अधिनियम 1923, 1994

14.अपराध प्रक्रिया संहिता, 1963 के भारतीय दण्ड संहिता के अधीन विशेष प्रावधान

15.पदों पर आरक्षण – संविधान संशोधन 73, 74

राजनीति में महिलाएं–

महिलाओं के अधिकार उनके सम्मान और राजनैतिक व्यवस्था में उनकी भागेदारी की चर्चा होती है लेकिन आज भी उन्हें वह महत्व नहीं मिलता जिसकी वह हकदार हैं। देश के सर्वांगीण विकास में पुरूषों के साथ कदमताल करने वाली महिलाओं की भागीदारी समाज में हर स्तर पर बढ़ी है फिर भी बहुसंख्यक महिलाएँ जो कामगार हैं उनके योगदान एवं उनकी राजनैतिक उपादेयता का न तो सही तरीके से आकलन होता है और न ही उन्हें वाजिब हक मिलता है। आधुनिक भारतीय समाज में महिलाओं की सुरक्षा अधिक चिन्ता और बहस का केन्द्र बिन्दु बन गया है। यही सवाल संसद से लेकर सड़क तक तैर रहा है। पूरी दुनिया में महिला अधिकरों का सरंक्षण और उनकी स्वतन्त्रता का सवाल अहम बन जाता है लेकिन भारतीय सन्दर्भो में यह सबसे चिन्ता का विषय है, हालांकि भारत में वैदिक समाज में केवल यह कानूनों और और मंचीयता तक ठहर गया है। देश में आज भी 70 फीसदी महिलाएं घरेलू हिंसा की शिकार हैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी बेटी–पढ़ाओं बेटी–बचाओ की मुहिम चला रहे हैं। लेकिन 10 लाख बेटियों की हत्या हर साल माँ के गर्भ में कर दी जाती है। 29 मिनट में एक स्त्री की मर्यादा का चीर हरण होता है महिलाओं को आज कुछ योजनाओं की जितनी जरूरत है, उतनी ही जरूरत सुरक्षा की भी है। पर यह सुरक्षा केवल सी0सी0टी0वी0 कैमरे, महिला पुलिस थाने और महिला हेल्पलाइन या आयोग नही दी जा सकती। सरकारों को महिलाओं के पक्ष में कुछ बड़े नीतिगत कदम उठाने पड़ेगे जिसके न्यूनतम संकेत तक किसी प्रान्तीय या केन्द्रीय बजट में नहीं मिलते। महिला आधिकारों पर मंचीय हल्ला मचाने वाले लोगों के लाख कोशिश के बाद भी 33 % आरक्षण नहीं दिला सके पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल, लोक सभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज व मानवसंसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी के मात्र राजनीति करने से ही महिला सशक्तिकरण नही हो जाता। महिला सशक्तिकरण हेतु 1985 में महिला एवं बाल विकास विभाग की स्थापना की गयी। 31 जनवरी 1992 को राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया एवं अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया सभी पंचवर्षीय योजनाओं में महिलाओं के विकास को महत्व दिया गया। भारत सरकार द्वारा 2001 को महिला सशक्तिकरण वर्ष घोषित किया गया। स्वयं सिद्ध–योजना, महिला समाख्या कार्यक्रम इत्यादि योजनाएं आरम्भ की गयी।

1.राजनैतिक आयाम – प्रकृति को रचनाकार ईश्वर ने जब मानव की रचना की तो उसने मानव के दो रूप बनाये एक पुरुष एवं दूसरा स्त्री। इन दोनों रूपों को उसने एक दूसरे का पूरक बनाया। उसमें भी उसने परूष को जहाँ सृष्टि के पालन का भार सौंपा वही नारी को उसने वह क्षमता प्रदान की जिससे वह सृष्टि की निर्मात्री बन सकी। कई युग पुरुष हुए जो स्त्री की किसी न किसी रूप से चाहे माँ, बहन, पत्नी, भाभी अथवा धाय रही हो से प्रभावित होकर ही महान बने। इसी कारण यह उक्ति भी प्रचलित है कि "प्रत्येक सफल पुरूष के पीछे किसी न किसी स्त्री का हाथ होता है।"

अतः कहा जा सकता हैं कि युग अथवा काल चाहे जो भी हो विश्व की तरक्की नारी के विकास पर ही आधारित हैं 19 वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध से प्रारम्भ हुए भारत के नारी जागरण में एक और जहाँ राजाराम, महात्मा गाँधी, ईश्वरचन्द्र विद्यासागर, स्वामी दयानन्द सरस्वती आदि जैसे समाज सुधारको का महत्वपूर्ण योगदान रहा है वही भारतीय नारी ने स्वयं भी अपनी स्वरूप को पहचाना और रूढ़िवादी परम्पराओं को छोड़कर नवयुग का आह्मवान किया है। भारत में महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में श्रीमती इन्दिरागांधी, श्रीमती प्रतिभा पाटिल, मीरा कुमार, सोनिया गाँधी, सुश्री मायावती, श्रीमती शीला दीक्षित, सुषमा स्वराज, वसुन्धरा राजे, ममता बनर्जी, उमा भारती, स्मृति ईरानी आदि महिलाओं ने उच्च राजनैतिक पदों पर सुशोभित किया है एवं सराहनीय कार्य किये हैं। स्वतन्त्र भारत की राजनीति में महिलाओं के प्रवेश की गति कुछ धीमी अवश्य रही परन्तु उनकी शक्ति क्षमता एवं कार्यकुशलता पर कभी किसी ने अविश्वास नही किया। राजनैतिक दृष्टि से भारत के महिला वर्ग की स्थिति भारत के इतिहास या सदी के प्रारम्भ से ही अन्य देशों की तुलना में समानता ही रही है। राजनैतिक क्षेत्र में नारी ने स्वतन्त्रता के पूर्व ही देश के प्रथम स्वतन्त्रता संग्राम में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। प्रथम स्वतन्त्रता संग्राम की सेनानी झाँसी की रानी लक्ष्मीबाई, आन्दोलनकर्ता पंडित रमाबाई आजाद हिन्द सेना की नारी सैनिकों ने देश की स्वतन्त्रता में उल्लेखनीय योगदान दिया। इतना ही नही स्वतन्त्रता प्राप्ति के उपरान्त राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा आदि में भी महिलाओं ने प्रवेश किया। प्रथम महिला के रूप में विजयलक्ष्मी पडिंत, प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में सुचेता कृपलानी, प्रथम राज्यपाल के रूप में सरोजनी नायडू प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में श्रीमती इन्दिरा गाँधी का नाम उनके अधिकरों के समान ही गरिमामय रहा है।

भारत में महिला सशक्तिकरण का सामाजिक आधार–

भारत में आधी आबादी का नेतृत्व महिलाओं के द्वारा ही होता है महिला किसी भी समाज का आधार स्तम्भ होती है जिसके बिना हम समाज की परिकल्पना नही कर सकते हैं। वास्तव में वह समाज की रीढ़ है अगर वह टूट गयी तो राष्ट्र का विकास नही हो पायेगा। अतः आवश्यकता इस बात की है कि हम स्त्री को सशक्त करें ताकि हमारा समाज एवं राष्ट्र सशक्त हो सके। प्राचीन काल में स्त्री की स्थिति अत्यन्त उच्च थी उन्हें समस्त अधिकर प्राप्त थे। परन्तु धीरे–धीरे स्थिति में गिरावट आने लगी और मध्यकाल तक तो स्त्री को घर की चहारदीवारी में कैद होना पड़ा। अंग्रेजों के आगमन से कुछ महिला सुधारवादी आन्दोलन चले जिनके फलस्वरूप महिलाओं में आत्मचेतना का प्रार्द्भाव हुआ। सन् 1947 में जब भारत स्वतन्त्र हुआ तो संविधान में स्पष्ट रूप से कहा गया कि भारत में सभी के साथ समानता का व्यवहार किया जायेगा। महिला को उतने ही अधिकार दिये गये जितने पुरूषो को प्राप्त थे। हमारे समाज में विभिन्न विभिन्नताऐं है इन विभिन्नताऐं में महिलाओं के विभिन्न कर्त्तव्य है। जो उसे पूरे करने पड़ते हैं। किन्तु आज सशक्तिकरण के युग में महिला अपने कर्त्तव्यों के साथ अधिकारों का भी उपभोग स्वतन्त्र रूप से कर रही है। वह मनचाही शिक्षा प्राप्त कर सकती है। महात्मा गाँधी ने शिक्षा के सन्दर्भ में कहा था "एक महिला को पढ़ाओगे तो पूरा परिवार पढ़ेगा"। यही कारण है कि आज महिला अधिक जागरूक हो गयी है। वे अपने स्वतन्त्र निर्णय लेती है। सामाजिक संरचना में महिला का अतिशय योगदान है उनकी भावी पीढ़ी का निर्माण उन्ही के द्वारा होता है। आज समाज में परिवर्तन की हवा चल रही है। कई सामाजिक महिला संस्थाएं हमारे सामने आयी हैं वे सभी महिला को सशक्त बनाने का प्रयास कर रही हैं। परन्तु आज भी कही उनका शोषण किया जा रहा है यदि एक ओर महिला को नया आसमान मिला है तो दूसरी ओर उसने अपने आप सशक्त होने की चक्की में पिसा भी है। आज उसे दोहरी भूमिका का निर्वाह करना पड़ रहा है।

भारतीय लोकतन्त्र एवं सत्ता के विकेन्द्रीकरण का रास्ता काफी उलझनभरा और जटिल जान पड़ा है एक तरफ उच्च लोकतांत्रिक नैतिकता ह। तो दूसरी तरफ व्यावहारिक राजनैतिक दबाव एक ओर महिलाओं तक पहुँचने का लक्ष्य है तो दूसरी तरफ उनके पतियों का लगातार उनके कार्यो में हस्तक्षेप करना। एक और जनतन्त्र के साथ में महिलाओं में राजनैतिक चेतना का प्रसार है दूसरी ओर हिंसा और भ्रष्टाचार का आधार जनतांत्रिक प्रक्रियाओं में फैल

जाना। इन्हीं अर्न्तविरोधों के बीच से महिलाओं की सहभागिता द्वारा सत्ता के विकेन्द्रीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना और जड़े जमाने का रास्ता अपनाना है।

"आज मेरा साथ दो, वैसे मुझे मालूम है
पत्थरो में चीख हरगिज, कारगार नही होगी
पक गयी है आदतें, बातों से सर होगी नही
कोई हंगामा करो, ऐसे गुजर होगी नही"

आज शिक्षा व्यापार नौकरी राजनीति आदि सभी क्षेत्रों में महिलाएं कामयाबी के सिलसिलों को न सिर्फ लगातार जारी रखे हुए है बल्कि उसे रफ्तार भी दे रही हैं। इस सबके बावजूद भी महिलाओं की स्थिति में आमूल चूल परिवर्तन नही हो पाया है वह आज भी अधिकांश ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में लगभग 40 से 50 प्रतिशत महिलाऐं अपने अधिकरों के प्रति हिंसा को रोकने के लिए व इसके कारणों के समाधान हेतु 3 स्तर पर प्रयास करना होगा–

1.संस्थापक स्तर पर प्रयास

2.विधिक स्तर पर प्रयास

3.सामाजिक वातावरण स्तर पर प्रयास

सन्दर्भ

- कुरूक्षेत्र पत्रिका जुलाई 2018 पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी पृष्ठ 41
- .एम0 लक्ष्मीकान्त भारत की राजव्यवस्था (छठवा संस्करण) पृष्ठ 38
- .डा0 सीमा रानी–ग्राम पंचायतों में ग्रामीण महिलाओं की भूमिका शोध मंथन मार्च 2018 पृष्ठ 25
- कपिल शर्मा–इतिहास के गुनहगार कौन, राष्ट्रीय दैनिक जागरण संपादकीय पृष्ठ 10.08.2016
- .Internet sites-www.google.com, www.education .in
- पत्रिका– योजना, कुरूक्षेत्र इण्डिया टूडे
- दैनिक जागरण, अमर उजाला, स्वतन्त्र भारत

भारतीय असंगठित क्षेत्र के विकास में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी की भूमिका : एक समाजशास्त्रीय अध्ययन

दीप्ती वर्मा'
डॉ० प्रीती द्विवेदी''

शोध सारांश : प्रस्तुत शोध पत्र का उद्देश्य भारतीय असंगठित क्षेत्र के विकास में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी की भूमिका का अध्ययन करना है। शोध में बताया गया है कि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक है और इसके सकारात्मक परिणाम भी है। विगत वर्षो के परिणाम दर्शातें है कि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के अन्य साधनों की तुलना में, ग्रामीण क्षेत्रों मे रहने वाले लोगों द्वारा मोबाइल फोन के माध्यम से इंटरनेट का सबसे अधिक उपयोग किया जा रहा है। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी छोटे विनिर्माण क्षेत्र के बीच प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ाने में सहयोग करते हैं जो गरीबी को कम करने में मदद करेगा। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को मौजूदा बाजार नीतियों की सही जानकारी देगा ,उनको चल रही बाजार प्रक्रिया की मुख्य धारा से जोड़ेगा साथ ही समस्याओं के निदान में उनकी मदद करेगा।

शब्दकुँजी : असंगठित क्षेत्र, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, विकास।

भूमिका : असंगठित क्षेत्र की अवधारणा परवर्ष 1970 के दशक के प्रारम्भ में विश्वव्यापी ध्यान आकर्षित होना शुरु हुआ, जब अंतराष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) ने अफ्रीका में अपने विश्व रोजगार कार्यक्रम मिशन के माध्यमसे इस क्षेत्र की पहचान और अध्ययन के लिए गम्भीर प्रयास शुरु किए। तब से असंगठित क्षेत्र कई अध्ययनों और संगोष्ठियों का विषय रहा है। जिसमें इसके आकार, रोजगार की संभावना, संगठित क्षेत्र के साथ इसके सम्बन्ध, तकनीकि स्तर आदि जैसे विभिन्न पहलुओं को शामिल किया गया है। 1987 में, आईएलओ के महानिदेशक ने अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन में "असंगठित क्षेत्र की दुविधा" पर एक रिपोर्टप्रस्तुतकी। इसमें उन्होंने रोजगार को बढ़ावा देने में इस क्षेत्र की भूमिका, श्रमिकों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए पर्याप्त कानूनों की अनुपस्थिति और अंतराष्ट्रीय श्रम मानकों के अनुप्रयोग की संभावना का उल्लेख किया।

हालाँकि,भारतमें असंगठित क्षेत्र शब्द हाल ही में आया और इसका उपयोग पिछले दो दशकों से ही हो रहा है। अस्सी के दशक के अंत और नब्बे के दशक की शुरुआत में इंस्टीट्यूट ऑफ एप्लाइड मैनपावर रिसर्च (आईएएमआर) जैसी एजेंसियों द्वारा विभिन्न शहरी इलाकों में इस क्षेत्र के आकार और रोजगार संरचना का आंकलन करने के लिए कई अध्ययन किए गए हैं।

'शोध छात्रा, समाजशास्त्र, महिला पी०जी० कॉलेज किदवईनगर, कानपुर (उ०प्र०)
''एसोसिएट प्रोफेसर, समाजशास्त्र, महिला पी०जी० कॉलेज किदवईनगर, कानपुर (उ०प्र०)

1. अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार, असंगठित क्षेत्र में वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में लगी इकाइयाँ शामिल हैं जिनका प्राथमिक उद्देश्य सम्बन्धित व्यक्ति के लिए रोजगार और आय उत्पन्न करना हैं।
2. एन सी ई यू एस के अनुसार, असंगठित क्षेत्र वह क्षेत्र है, जिसमे ंसभी असंगठित निजी उद्यम शामिल हैं, जिसका स्वामित्व व्यक्तियों या परिवारों के पास है तथा जो सम्पत्ति एवं सेवाओं के विक्रय और उत्पादन मे ंलगे है साथ ही स्वामित्व या साझेदारी के आधार पर संचालित होते हैं और जिनमें कुल मिलाकर दस से कम कर्मचारी हैं।

सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी : सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी एक विशिष्ट शब्द है जो मोबाइल फोन, वायरलेस सिग्नल, कम्प्यूटर आदि जैसे विभिन्न मीडिया के माध्यम से सूचना और दूरसंचार के एकीकरण पर जोर देता है। भारतीय जनसंख्या का लगभग 92 प्रतिशत हिस्सा असंगठित क्षेत्र में कार्यरत है, इसलिए असंगठित क्षेत्र का संगठित क्षेत्र के रुप में विकास आवश्यक है और यह कार्य सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की सहायता से किया जा सकता है। यह अध्ययन मुख्य रुप से भारतीय असंगठित क्षेत्र के विकास में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की भूमिका पर केन्द्रित है। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का मुख्य उद्देश्य विकास गतिविधियों के लिए संचार पर जोर देना है जिसमें लोगों की भागीदारी शामिल है, जिसके परिणामस्वरुप उपलब्ध प्रौद्योगिकी की मदद से ज्ञान आदि का आदान–प्रदान होता है ताकि समाज में सामाजिक परिवर्तन लाया जा सके, खासकर असंगठित क्षेत्र के विकास के लिए। ....(आईएफएडी–14) के अनुसार सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी असंगठित क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जिसमें आमतौर पर अनौपचारिक व्यवसाय, लघु उद्योग और बिना औपचारिक अनुबन्ध वाले श्रमिक जैसे छोटे और सीमांत किसान, भूमिहीन खेतहर मजदूर, पशुपालक, बीड़ी बनाने वाले श्रमिक, भवन निर्माण में कार्यरत श्रमिक, बंधुआ मजदूर, प्रवासी मजदूर सब्जी व फल विक्रेता तथा न्यूज पेपर विक्रेता आदि शामिल हैं।

सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को होने वाले लाभ : सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों तक बाजार की जानकारी तथा मूल्य निर्धारण तक पहुँच प्रदान करता है, जिससे छोटे व्यवसाय उचित निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। असंगठित क्षेत्र के श्रमिक मोबाइल ऐप और ऑनलाइन प्लेटफार्म के माध्यम से नौकरी के अवसरों, सरकारी योजनाओं और कौशल विकास कार्यक्रमों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मोबाइल बैंकिग और डिजिटल भुगतान प्रणाली असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों और छोटे व्यवसायों को वित्तीय सेवाओं तक पहुँचने में मदद करती है। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी नकद लेन–देन पर निर्भरता को कम करती है, जिससे पारदर्शिता बढ़ती है और बचत, निवेश तथा ऋण तक पहुँच आसान हो जाती है। ई–लर्निंग प्लेटफॉर्म और मोबाइल एप्लिकेशन किफायती और लचीले प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करते हैं, जिससे असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को अपने कौशल को बेहतर बनाने में मदद मिलती है। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी व्यावसायिक प्रशिक्षण और कौशल उन्नयन की सुविधा प्रदान करता है, जिससे उत्पादकता और रोजगार क्षमता बढ़ती है। डिजिटल प्लेटफॉर्म छोटे व्यवसायों और कारीगरों को व्यापक बाजार से जोडते हैं, जिससे वे अपने उत्पादों और सेवाओं को ऑनलाइन बेच सकते हैं। ई–कॉमर्स प्लेटफॉर्म असंगठित क्षेत्र के प्रतिभागियों को अपने स्थानीय क्षेत्रों से परे ग्राहकों तक पहुँचने के लिए एक बाजार प्रदान करते हैं।प्रबन्धन सॉफ्टवेयर और मोबाइल एप्लिकेशन जैसे सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी उपकरण छोटे व्यवसायों को अपने संचालन को अधिक कुशलता से प्रबन्धित करने में मदद करते है। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से नियमित कार्यों के स्वचालन से श्रम लागत कम होती है और समग्र उत्पादकता बढ़ती है।सोशलमीडिया और ऑनलाइन समुदाय श्रमिकों और छोटे व्यवसाय मालिकों को आपस में जुड़ने, अनुभव साझा करने और विभिन्न पहलुओं में सहयोग करने की सुविधा देते हैं। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आभासी सहकारी समितियों के गठन को सक्षम बनाता है, जहाँ असंगठित क्षेत्र के व्यक्ति संसाधनों को एकत्र कर सकते है

और ज्ञान साझा कर सकते हैं।सूचना और संचार प्रौद्योगिकी छोटे व्यवसायों के लिए पंजीकरण, अनुपालन और दस्तावेजीकरण की प्रक्रिया को सरल बना सकता है, जिससे अधिक इकाइयाँ औपचारिक अर्थव्यवस्था में आ सकती है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म रिकॉर्ड बनाए रखने और कर दाखिल करने में मदद करते हैं, जिससे असंगठित क्षेत्र के व्यवसायों को विनियमों का अनुपालन करने में मदद मिल सकती है।सूचना और संचार प्रौद्योगिकीअसंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को अपनी समस्या व्यक्त करने और अपने अधिकारों के प्रति आवाज उठाने के लिए एक मंच प्रदान करता है तथा उन्हें सशक्त बनाता है। मोबाइल प्रौद्योगिकी श्रमिक संघों और वकालत समूहों के संगठन की सुविधा प्रदान करती हैं, जिससे बेहतर कार्य स्थितियों के लिए अभियान चलाना आसान हो जाता है।

सूचना और संचार प्रौद्योगिकी कल्याणकारी योजनाओं, सब्सिडी और सहायता कार्यक्रमों तक आसान पहुँच प्रदान करके सरकार और असंगठित क्षेत्र के बीच की खाई को पाटता है। डिजिटल प्लेटफॉर्म सरकारी एजेंसियों और असंगठित क्षेत्र के व्यक्तियों के बीच बेहतर संचार के योग्य बनाता है, जिससे सेवा वितरण में सुधार होता है। महामारी या प्राकृतिक आपदाओं जैसे संकटों के दौरान सूचना और संचार प्रौद्योगिकी महत्वपूर्ण जानकारी को कुशलता से प्रसारित करने में मदद करता है। राहत वितरण के लिए मोबाइल ऐप और डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जा सकता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि सहायता असंगठित क्षेत्र में सबसे कमजोर आबादी तक पहुँचे।

उद्देश्य : 1) असंगठित क्षेत्र में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी की उपयोगिता को समझना।

2) असंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों के जीवन स्तर पर सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के प्रभावों का अध्ययन करना।

शोध पद्धति : प्रस्तुत शोध पत्र भारतीय असंगठित क्षेत्र के विकास में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी की भूमिका का अध्ययन करने के लिए वर्णनात्मक अन्वेषणात्मक अनुसंधान पद्धति का उपयोग किया गया है। इस प्रकार के अध्ययन की विशेषता यह है कि इसमें किसी विशेष व्यक्ति या समूह का अध्ययन होता है। इस शोध पत्र में परिणाम प्राप्त करने के लिए उपलब्ध द्वितीयक आँकड़ों का उपयोग किया गया है। द्वितीयक आँकड़ों को एकत्र करने के लिए विभिन्न पुस्तकों, प्रकाशित पत्रिकाओं, शोधपत्रों एवं वेबसाइट का उपयोग किया गया है। इस प्रकार के अध्ययन में पर्याप्त जानकारी के साथ स्पष्ट उद्देश्य की आवश्यकता होती है जिससे प्राप्त परिणाम की सटीकता साबित की जा सके।

साहित्य समीक्षा :

आन्या श्रीवास्तव (2016) ने भारत में मोबाइल उपयोग के विशेष संदर्भ में असंगठित क्षेत्र मे ंआईसीटी के प्रबंधन का अध्ययन किया और पाया कि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी असंगठित क्षेत्र को विकसित करने के लिए अत्यधिक लाभकारी है। सूचना और संचार प्रक्रिया को व्यवस्थित करके अर्थव्यवस्था पर इसका सकारात्मक प्रभाव देखा जा सकता है। यह रोजगार के अवसर प्रदान करता है और जीवन स्तर को ऊँचा उठाने में मदद करता है। जिससे गरीबी को कम किया जा सकता है।

सरिता शेषगिरी एवं अन्य (2007) ने भारत के ग्रामीण संचार परिवेश का अध्ययन कर पाया कि गाँव के लोगों की सूचना और संचार प्रक्रिया डाक प्रणाली पर निर्भर है। उन्होंने अपने अध्ययन में बताया कि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी की मदद से बेहतर तकनीकी प्रणाली विकसित करके इन सम्पर्क अन्तरालों को हल किया जा सकता है।

वितानेन (2003) ने गरीबी उन्मूलन में आईसीटी की भूमिका का अध्ययन किया और पाया कि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी किसी भी समाज के विभिन्न पहलुओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह सूचना सेवाओं तक आसान पहुँच प्रदान करके लोगों की जीवन शैली के पुनर्निमाण में मदद करता है और यह विभिन्न कार्य क्षेत्रों में ग्रामीण लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करके गरीबी कम करने में भी सहायता करता है।

गिलमैन और अन्य (2003) ने अपने अध्ययन ग्रामीण गरीबी की लड़ाई में आईसीटी की भूमिका में बताया कि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी एक उपकण है,समाधान नहीं और यहाँ विकास सूचना और संचार प्रक्रिया के बारे में है, ना कि इस्तेमाल की जा रही तकनीकि के बारे में। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी की मदद से लोग खुद के लिए बोल सकेंगे और अपनी समस्याओं को कुशल तरीके से बता सकेंगे और उसका समाधान भी पा सकेंगे।

प्रेरणा पाठक (2017) ने अपने अध्ययन विषय भारत में मोबाइल उपयोग पर विशेष बल के साथ असंगठित क्षेत्र में आईसीटी की भूमिका में पाया कि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी असंगठित क्षेत्र को संगठित क्षेत्र में विकसित करने के लिए अत्यधिक लाभकारी है। इसका कार्यान्वयन प्रौद्योगिकी के माध्यम से सूचना और संचार प्रक्रिया को व्यवस्थित करके भारत जैसे किसी भी विकासशील देश की अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव दिखाता है। यह रोजगार के अवसरों को बढ़ाता है और विभिन्न असंगठित क्षेत्रों से सम्बन्धित श्रमिकों के प्रयासों को वास्तविक बाजार में लाने में मदद करेगा।

मिताली गुप्ता एवं मानिक (2018) ने भारत में असंगठित विनिर्माण उद्यमों की उत्पादकता पर आईसीटी के उपयोग के प्रभावों का अध्ययन किया और पाया कि आईसीटी का उपयोग न केवल बड़ी फर्मों के लिए फायदेमंद है, बल्कि छोटी फर्मों के लिए भी समान रुप से फायदेमंद है, जिसके लिए इस संबन्ध मे ंउनक`उन्नयन की िदशा में त्वरित नीतिगत कार्यवाही की आवश्यकता है।

राजेश भट्टाचार्या (2019) ने विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में अनौपचारिक क्षेत्र के लिए आईसीटी की सकारात्मक सम्भावनाओं का अध्ययन किया और पाया कि असंगठित क्षेत्र में नीतिगत हस्तक्षेप अक्सर सकारात्मक दिशा में किए जाते हैं। प्रौद्योगिकी सही तरीके से लागू होने पर गरीबों को लाभ पहुँचाती है। यदि हम विकासशील देशों की प्रगति के व्यापक आँकड़ों को देखते है तब हम पाते है कि रोजगार, शिक्षा और आजीविका के तरीकों में सुधार के रुप में डिजिटल माध्यम से समाधान की सम्भावना को बढ़ावा दिया जा सकता है।

दीपज्योति चौधरी (2012) ने असंगठित क्षेत्र को संगठित करने हेतु पूर्वोत्तर भारत में कुटीर और लघु उद्योगों के पक्ष में एक आईसीटी सक्षम लॉजिस्टिक्स मॉडल का अध्ययन किया और पाया कि देश के विभिन्न क्षेत्रों में जहाँ बड़े उद्योग नहीं है वहाँ आर्थिक विकास के लिए कुटीर एवं लघु उद्योग महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। आईसीटी सक्षम लॉजिस्टिक्स मॉडल को लागू करके कुटीर उद्योगों को बहुत सारे लाभ होंगे क्योंकि इसमें बिचौलियों की कोई भूमि का नहींहोगीजोहमेशाकारीगरोंकाशोषणकरतेहैं।यहउत्पादकों और ग्राहकों के बीच सीधा सम्पर्क साधेगा जिसका लाभ दोनों को ही प्राप्त हो सकेगा। इस मॉडल के माध्यम से बेरोजगारों के लिए रोजगार तथा छोटे वन उद्यमियोंको बाजार में जगह बनाने का अवसर मिलेगा। साथ ही यह देश के आर्थिक विकास मे ंभी मदद करेगा।

डॉ० टी०पी० शेरीन एवं मेटलिन सजीमा (2022) ने कोविड–19 के बाद असंगठित क्षेत्र में डिजिटल युग में महिलाएँ और उनके लिए अवसरों का अध्ययन किया और पाया कि डिजिटल तकनीक का इस्तेमाल लोग अपनी रोजमर्रा की जिन्दगी में तेजी से कर रहे हैं। डिजिटलीकरण के साथ दुनिया एकदम और आगे बढ़ गई है। इसके उपयोग के साथ ही साथ जागरुक होने की भी आवश्यकता है क्योंकि इसके नकारात्मक परिणाम भी हो सकते है। कोविड–19 महामारी ने असंगठित क्षेत्र में डिजिटलीकरण की गति को बढ़ा दिया है। आज का समय यह है कि प्रत्येक स्तर पर हर किसी को डिजिटल प्रक्रिया से जुड़ना होगा।

प्रताप नरबाजी डुकरे (2023) ने बताया कि महाराष्ट्र मे ंअसंगठित क्षेत्र पर करोना महामारी के सामाजिक–आर्थिक प्रभाव का अध्ययन विषय बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में कर्मचारी कार्यरत है। इसमें परिश्रम के आधार पर पूरी आय नहीं दी जाती है और साथ ही यह पूर्णकालिक नौकरी की श्रेणी में नहीं आता है। इस क्षेत्र की समस्याओं के समाधान हेतु सरकार को उचित कदम उठाने की आवश्यकता है।

निष्कर्ष : सूचना और संचार प्रौद्योगिकी असंगठितक्षेत्रकेविकासकेलिएअत्यधिकलाभकारीहै।इसकाकार्यान्वयन प्रौद्योगिकी के माध्यम सेसूचना और संचार प्रक्रिया को व्यवस्थित करके भारत जैसे किसी भी विकासशील देश की अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। यह रोजगार के अवसरों में वृद्धि तथा विभिन्न असंगठित क्षेत्रों से सम्बन्धित श्रमिकों के प्रयासों को वास्तविक बाजार में लाने में मदद करेगा। आज ऐसे क्षेत्रों को पहचानने का समय आ गया है जिनमें उच्च विकास क्षमता (उत्पादन और रोजगार दोनों के संदर्भ में) है। इसलिए, प्रस्तुत अध्ययन भारत के असंगठित क्षेत्र से जुड़े इन सभी पहलुओं का विश्लेषण करने का एक प्रयास है।

सूचना और संचार प्रौद्योगिकी असंगठित क्षेत्र के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है, जो आर्थिक विकास को गति देता है, आजीविका में सुधार करता है और अधिक समावेशन को बढ़ावा देता है। प्रौद्योगिकी का लाभ उठाकर असंगठित क्षेत्र कई चुनौतियों पर काबू पा सकता है, जिससे औपचारिक अर्थव्यवस्था में बेहतर एकीकरण हो सकता है।

सन्दर्भ

- Abraham, V.and Sharma, R.K.(2005).‘New technology and the emerging labour market: A study of Indian IT industry’, Indian journal of labour economics,48(4).
- Bhagat, M. (1997).‘Poverty and minimum wages’,the Indian journal of labourr economics,40(4).
- Bhattacharya, R. (2019). “ICT solutions for the informal sector in developing economies: what can one”, the electronic journal of information system in developing countries,Vol.-85, Issue-3, e12075.
- Choudhury, d. (2012). “Organising the unorganized sector: An ICT enabled logistics model in favour of cottage and small scale industries in northeast india”, pacific business review international,Vol-5,Issue-2,(p.23-34).
- Gillman, H. and others. (2003).‘Fighting rural poverty,The role ICTs:IFAD side event at the world summit on the information society -Geneva.
- GOI (2007). ‘Report on conditions of work and promotion of livelihoods in the unorganized sector’, national commission for enterprises in the unorganized sector,new delhi.
- Gupta, M. and Kumar, M. (2018). “Impact of ICT usage on productivity of unorganized manufacturing enterprises in india”, Indian journal labour economics, Vol-61, (p.411-425).

- Pathak, P. (2017). "ICT role in unorganised sector with special emphasis on mobile usage in india", international journal of applied research, 3(6), ISSN online 2394-5869,(p.347-349).
- Rao, V. Kasina (2010). "Evoluating socio-economic impact of mobile service intervention in rural india", postgraduate strand at ICTD, ISSN: 1403-8099,(p.60-64).
- Sakthivel, S. and Pinaki joddar. (2006). "Unorganised sector workforce in india : Trends, Patterns and Social Security Coverage", economic and political weekly,41(21),(p.2107-2114).
- Seshgiri, S. (2007).'Connecting the bottom of the pyramid',an exploratory case study of india's rural communication environment proceedings of the 16th international conference,(p.855-862).
- Sherin, T. P. and Sajima, S. M. (2022) "Women's and their opportunities in digital era in unorganized sector after covid-19", journal of positive school psychology,Vol.-6,No.-5,(p.5837-5841).
- Srivastava,A.(2016).'Managing ICT in unorganized sector with special reference to mobile usage in india',international journal of multidisciplinary research and development, vol-3;issue 4; ISSN:2349-4182.
- Viitanen, A. (2003). 'The role of ICT in poverty reduction' articles,1.
- कुमारी, बीना ''असंगठित क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं की स्थिति–समाजशास्त्रीय अध्ययन'',राधा कमल मुकर्जीः चिन्तन परम्परा, समाज विज्ञान विकास संस्थान बरेली(उ०प्र०), वर्ष 20 अंक 1, जनवरी–जून 2018, पृ०78–86।
- कुमार, अनुज ''सूचना संचार प्रौद्योगिकी तथा बाल अपराधः एक समाजशास्त्रीय अध्ययन'',राधा कमल मुकर्जीः चिन्तन परम्परा, समाज विज्ञान विकास संस्थान बरेली(उ०प्र०), वर्ष 19 अंक 2, जुलाई–दिसम्बर 2017, पृ० 120–124।

❖

पर्यटन केन्द्र रोहतास (बिहार) : एक भौगोलिक अध्ययन

डॉ0 लीलावती कुमारी'
डॉ0 जय शंकर सिंह''

किसी व्यक्ति की विश्व दृष्टि का एक लक्षण यह है कि वह अपने को उनके विभिन्न अवयवो के साथ किस रूप मे देखता व समझता है। व्यक्ति का यह बोध करने की प्रवृति उसमे सतत जिज्ञासा उत्पन्न करती है, जबकी जिज्ञासु मन की अस्थिरता उसे धुमन्तु प्रवृति का बना देता है ।

मानव सभ्यता के विकास के मूल मे धुमन्तु प्रवृति एक विशिष्ट लक्षण के रूप मे उपलब्ध रही है । प्रतिकूलता मे अनुकूलता की तलाश में प्राणी भौगोलिक विभिन्नता वाली इस घरती पर निरंतर धूम रहा था जब तक कि उनसे प्रतिकूल परिस्थिति अनुकूल स्थिति का निर्माण करना सिख लिया ।

परिस्थितियों में सहज होने के बाद उसके यात्राओं के उदेश्य के रूप मे विकसित हो चुका है । आज किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में अन्य उद्योग की तरह पर्यटन उद्योग भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा हैं । क्योकि पर्यटन उद्योग विदेशी मुद्रा को प्राप्त करने का एक बडा स्त्रोत है एवं इनका योगदान ढाचागत संरचना के सुधार तथा विकास, राष्ट्रीय आय के निर्माण एवं वितरण, क्षेत्रीय विकास, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार निर्माण आदि में योगदान प्रदान कर अर्थव्यवस्था को बढाने में सहयाग करता हैं । वर्ष 2004 में प्रकाशित वर्ड ट्रेवल्स एण्ड टूरिज्म काउंसिल के आकलन में भारत को विश्व की दूसरी सबसे तेज गति से बढनेवाली पर्यटन अर्थव्यवस्था बताया गया हैं ।

भारत के उतरी–पूर्वी छोर पर स्थित बिहार राज्य के दक्षिण–पश्चिम भाग में स्थित रोहतास जिला ईसा पूर्व से लेकर आधुनिक काल के भी कई ऐतिहासिक धरोहर हैं इसके साथ प्राकृति ने भी रोहतास को क्या खूब संवारा है । भौगोलिक आधार पर यह जिला 24°43′ से 25°20′ उतरी अक्षांश तक और 83°43′ से 84°26′ पूर्वी देशांतर मध्य अवस्थित है । भारत देश के बिहार राज्य के पटना प्रमण्डल के अर्न्तगत शाहाबाद जिले से 10 नवम्बर 1972 को इस रोहतास जिला का नया नामांकरण हुआ इसका मुख्यालय सासाराम है । इसका क्षेत्रफल 3,847.82 वर्ग किलोमीटर है इसकी कुल जनसंख्या (2022 के अनुसार अनुमानित) 3,653,723 है । यह उतर में भोजपुर एवं बक्सर, दक्षिण में गढवा, पलामू (झारखण्ड), पूर्व में औरंगाबाद तथा पश्चिम में कैमूर जिला से घिरा है । यहां की जलवायु समशीतोष्ण है गर्मी का अधिकतम 45° सेंटीग्रेड तथा जाडे का न्यूनतम तापमान 10° सेंटीग्रेड है तथा वर्षा ऋतु में औसत वर्षा 125 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष होती है ।

रोहतास जिला अपने समुचित क्षेत्र में पर्यटन विस्तार की असीमित सम्भावनाओं कों समेटे हुए है । यहॉ प्राकृतिक सौंदर्य, कलात्मक कलाकृतियॉ, कलात्मक ऐतिहासिक धरोहर, वैभवशाली किले, कलाकृतियों से युक्त मंदिर, जल प्रपात, बांध, सेतू, संतो के आश्रम एवं पुरातात्विक महत्व के अनेक स्मारक मौजूद है । रोहतास में कुल 22 छोटे–बडे पर्यटन केन्द्र है इनमे से राष्ट्रीय एवं अन्तराष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त चार पर्यटन केन्द्र है । जिनमें पुरातात्विक एवं ऐतिहासिक महत्व के शेरशाह सूरी का मकबरा (सासाराम), हसनसुर का मकबरा (सासाराम), रोहतास किला (रोहतास), शेरगढ किला, शामिल है । इसके अलावे अर्द्धर्निमित तथा अन्य छोटे ऐतिहासिक महत्व वाले स्मारक व किले जैसे सलीमशाह का मकबरा, चन्दन शहीद पीर, औरंगजेब का मस्जिद, मान सिहं का किला, ईदगाह, शेरशाह का द्वार, अवावल खां का मकबरा, अशोक का लधु शिलालेख इत्यादि है । शक्तिपीठ ताराचंडी भवानी का मंदिर (सासाराम), चौरासन शिव

'सहायक प्राध्यापक, अर्थशास्त्र विभाग, उमा पाण्डेय कॉलेज, पूसा–समस्तीपुर, बिहार ।
''सहायक प्राध्यापक, भूगोल विभाग, ग्राम भारती कालेज, रामगढ़, कैमुर, बिहार ।

मंदिर (रोहतास), तुतला भवानी मंदिर (तिलौथू), शोणक्षी देवी मंदिर (डेहरी), अस्कामिनी मंदिर (बिक्रमगंज) तथा भलुनी भवानी मंदिर (नटवार), आदि धार्मिक महत्व के स्थल है । प्राकृतिक अदभूत जलप्रताप माझरकुंड एवं धुआ कुंड प्रसिद्व पर्यटन स्थल है । इसके अलावा इन्द्रपुरी बांध तथा नेहरू सेतू के रूप में एक अदभूत नजारा है ।

रोहतास के पर्यटन स्थलों के चार भाग –

1. ऐतिहासिक धरोहर पर्यटन स्थल ।
2. दर्शनीय मंदिर पर्यटन स्थल ।
3. प्राकृतिक सौंदर्ययुक्त प्रर्यटन स्थल ।
4. ऐतिहासिक कलाकृतियों से युक्त पर्यटन स्थल केन्द्र ।

रोहतास में ईसा पूर्व से लेकर आधुनिक काल के भी कई ऐतिहासिक धरोहर हैं । इसके साथ प्राकृति ने भी रोहतास को सवारां है ।

जिले के दक्षिण क्षेत्र में कैमूर पहाडी और उसके जंगल एवं जलप्रपात सैलानियों को लुभाते है । तो महान शासक शेरशाह सूरी का मकबरा, हसनसूर शाह का मकबरा, रोहतास किला, शेरगढ किला पयटकों का मुग्ध करते है । ईसा पूर्व के अशोक का लघु शिलालेख, शैलचित्र व कई प्राचीन मंदिर को देखने देशी–विदेशी पर्यटन आते रहते है । सर्दियों की छुट्टियों में सैलानियों की संख्या में इजाफा हो जाता है जिले में अब हर सुविधाओं से परिपूर्ण रेस्टोरेन्टो व होटलों की भी कमी नही हैं । सासाराम व डेहरी में पर्यटकों ठहरने व खाने–पीने की समुचित व्यवस्था है । रेस्टूरेंट व होटलों में विदेशी पर्यटकों को देखते हुए विश्राम की सभी सुविधाएं मौजूद है ।

गढ का निर्माण अपनी सुरक्षा की दृष्टि से किया जाता है । समय–समय पर राजाओ ने अनेक गढ का निर्माण कराए है –

रोहतासगढः यह किला भारतीय प्राचीन दुर्गो मे अत्यन्त ही सुदृढ और अभेद्य है । बताया जाता है कि इसका निर्माण पौराणिक राजा हरिश्चन्द्र के पुत्र रोहिताश्व ने कराया था । इसकी दूरी सासाराम से 72 किमी. है । यह अकबरपुर नामक स्थान के बगल मे पहाड़ी पर स्थित है। यह कैमूर श्रृंखला पर है जो सतह से 1500 फीट उँचा है। इसकी परिधि 42 कि.मी. है। इसका वैभव आलिशान है जिसके कारण इसका यश आज भी प्रासगिक है। किले के मुख्य दरवाजे पर पत्थरो की कटाई करके इतने सुन्दर हाथी बनाये गये है कि उनका नाम हथियापोल पड़ गया है। इसमें सरायमहल, रंगमहल, शीशमहल, खूनमहल, रानी का झरोखा, कचहरी, सिंहासन कक्ष, विवाह–मण्डप, चौरासन, और जरासंध का सिंहासन आज भी विद्यमान है। इसमें सैकडों बड़े कमरे और हजारो छोटे कमरे है। इसकी सजावट पूर्णतः वैज्ञानिक पद्वति की है। वास्तुकला का यह अन्यतम उदाहरण है।

शेरगढ़ किलाः सासाराम से इस गढ़ की दूरी 42 किमी. है जो दक्षिण–पश्चिम दुर्गावती जलाशय के पास है । यह गढ़ कैमूर के शिखर पर विचित्रताओ से भरा है। इसका फैलाव 6 वर्ग मील है। कहा जाता है कि इसका निर्माण शेरशाह ने कराया था। इसका उपयोग सैनिक–कार्य के लिए हुआ करता था। वास्तुकला का अनुपम उदाहरण यहाँ देखते ही बनता है। यहाँ के दीवाने खास, नाचघर, तहखाने आज भी दर्शनीय हैं। दुश्मनों पर प्रहार करने के लिए बनी खिड़कियाँ, किले की दीवारों पर की गई नक्काशी तथा घोड़े के अस्तबल और किले पर चढ़ने की सीढ़ियाँ आज भी उपलब्ध हैं।

शेरशाह का मकबरा–यह मकबरा स्थापत्य कला का बोजोड नमुना है । इसे दूसरे ताज के नाम से कनिंघम ने पुकारा है । हार्बेल की मान्यता में यह मकबरा शेरशाह के व्यक्तित्व और चरि़त्र का चित्रण है । इस मकबरा की कलात्मक शोभा की भूरि भूरि प्रशंसा पर्सी ब्राउन ने की है। विश्र स्तरीय धरोहरो मे शेरशाह का मकबरा भी एक है। इसका रख–रखाव विगत 30 वर्षो से भारत सरकार का पुरातत्व विभाग कर रहा है। सासाराम मे आयताकार सरोवर के बीच अष्टभुजाकार इस मकबरे की उँचाई 115 फुट है जो ताजमहल से भी 13 फुट ज्यादा है। लिखा गया है कि यह मकबरा 16वीं शदी में निर्मित है, पर संदेह होता है कि यह मकबरा इससे भी प्राचीन है। इसकी लंबाई 1130 फीट और 865 फीट है। रौजा तक जाने के लिए पहले पूरब दिशा मे लाइब्रेरी से रास्ता था, किन्तु बाद मे उत्तर दिशा से मकबरा तक जाने के लिए 350 फीट लम्बा पुल बनाया गया। गुम्बद का व्यास 80 फीट है। यह मकबरा तीन मंजिला है। उपर जाने के लिए उँची–उँची सीढियाँ हैं। इस मकबरे का क्षेत्रफल 22 एकड़ में है। रौजा के अन्दर अनेक कब्र हैं।

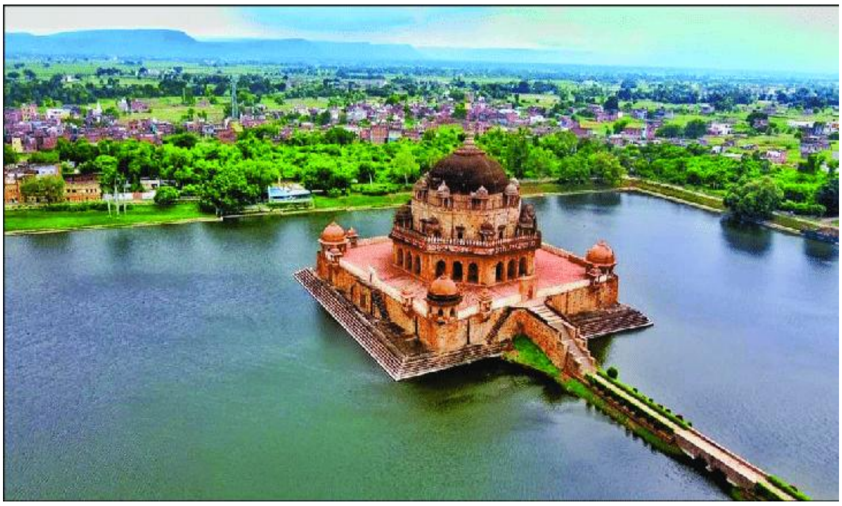

हसनसूर का रौजाः यह अष्टकोणीय रौजा एक बड़े मैदान में है जो पत्थर की चहारदीवारियो से घिरा हुआ है। इसका मुख्य दरवाजा पूरब की तरफ है। यह दिल्ली की शैली पर निर्मित है। इसके पत्थर शेरशाह के ससुराल चुनार से लाये गये थे। इसे सूखा रौजा के नाम से जाना जाता है। यह वर्तमान सासाराम के शेरगंज मुहल्ले मे पड़ता है। इस मकबरे की लम्बाई 345 फीट और चौड़ाई 296 फीट है। यह कंगूरेदार चहारदीवारी से घिरे आँगन के बीच में है। इस मकबरे मे 25 कब्रे हैं। यहीं इनकी बीबी का भी कब्र है। हसनखाँसूर की मजार बीच रौजे मे है। इस रौजे के पश्चिम एक छोटी सी मस्जिद है, जिसमें एक मदरसा भी है। इसके चारों तरफ हाता है। बीच–बीच में गुमटी है। मकबरे के पश्चिम हाते से सटे एक मस्जिद और एक गहरी बावली है।

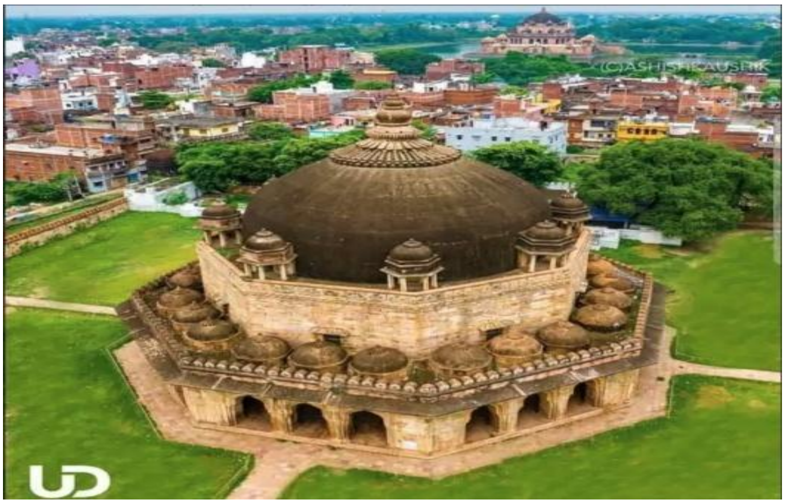

चंदन शहीद पीरः यह स्थान सासाराम शहर के पूर्वी छोर पर है। यहाँ अनेक दर्शनीय स्थल हैं जो अपना ऐतिहासिक व धार्मिक महत्व रखते हैं। उनमें पहला सम्राट अशोक का शिलालेख है तो दूसरा चंदन शहीद का मकबरा और तीसरा शिव जी का मंदिर। शिलालेख एक छोटी गुफा मे शिवलिंग के उत्तर में है। इसके नीचे नकटा नामक स्थल है जहाँ एक एक शैलचित्र से युक्त शैलाश्रय है और एक शुद्ध, स्वच्छ जलों से भरा जलाशय है।

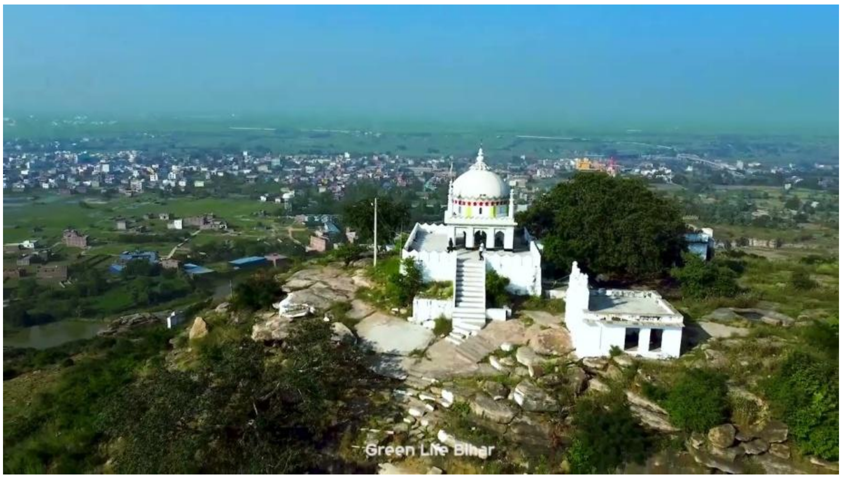

ये प्राचीन ऐतिहासिक धरोहर एवं पर्यटन स्थल, पर्यटको को आमंत्रित करते हैं जिससे पर्यटन विभाग को राजस्व एवं क्षेत्रीय जनता को जिविका का साधन तथा रोजगार के अवसर भी बढ़ने लगे है। इसलिए सरकार को पर्यटन केन्द्रो का संरक्षण और सहयोग कर बढ़ावा देना चाहिए ताकि पर्यटन केन्द्रो का भविष्य बेहतर बन सके।

सन्दर्भ

- हमारा रोहतास, धर्मचन्द प्रसाद।
- दैनिक समाचार पत्र।
- क्षेत्रीय पत्रिकाये।
- इंटरनेट।

भारत में जाति व्यवस्था और राजनीतिक परिवर्तन : एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

प्रोफेसर ऋषिकेश सिंह'

जाति व्यवस्था भारतीय समाज की प्रमुख विशेषताओं में एक है। माना जाता है कि जाति व्यवस्था को पूरी तरह समझे बिना भारतीय सामाजिक संरचना की जटिलता को समझना कठिन है। यद्यपि सामाजिक सुधार आन्दोलनों एवं नियोजित सामाजिक परिवर्तन तथा संवैधानिक प्रयासों ने इस व्यवस्था के स्वरूप को बदलने का प्रयास किया है लेकिन इस प्रयास के बावजूद भी संरचना भिन्नता के रूप में यह व्यवस्था यथावत बनी हुई है। केवल उनके प्रकार्य एवं संगठन के स्वरूप में ही परिवर्तन आया है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं धार्मिक निर्योग्यताओं, शोषण, अमानवीय तथा निम्नतम सामाजिक स्थिति के कारण जाति व्यवस्था नें न केवल समाज सुधारकों एवं समाज वैज्ञानिकों का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट किया है बल्कि यह राजनीतिज्ञों एवं राजनीतिक वैज्ञानिकों के अध्ययन का भी प्रमुख केन्द्र बिन्दु बन गया है।

स्वतत्रंता प्राप्ति के बाद भारतीय लोकतंत्र में सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त हुआ और विकास के कार्यक्रमों से निम्न सामाजिक स्थिति में अपेक्षित परिवर्तन लाने का प्रयास किया गया है । वर्तमान अध्ययन में यही जानने का प्रयास किया गया है कि नवीन राजनीतिक संरचना और राजनीतिक प्रक्रियायें किस मात्रा में राजनीतिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी हैं और विभिन्न जातियों में सत्ता प्राप्ति की अभिलाषा किस प्रकार राजनीतिक परिवर्तन के लिए जिम्मेदार है।

भारतीय समाज जातियों का समुच्चय है। विभिन्न जातियां खानपान, विवाह–सम्बन्ध, व्यवसाय, जन्म पर आधारित विशिष्ट परिस्थिति छूआछूत और विभेद आदि मूल्यों के अनुसार एक–दूसरे से भिन्नता बनाए हुए हैं। सामाजिक स्तरीकरण में इन जातियों की स्थिति क्रमबद्ध है। इस क्रम में अस्पृश्य जातियां सबसे निचले स्तर पर है। अस्पृश्य जातियां और अन्य दलित जातियों को संवैधानिक संरक्षण तो प्राप्त है लेकिन उनकी सामाजिक–आर्थिक स्थिति और जीवन शैली में अन्य पिछड़ी जातियों और उच्च जातियों के समान परिवर्तन नहीं हुआ है लेकिन 1990 के दशक के बाद व्यापक राजनीतिक परिवर्तन देखा जा सकता है।

पूर्व वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था नहीं थी, यह उत्तर वैदिक काल से शुरू हुई। इस समय वर्णों में कठोरता

'प्रोफेसर, स्नातकोत्तर राजनीति शास्त्र विभाग, श्री लाल बहादुर शास्त्री स्नातकोत्तर महाविद्यालय, गोण्डा, उ0प्र0–अवैतनिक अवकाश पर , प्राचार्य, श्री कृष्ण गीता राष्ट्रीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, लालगंज, आजमगढ़ ।

आई और धीरे–धीरे जाति का रूप लेने लगी तथा यह व्यवस्था कर्मण्यना के स्थान पर जन्मना होने लगी। धर्म शास्त्रों के समय वर्ण व्यवस्था का जो स्वरूप निर्धारित हुआ वह बाद के समाजों के लिए आदर्श बन गया। वर्ण को पूर्णतया जन्मना माना गया। स्मृति ग्रंथों में विभिन्न वर्णों के व्यवसायों एवं कर्तव्यों की पूर्ण व्याख्या मिलती है। परम्परागत चार वर्णों के अतिरिक्त समाज में बहुसंख्यक वर्ण शंकर जातियां उत्पन्न हो गई। मनुस्मृति में वर्ण व्यवस्था के सिद्धान्त का स्पष्टतः निर्धारण मिलता है। मौर्यकाल आते–आते वर्णाश्रम व्यवस्था को एक निश्चित आधार प्राप्त हो चुका था। वर्ण कठोर होकर जाति के रूप में बदल गए जिसका आधार जन्म था। गुप्तकाल में वर्ण व्यवस्था में कुछ नमनीयता देखने को मिली। गुप्तकाल के बाद वाह्य आक्रमणों के कारण समाज में अव्यवस्था फैली जिससे वर्ण व्यवस्था को ठोस आधार पर प्रतिष्ठित करने के प्रयास हुए तथा खानपान व वैवाहिक सम्बन्धों में कट्टरता आई। राजपूत काल आते–आते परम्परागत वर्ण विभिन्न उपजातियों में विभक्त हो गए, जातियां उपजातियों में विभक्त हुई। सामाजिक बन्धन कठोर बन गए जिससे हिन्दू समाज हजारों टुकड़ों में विभक्त हो गया।

जाति शब्द जन से बना है जिसका अर्थ है जन्म लेना। इस प्रकार स्पष्ट है कि जाति वर्ण से पृथक संस्था है। वर्ण चार हैं जबकि जातियों की कोई सीमा नहीं है। वर्ण परिवर्तन सरल है किन्तु जाति परिवर्तन कठिन। विभिन्न जातियों के बीच खानपान पर प्रतिबन्ध था लेकिन वर्ण व्यवस्था में इस तरह का कोई प्रतिबन्ध नहीं था। इरावती कर्वे ने जातियों को अन्तर्विवाह तथा विस्तृत नातेदारी समूह माना। उनके अनुसार यदि हम भारतीय संस्कृति को समझना चाहते हैं तो जाति प्रथा का अध्ययन नितान्त आवश्यक है।[1] मदान मजूमदार ने जाति को बन्द वर्ग के रूप में दखा है।[2] कूले के अनुसार जब एक वर्ण पूर्णतः अनुवांशिकता पर आधारित हो जाये तो हम उसे जाति कहते हैं।[3] जे.एच. हट्टन जाति ऐसी व्यवस्था है जिसके अन्तर्गत एक समाज अनेक आत्मकेन्द्रित एवं एक दूसरे से पूर्णतः पृथक इकाईयों में विभाजित रहता है। इनके इकाईयों के बीच पारस्परिक सम्बन्ध ऊँच–नीच के आधार पर सांस्कारिक रूप से निर्धारित होते हैं।[4] वल्ट के अनुसार जाति एक अर्न्तविवाही समूह अथवा अर्न्तविवाही समूहों का संकलन है जिसका एक सामान्य नाम होता है जिसकी सदस्यता अनुवांशिक होती है जो सामाजिक सहवास के सम्बन्ध में कुछ प्रतिबन्ध लगाता है। इसके सदस्य एक सामान्य परम्परागत व्यवसाय को करते हैं अथवा किसी सामान्य आधार पर अपनी उत्पत्ति का दावा करते हैं और इस प्रकार एक समरूप समुदाय के रूप में मान्य होते हैं।[5]

इस प्रकार हम देखते हैं कि जाति जन्म पर आधारित होती है और कोई भी व्यक्ति अपने गुणों, सम्पत्ति एवं शिक्षा में वृद्धि करके या व्यवसाय में परिवर्तन करके अपनी जाति नहीं बदल सकता है। व्यक्ति जिस जाति में जन्म लेता है जीवन पर्यन्त उसी का सदस्य बना रहता है। और हर जाति अपने सदस्यों पर खानपान, विवाह, पेशा और सामाजिक सहवास सम्बन्धी अनेक प्रतिबन्ध लागू करता है।

जाति व्यवस्था के बारे में प्रजातीय सिद्धान्त भी है जिसके समर्थक रिजले, एन.के. दत्ता, एच. राव, घुरिये, मैक्स मूलर हैं। इन विद्वानों का मत है कि जाति व्यवस्था आर्यों की देन है। विजेता प्रजातियों ने विजित समूहों को शूद्र या सेवक वर्ग बना दिया जिससे उनकी वंशानुगत शुद्धता नहीं रही। सर्वप्रथम हरवर्ट रिजले ने यह मत प्रतिपादित किया कि जाति प्रथा की उत्पत्ति प्रजातीय विभेदों के कारण हुई तथा शारीरिक विशेषताओं के आधार पर जातियों को पहचाना जा सकता है।[6] डॉ. घुरिये ने भी रिजले के प्रजातीय सिद्वान्त को स्वीकार किया है। वे आर्यो अनार्यो के प्रजातीय और सांस्कृतिक सम्पर्क को जातीय व्यवस्था के लिए उत्तरदायी मानते हैं। रक्त शुद्धता की भावना के कारण आर्यो, अनार्यो में कई उच्च एवं निम्न समूह बने। जाति व्यवस्था का आदि स्रोत आर्यो एवं द्रविणों के बीच पाया जाने वाला प्रजातीय भेद था।[7]

जाति की उत्पत्ति को व्यवसाय के साथ नेसफील्ड़ ने जोड़ा। वे व्यवसाय को ही जाति प्रथा के लिए उत्तरदायी मानते हैं। उनके अनुसार श्रम विभाजन के रूप में या समाज के विभिन्न कार्यों में दक्षता के आधार पर पृथक–पृथक

समूह बन गए थे। यही कारण है कि एक व्यवसाय विशेष करने वाले लोगों ने अपने को एक जाति का घोषित का किया। व्यवसायों की उच्चता एवं निम्नता उनकी पत्रितता एवं अपवित्रता के आधार पर ऊँच एवं निम्न जाति का निर्धारण हुआ।[8]

इस प्रकार जाति व्यवस्था की उत्पत्ति के बारे में कोई सार्वभौमिक सहमति नहीं है। फिर भी तुलनात्मक रूप से व्यवसायिक सिद्धान्त को अधिक महत्व दिया जाता है। चाहे जिस रूप में हो व्यवसाय का स्वरूप जाति के साथ गहराई के साथ जुड़ा हुआ है। जाति मूलतः भारतीय जन मानस की वह धूरी है जिसके चारों ओर सम्पूर्ण सामाजिक संस्थाएं, व्यवस्थाएं, संगठन आदि चक्रीय रूप से निरन्तर परिभ्रमण करते रहे हैं। जाति ब्यवस्था ने केवल हिन्दुओं को ही नहीं मुसलमानों को भी प्रभावित किया। मध्यकाल में राजनीतिक दृष्टि से शक्तिशाली मुसलमानों का एक छोटा सा समुदाय ही भारत के अभिजात वर्ग का हिस्सा था। मगर अधिकांश मुसलमान जो निम्न जातियों से धर्म परिवर्तन करके आए थे मुसलमान जातियों के सोपान में सबसे नीचली सीढ़ी पर थे।[9]

भारतीय जातीय व्यवस्था पर चोट यूरोपीय संस्कृति की पड़ी। 18वीं शताब्दी में यूरोपीय देशों का सम्पर्क भारत के साथ बढ़ा। परिणामस्वरुप नव जागरण हुआ । वास्तव में नव जागरण एक सामाजिक–सांस्कृतिक आन्दोलन है, जिसमें कुरीतियों को दूर करने, दलितों, स्त्रियों सहित समाज के कमजोर तबकों की स्थिति में सुधार लाने, धार्मिक अन्धविश्वास, कर्मकाण्ड के विरूद्ध जन–जागृति पैदा करने एवं शिक्षा का प्रसार तथा लोगों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करने और सामाजिक अन्याय के विरूद्ध जन अभियान चलाने से सम्बन्धित प्रयत्न सम्मिलित है। राजाराम मोहन राय आधुनिक भारत में सामाजिक सुधार और नव जागरण के प्रेरणा स्रोत थे। इसके बाद दयानन्द सरस्वती ने आर्य समाज के माध्यम से अस्पृश्यता को दूर करने का प्रयास किया तथा शुद्धि के माध्यम से अस्पृश्य को वर्ण व्यवस्था में सम्मिलित कर स्पृश्य बनाया। इन्होंने शूद्रों और दलितों को वेदों का अध्ययन करने, जनेऊ पहनने और मंत्रोच्चारण की स्वतंत्रता प्रदान की।

प्रथम विश्वयुद्ध के बाद महात्मा गांधी ने रचनात्मक कार्य प्रारम्भ किया जिसमें अस्पृश्यता निवारण पर विशेष ध्यान दिया गया। उन्होंने अछूतों को सम्मान जनक नाम 'हरिजन' दिया और उनके लिए हिन्दुओं के बराबर सामाजिक और धार्मिक अधिकार तथा आर्थिक एवं राजनीतिक सुरक्षा प्राप्त कराने का प्रयास किया। ज्योतिबा फूले और ए.बी. नायर आदि समाज सुधारकों ने दक्षिण भारत में दलितों के सामाजिक व्यवस्था में सुधार लाने का प्रयास किया तथा उनके आत्म सम्मान की रक्षा के लिए काफी प्रयास भी किया। डॉ0. अम्बेडकर ने भारत में दलित मुक्ति आन्दोलन का पूरा परिदृश्य ही बदल दिया। सार्वजनिक जीवन में प्रवेश के कुछ ही वर्षों बाद उन्होंने दलितों के राजनीतिक पृथक्करण की मांग की, जिसे पूना पैक्ट के तहत दलितों को विशेष रियायतें दिये जाने के आश्वासन के बदले में उन्हानें छोड़ दिया। अन्ततः जीवन के आखिरी दिनों में वर्ण व्यवस्था से क्षुब्ध होकर उन्होंने हिन्दू धर्म को सदा के लिए तिलांजलि दे दिया और बौद्ध धर्म की दिक्षा ले ली।

जाति व्यवस्था कैसे बदले ? जाति कैसे टूटे ? विचारकों के एक वर्ग को यह प्रश्न निरन्तर मथता रहता है। निर्गुण संतो से लेकर वर्तमान सदी तक अनेक लोगों ने जाति के औचित्य पर प्रश्न खड़े किए और अपने–अपने स्तर पर तथा अपनी–अपनी तरह से उसका विरोध भी किया, किन्तु उनके एकल प्रयास जाति के मजबूत किले को ध्वस्त करने में नाकामयाब रहे क्योंकि जाति बिरादरी जन्मगत होती है और विवाह सम्बन्ध जाति के अन्दर ही होता है। जातियों की संख्या हजारों की संख्या में हैं और हर जाति की एक पंचायत होती रही है जो उस जाति के नियम और आचार–विचार का नियमन करती रही है। ऊंची जातियों को तो छोड़िये नीची जातियों और अछूत समझे जाने वाले लोंग भी जातियों के पदसोपान में बटे हुए रहे हैं।

भारत में लोकतांत्रिक शासन होने पर जाति व्यवस्था के प्रभाव के कारण दो महत्वपूर्ण राजनीतिक परिवर्तन हुए। प्रथम यह कि राजनीतिक क्षेत्र, सर्वसाधारण के प्रवेश के लिए खुल गया और अवसरों की समानता ने हर जाति के लोगों को राजनीति में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। द्वितीय यह कि राजनीतिक सफलता के लिए बहुमत के समर्थन को प्राप्त करने की आवश्यकता ने उच्च जाति के लोगों को इस बात के लिए बाध्य किया कि वे अपनी पम्परावादी अभिवृत्ति को परिवर्तित करें और राजनीतिक भाषा को ग्रहण करें। इन दोनों के परिवर्तनों के फलस्वरूप जाति व्यवस्था का परम्परावादी स्वरूप परिवर्तित हो गया और अब जाति स्वयं कोई लक्ष्य न रहकर राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने का एक साधन मात्र बन गई।

स्वतंत्रता के पश्चात स्थापित होने वाले राजनीतिक तंत्र, लोकतांत्रिक शासन पर जाति व्यवस्था के प्रभाव के कारण जातीय आधार पर अनेक राजनतिक दलों का निर्माण हुआ और विभिन्न जातियों के लोग अपने लक्ष्यों एवं हितों को दृष्टि में रखते हुए इन राजनीतिक दलों में सम्मिलित होने लगे, परिणामस्वरूप जिन राजनीतिक दलों की स्थापना हुई उसमें लगभग सभी जातियों के लोग सम्मिलित हुए और इस तरह राजनीतिक उद्देश्यों ने ब्राह्मणों से लेकर शूद्रों तक को एक ही राजनीतिक मंच पर लाकर खड़ा कर दिया। फलतः जातीय व्यवस्था का स्वरूप परिवर्तित हुआ।

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में राजनीतिक संरचना में व्यापक परिवर्तन हुआ। संविधान की प्रस्तावना में जातीय विभेद अवैधानिक अभिसूचित किया गया है और वयस्क मताधिकार द्वारा राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर प्रदान किया गया है। फलतः समाज में प्रचलित जातीय बन्धन शिथिल पड़ गए। प्रो. एम.एस. सईद के अनुसार भारत के विभिन्न राज्यों में जाति राजनीति के मध्य अन्तःक्रिया के चार स्वरूप विकसित हुए। प्रथम स्वरूप, दक्षिण भारत में मुख्यतः तमिलनाडु में दिखाई देता है जहां ब्राह्मण तथा गैर–ब्राह्मण के मध्य संघर्ष सुदीर्घ परम्परा है। दूसरा स्वरूप, महाराष्ट्र जिसकी स्थिति तमिलनाडु से सर्वथा भिन्न थी यहां पर मराठा तथा ब्राह्मण का संघर्ष सदैव चलता रहा। तीसरा स्वरूप, गुजरात, आन्ध्र प्रदेश तथा कर्नाटक में दिखाई देता है जहां मध्यम वर्गीय जातियां संघर्षरत हैं। यह टकराव गुजरात में वन्या तथा पाटीदार, आन्ध्रा में कम्या और रेड्डी, कर्नाटक में लियापत तथा बोक्कालिंगा समुदायों के मध्य विद्यमान है। चतुर्थ स्वरूप, उत्तरी भारत के उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश राज्यों में दिखाई देता है जहां परम्परागत ढंग से ब्राह्मण, क्षत्रिय राजनीतिक शक्ति के धारक रहे हैं। परन्तु आज उत्तर भारत में सामाजिक गतिशीलता और रूपान्तरण का प्रथम चरण प्रारम्भ हो चुका है। दलित–पिछड़ी जातियों के द्वारा सवर्ण जातियों को गम्भीर चुनौती दी जा रही है। उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी ने दलित वर्ग में अपनी घुसपैठ बनाई और कई बार सत्ता प्राप्त की । वर्तमान समय में प्रत्येक राजनीतिक दल अपनी छवि दलित वर्ग के हित साधक के रूप में प्रदर्शित कर रहा है । प्रो. रजनी कोठारी का अभिमत है कि भारत में जाति का राजनीतिकरण हो रहा है। यह कैसी विडम्बना है कि सामाजिक प्रक्रिया में जाति का महत्व घट रहा है जबकि राजनीतिक दल और नेता इसे प्राणवायु देने में लगे हैं। लोक नायक जय प्रकाश ने अपनी वेदना व्यक्त की कि भारत में जाति प्रमुख राजनीतिक दल हैं प्रत्येक नागरिक अपने जातीय हितों के लिए राष्ट्रीय एवं नैतिक मूल्यों की भी अवहेलना करता है।

समाज में परिवर्तन के तरीकों में निर्वाचन एक राजनीतिक माध्यम है। इनसे नागरिकों में राजनीतिक चेतना संचार के साथ–साथ जीवन दृष्टिकोण बनते हैं तथा नए नेतृत्व उभरते हैं। भारत में जाति व्यवस्था और राजनीतिक तंत्र दोनों ने एक दूसरे को प्रभावित किया है और यह द्विपक्षीय प्रभाव इस कारण स्वाभाविक प्रतीत होता है कि आधुनिक समाजों में राजनीतिक सत्ता में बिना भागीदार बने कोई समूह अपना सम्पूर्ण विकास नहीं कर सकता। राजनीति एक प्रतियोगी प्रक्रिया है, इसका लक्ष्य कुछ निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए राजनीतिक सत्ता प्राप्त करना है।

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जब भारत की राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन आया और गणतंत्रात्मक शासन की व्यवस्था की गई तब धर्मनिरपेक्षता के सिद्धान्त को अपनाया गया। जातीय व्यवस्था को अवैधानिक घोषित किया गया

और वयस्क मताधिकार के द्वारा देश के प्रत्येक नागरिक को धर्म, जाति, मूल, वंशादि के भेदभाव को स्वीकार किए बिना राजनीति में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया तो परम्परावादी जातीय व्यवस्था के बन्धन ढ़ीले पड़े। उच्च राजनीतिक पद जो अब तक उच्च जातियों के जन्मजात अधिकार समझे जाते थे वे अब समाज के हर छोटे–बड़े, अमीर–गरीब, उच्च और निम्न जाति के लोगों के लिए उपलब्ध हो गए। राजनीतिक समानता ने सामाजिक असमानता की दीवारों को तोड़ दिया। बदलती हुई राजनीतिक परिस्थितियों में एक ओर निम्न जातियों को प्रवेश करने का अवसर मिला और दूसरी ओर नई राजनीतिक व्यवस्था में समुचित प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए उच्च जाति के लोगों को परिस्थितिवश निम्न जातियों के सहयोग और समर्थन के लिए हाथ फैलाना पड़ा, क्योंकि वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था में राजनीतिक पदों का आधार प्रतियोगिता बन गया। यहां तक कि गैर सुरक्षित निर्वाचित क्षेत्रों में भी उच्च जाति के मतदाताओं ने निम्न जाति के उम्मीदवारों को निःसंकोच रूप से अपने प्रतिनिधित्व के रूप में निर्वाचित किया।

भारत में जातीय संघ और समुदाय निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करने में उसी प्रकार की भूमिका अदा करते हैं जिस प्रकार पश्चिमी देशों में दबाव गुट।[10] भारत के सभी राजनीतिक दल और नेता ऊँचे शब्द में जातिवाद एवं जातीय राजनीति को हेय बताते हैं किन्तु वास्तविकता यह है कि सभी दल और नेता जातीय आधार पर अपने दल और दलीय प्रत्याशियों के लिए समर्थन मांगते हैं। यही नहीं अनेक दल अपने प्रत्याशियों का चयन भी जातीय आधार पर करते हैं। सरकार निर्माण की प्रक्रिया भी जातीय प्रभाव से मुक्त नहीं रहती। भारत की राजनीति में ऐसे उदाहरण भरे हैं कि अशिक्षित अंगूठा छाप व्यक्ति जाति के प्रभाव के कन्धे पर चढ़कर विधानसभाओं तथा संसद में प्रवेश करते हैं तथा जातिवादी राजनीति के बल पर मंत्री पद हथिया लेते हैं। प्रशासन तक जातिवाद से प्रभावित रहता है।

चुनाव में जातिवाद का प्रभाव हर कदम पर रहता है। उम्मीदवार का नामांकन, प्रचार और अन्त में मतदान जातिवादी भावनाओं से प्रभावित होते हैं। उदाहरणार्थ, प्रत्याशी तय करते समय राजनीतिक दल उम्मीदवार की जाति और चुनाव क्षेत्र के लोगों की जाति के मध्य तादाम्य स्थापित करने का पूर्ण प्रयास करते हैं अर्थात विशेष जाति का प्रत्याशी उसी जाति के बाहुल्य वाले चुनाव क्षेत्र में खड़ा किया जाता है। इस प्रकार जातिगत भावनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाने का प्रयत्न किया जाता है। उम्मीदवार अपने चुनाव क्षेत्र में मतदाताओं को जाति के आधार पर वगीकृत कर लेते हैं और तद्नुसार चुनाव के लिए कार्यकर्ता तय करते हैं। चुनाव प्रसार के लिए जाति के नेताओं को भेजा जाता है। अन्य जाति के विरूद्ध बात नहीं की जाती है क्योंकि प्रत्याशी उनका भी मत प्राप्त करने की चेष्टा करता है। आम सभाओं में दिए जाने वाले भाषण जातिवाद से परे और जातिगत एकता के समर्थक होते हैं किन्तु पर्दे के पीछे वास्तविक चुनाव प्रसार किसी अन्य प्रकार का होता है। मतदाताओं को जातिगत गठबन्धनों की प्रकृति समझाई जाती है और उनकी प्रभावों को इतना उभारा जाता है कि मतदान के समय जातिवादी तत्व अपना निर्णायक प्रभाव डाल सके।

राजनीतिक क्षेत्र में जातिवाद के इस प्रकार प्रवेश के कारण ही यह धारणा पाई जाती है कि जातिवाद ने भारत के लोकतंत्र के स्वरूप को विकृत कर दिया है। जबकि लाएड रूडाल्फ, सूजन उडाला का दावा है कि भारत की जाति व्यवस्था ने राजनीतिक जागृति और विभिन्न जातियों के राजनीतिकरण में सहयोग दिया है। उनका दावा इस तर्क पर आधारित है कि नई राजनीतिक व्यवस्था के स्थापित होने और परिणामस्वरूप प्रतियोगी राजनीति के वातावरण ने विभिन्न जातियों के लोगों को जो अभी तक देश के विभिन्न भागों में असम्बद्ध रूप से बिखरे हुए थे, एकता के सूत्र में बांध दिया है। जातिगत हितों के आधार पर विभिन्न दबाव गुटों का जन्म हुआ और इन जातियों ने संगठित होकर राजनीतिक प्रतियोगिता में भाग लेना शुरू कर दिया। जाति पर आधारित समूहो का निर्माण राजनीतिक आधुनिकीकरण के आदर्शों को स्थापित करने तथा संसदीय जनतंत्र के कुशल संचालन में सहायक हुआ है।

निष्कर्षतः यह निश्चित करना सम्भव नहीं है कि राजनीति, जातियों को विभाजित करती है अथवा उन्हें एकता के सूत्र में बांधती है। वास्तव में जिसे राजनीति में जातिवाद कहा जाता है वह जातियों के राजनीतिकरण से अधिक और कुछ नहीं है।

सन्दर्भ

1. इरावती कर्वे : किनाशिप आर्गेनाइजेशन इन इण्डिया, एशिया पब्लिशिंग हाउस, बाम्बे, पृ0 1.
2. मदान एवं मजूमदार : रेस एण्ड कल्चर इन इण्डिया, एशिया पब्लिशिंग हाउस, बाम्बे, पृ0 12, 1958.
3. कूले : सोशल आर्गेनाइजेशन, पृ0 11.
4. हुसैन, एस. आविद : भारत की राष्ट्रीय संस्कृति, पब्लिकेशन नेशनल बुक ट्रस्ट, इण्डिया, ए–5, ग्रीन पार्क, नई दिल्ली, पृ0 161–62, 1996.
5. नया मापदण्ड (त्रैमासिक पत्रिका), आचार्य रामचन्द्र शुक्ल साहित्य शोध संस्थान, अक्टूबर–दिसम्बर, जय प्रकाशन कर्दन 'आखिर जाति कैसे टूटे', पृ0 93–94.
6. हट्टन, जे.एच. : कास्ट इन इण्डिया, आम्सफोर्ड प्रकाशन, पे0 50, 1961.
7. घुरिये, जी.एस. : कास्ट, क्लास एण्ड एजुकेशन, पापुलर प्रकाशन, बम्बई, पे0 26–27, 1961.
8. नेसफील्ड : ब्राइफ्यू ऑफ द कास्ट सिस्टम, बम्बई, पृ0 7
9. बंट, ई.ए.एच. : द कास्ट सिस्टम इन नार्दन इण्डिया, पृ0 41.

❖

विभिन्न स्तरों पर विज्ञान

बृजेन्द्र कुमार सिंह'

परिचय – विज्ञान को पढ़ाए जाने का क्या उद्देश्य होना चाहिए ? अर्थात् विज्ञान की शिक्षा क्यों ? इस प्रश्न का जबाव ढूँढ़ते हुए हमारे सामने अति सामान्य प्रश्न उठ खड़ा होता है कि आखिर शिक्षा का उद्देश्य क्या है ? संक्षेप में गाँधी जी के इस कथन से बेहतर जबाब और क्या हो सकता है : 'सच्ची शिक्षा वही है जो बच्चे की शारिरिक, बौद्धिक और आत्मिक क्षमता को जाग्रत करें और उन्हें सामने लाए।'' इस कथन में जो बात अन्तर्निहित है और जिससे हम भी सहमत है कि शिक्षा में व्यक्ति व समाज को बदलने की क्षमता है, तो जन विशेष रूप से विज्ञान की शिक्षा की बात हो रही हो तो हमें क्या चाहिए ? यह बात तो साफ है कि विज्ञान के उद्देश्य पर किसी भी तरह की बातचीत से पहले हमें इसकी प्रकृति, इसके तरीके, इसकी संभावनाओं और सीमाओं पर गौर करना होगा।

भूमिका – वर्तमान युग में विज्ञान का प्रभाव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हमें दिखाई देता है। आज विज्ञान के बिना समाज की कल्पना करना असंभव है हमारी संस्कृति में विज्ञान घुल–मिल गया है। विज्ञान की शिक्षा के प्रचार व प्रसार से मानव की विचारधारा में अभूतपूर्व परिवर्तन आया है। इस परिवर्तन ने व्यक्ति की आर्थिक, समाजिक एवं सांस्कृतिक स्थिति को भी प्रभावित किया है । वैज्ञानिक उपलब्धियों से हमारे जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में सुधार तो हुआ है, वहीं कुछ नवीन समस्याएँ भी उपलब्ध हुई है। इस समस्याओं के समाधान के लिए विज्ञान का अध्ययन आवश्यक है, जिससे व्यक्ति बदलते हुए परिस्थितियों में अपने आपको समायोजित कर सकें।

विज्ञान शिक्षा के उद्देश्य – इसके अध्ययन के पश्चात अपेक्षा की जाती है कि आप सब –

1. विज्ञान का अर्थ व प्रक्रिया को समझ सकेंगे।
2. विज्ञान का उपयोग जान सकेंगे।
3. विज्ञान का समाज पर प्रभाव समझ सकेंगे।
4. विज्ञान शिक्षण के लक्ष्य व उद्देश्य को प्रस्तुत कर सकेंगे।
5. प्रकृति की शक्तियों और साधारण प्राकृतिक परिघटनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।

विज्ञान की प्रकृति – मनुष्य हमेशा से अपने परिवेश के प्रति जिज्ञासु रहा है। खोजी व कल्पनाशील मानव–मस्तिष्क ने प्रकृति की विचित्र व अचरज भरी घटनाओं को विभिन्न तरीकों से समझने का प्रयास किया। इन सब में जो तरीका शुरू से ही वरकरार रहा है – वह है आस–पास के जीव–जगत व भौतिक जगत को गौर से देखना और उसी के अनुसार अर्थपूर्ण पैटर्न एवं सम्बन्धों को खोजने का प्रयास, प्रकृति से जूझने के लिए नए–नए औजारों का निर्माण और इसे समझने के लिए सैद्धान्तिक ढांचे को विकसित करने की और अग्रसर होना यही मानव प्रयास विज्ञान है। विज्ञान एक जीवंत, नए

'सहायक अध्यापक, उच्च प्राथमिक विद्यालय–बेसहूपुर, शिक्षा क्षेत्र–मुजेहना, जनपद– गोण्डा।

से नए अनुभवों के अनुसार विस्तार पाता हुआ गतिमान ज्ञान है, लेकिन सवाल है कि यह ज्ञान कैसे उत्पन्न होता है ? आखिर क्या है वैज्ञानिक ? अन्य कई जटिल चीजों की भॉति वैज्ञानिक पद्धति को भी हम सभी जगह पाते हैं, इसकी बात तो सभी जगह होती है, लेकिन इसे परिभाषित करना अपेक्षाकृत कठिन साबित हुआ है। मोटे तौर पर इसके कई चरण है, जो आपस में संबन्धित हैंः गौर से निरीक्षण करना, नियमितताओं और खास पैटर्न की तलाश, संकल्पनाओं को गढना, गणितीय ढांचे तैयार करना, फिर उनसे निष्कर्ष निकालना, नियंत्रित प्रयोग और निरीक्षण के द्वारा उन निष्कर्षो के सही या गलत होने की जॉच करना और इस तरह अंततः उन सिद्धान्तों और नियमों तक पहुॅचना तो भौतिक जगत को नियंत्रित करते हैं। इन विभिन्न चरणों में कोई दृढ या निश्चित क्रम नहीं है। कभी कोई सिंद्धान्त हमें नए प्रयोग के लिए रास्ता दिखा देता है, तो कभी कोई प्रयोग नए सिद्धान्त को बता जाता है। विज्ञान में अनुमान और अटकलों के लिए भी जगह है, लेकिन अंततः किसी वैज्ञानिक सिद्धान्त को सर्वसम्मति से स्वीकार्य होने के लिए उसे उपयुक्त प्रयोगों अथवा निरीक्षणों की कसौटी पर खरा उतरना ही पड़ता है। विज्ञान के नियमों को कभी भी अंतिम सच के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता। यहॉ तक कि स्थापित और सार्वभौम नियम भी विज्ञान में स्थायी नहीं माने जाते। नए अनुभव, प्रयोग व विश्लेषण की रोशनी में इन नियमों में बदलाव आता रहता है। लेकिन अंततः विज्ञान एक सामाजिक परिघटना हैं । विज्ञान ज्ञान है और ज्ञान शक्ति। शक्ति से ही वुद्धि और आजादी मिलती है। कभी—कभी ऐसा भी देखा गया है कि शक्ति घमंड और तानाशाही को भी जन्म देती है। विज्ञान में हितकारक या हानिकारक, मुक्तिकारी या दमनकारी होने की क्षमता हैं। तो यह कैसे निश्चित किया जाए कि विज्ञान हमारे लिए मुक्तिकारी भूमिका ही निभाए ? इसके लिए हमें उन मुद्दो की ओर देखना होगा जिन्होने पूरी मानवता को ही विनाश के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। समाज में लोगों को गरीबी, अज्ञानता और अंधविश्वास के मकड़जाल से मुक्त कर विकास की दिशा में उन्मुक्त होने में विज्ञान सकारात्मक भूमिका निभा सकती है। विवेक के साथ वैज्ञानिक मनोभाव मानव कल्याण के लिए सबसे महत्वपूर्ण रास्ता है। इसी विश्वास की बुनियाद पर हम विज्ञान की शिक्षा की वकालत करते हैं।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी — विज्ञान के साथ जुड़ा हुआ एक मुद्दा यह भी है कि प्रौद्योगिकी को कैसे देखें? प्रौद्योगिकी को प्रायः अनुप्रयोगिक (एप्लायड) विज्ञान के रूप में लिया जाता है, जिसमें मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल ऑप्टीकल और इलेक्ट्रानिक यंत्र व सामान घरेलू और व्यापारिक वस्तुओं के साथ—साथ रासायनिक, जैविक ओर नाभिकीय विज्ञान के उत्पाद इत्यादि भी आते हैं। अब तो इस सूची में कम्प्यूटर और दूरसंचार भी शामिल हो गए हैं। तकनीकी के ये तमाम प्रकार एक—दूसरे से जुड़े हुए हैं और इसलिए प्रौद्योगिकी को खासकर आज की आधुनिक प्रौद्योगिकी को 'एप्लायड साइंस' के रूप में देखना गलत नहीं है। इसमें निष्कर्षो या परिणामों के बारे में पहले से ही कुछ नहीं कहा जा सकता जबकि प्रौद्योगिकी भी एक अन्वेषण ही है, लेकिन यहॉ लक्ष्य, पहले से ही निर्धारित होता है। प्रौद्योगिकी विज्ञान की तरह ही रचनात्मक है, क्योंकि सिद्धान्ततः इसमें भी एक ही लक्ष्य तक पहुॅचने के कई रास्ते हो सकते हैं। प्रगति की हमारी जो परिभाषा है उसमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी की उन्नति की धारणा निहित है। साथ ही पारंपरिक क्षेत्रों मसलन कृषि उत्पादन, भवन निर्माण, यातायात और मनोंरंजन की दुनिया को इस तरह बदल कर रख दिया है कि हम अचानक इन्हें पहचान भी नही पाएंगे। हम आज तेजी से बदल रही दुनिया का सामना कर रहे है जहॉ अत्यंत महत्वपूर्ण कौशल अपने—आपको जरूरत के अनुसार लगातार ढालते जा रहे हैं, और नए अवसरों के फायदें उठा रहें हैं। विज्ञान शिक्षा के लिए किसी भी तरह की योजना में इन बातों का खयाल रखना अत्यंत जरूरी है।

विज्ञान शिक्षा में शोध— लगभग 55 वर्ष पहले ही विश्व भर में विज्ञान शिक्षा को शोध के सवतंत्र विषय के रूप में मान्यता मिल गयी थी। इस शोध के सरोकार विज्ञान और सामान्य शिक्षा के सराकारों से अलग है। शुरू में

इसके तरीके ओर तकनीक विज्ञान से ही लिए गए, लेकिन अब शोध की प्रकृति की जरूरत के अनुसार नयी विधियॉ विकसित की जा रही हैं। हम इस प्रश्न से शुरूवात करना चाहते हैं कि शिक्षण का कौन सा तरीका अन्य तरीकों से बेहतर है ? खास संदर्भो में इन तरीकों ने अच्छा परिणाम दिए लेकिन उन्हे हर जगह लागू करना कठिन था। कारण सभी कक्षाओं में वातावरण एक जैसा नहीं होता। शिक्षकों व विद्यार्थियों के बीच भी अंतर होता है। दरअसल, पढाना और सीखना, संदर्भ आधारित व जटिल प्रक्रियाएँ हैं और इस जटिलता को जाने बिना पढने पढाने की प्रक्रिया को समझना कठिन है, और समझे बिना इसे नियंत्रित करना यानी दूसरी जगह के लिए भी उपयोगी बनाना संभव नहीं। भारत में स्कूलों के लिए कम लागत के प्रयोगों को विकसित करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास किए गए हैं। विज्ञान शिक्षा के शोधों में इस बात पर ध्यान दिया गया कि कैसे विद्यार्थी प्रयोग करते हुए या उन्हें होते हुए देखकर विज्ञान सीखते हैं। इग्लैंड और अमेरिका या अन्य कई विकासशील देशों में और 1960 और 1970 के दशक में पाठ्यचर्या में ''इंक्वायरी'' या ''डिस्कवरी'' तरीकों के मूल्यांकनों के परिणाम स्वरूप इस प्रकार के शोधों को प्रेरणा मिली। विज्ञान में किसी सिद्धान्त या परिकल्पना के आधार पर ही अवलोकन किया जाता है। जबकि कक्षा में प्रयोग शिक्षण द्वारा अथवा पाठ्यपुस्तक द्वारा प्रेरित होते हैं। विद्यार्थी या तो कही गई बातों का अनुसरण करते हें या उन्हें कार्यरूप देते हुए देखते हैं। उन्हे यह भी बताया जाता है कि किस अवलोकन पर ध्यान दिया जाए और साथ ही उक्त अवलोकन के उपरांत क्या निष्कर्ष निकलकर सामने आएगा, यह भी पहले ही बता दिया जाता है यानी सबकुछ तयशुदा। उदाहरण के लिए एक प्रयोग को लें – मोमबत्ती जलाकर उसे गिलास से ढक दिया जाता है। फिर प्रश्न पूछा जाता है–''यह प्रयोग क्या दर्शाता है?'' सामान्य उत्तर है–''यह प्रयोग दर्शाता है कि हवा में ऑक्सीजन पाई जाती है।'' एकदम अप्रत्याशित निष्कर्ष लेकिन जिसे बिना किसी हिचक के कक्षाओं में स्वीकृति मिल जाती है। यह स्पष्ट है कि प्रयोग–आधारित विज्ञान के अधिगम को प्रभावी बनाने के लिए शिक्षकों और विद्यार्थियों के पास जगह और समय होना चाहिए ताकि वे प्रयोगों की योजना बना सकें। विज्ञान सीखने के लिए भाषा में दक्षता जरूरी है। भाषा आसपास की चीजों को सहज नाम देना भर नहीं है, यह सिद्धान्त निर्माण या धारणाओं के बनाने में औजार का काम करती है। यह अनुभवों के होने और उन्हे अभिव्यक्ति प्रदान करने का माध्यम भी है। द्वितीय भाषा में विज्ञान पढ़ना एक और बोझ बन जाता है, खासकर प्राथमिक स्तर पर। साथ ही पाठ्यपुस्तकों की भाषा में निरर्थक बोझिलता भी पाई गई है। पाठ्यपुस्तकों की भाषा को सहज बनाने पर कक्षा में विद्यार्थी–शिक्षक के बीच वेहतर संवाद स्थापित होते हुए पाया गया। शोध के उपरांत जो सबसे बड़ी बात सामने खुलकर आई, वह यह कि विद्यार्थी प्राकृतिक परिघटनाओं के बारे में जो धारणाऍं बनाते है या जिस प्रकार की तस्वीर उनके मन में होती है, वह पाठ्यपुस्तक में या कक्षा में शिक्षक के द्वारा प्रस्तुत धारणा से एकदम भिन्न होती है। उनकी अपनी जो धारणाएँ होती हैं उन्हे एकदम से गलत कहकर खारिज नहीं किया जा सकता क्योंकि उन धारणाओं के पीछे उनका अपना तर्क होता है, अक्सर जिसकी बुनियाद वे जो देखते हैं, अनुभव करते हैं, उस पर टिकी होती है। विज्ञान प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर– इस स्तर पर विज्ञान शिक्षण रोचक होना चाहिए। साथ ही बच्चे को अपने परिवेश से घुलने–मिलने और इसके बारे में बातें करने का समुचित अवसर देना चाहिए। इस अवसर पर मुख्य उद्देश्य है, बच्चे में परिवेश के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न करना और इसे खोजी एवं हाथ से करने वाले कार्यकलाप में शामिल होने हेतु प्रोत्साहित करना। यह भाषा कौशल अवलोकन, रिकार्डिग, वर्गीकरण, भेदीकरण, निष्कर्ष निकालने, चित्राकन, व्याख्या, डिजाइन, निर्माण अनुमान लगाना तथा मापन से विकसित होते हैं। पाठ्यचर्या को बच्चे में सफाई, ईमानदारी, सहयोग जीवन और परिवेश के प्रति गंभीर रूख जैसे मूल्य भी विकसित करने में मदद करनी चाहिए। मातृभाषा के माध्यम से सीखना बहुत स्वाभाविक है, इसलिए मातृभाषा का

प्रयोग करना चाहिए लेकिन उसमें भी ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे पर विज्ञान के उन शब्दों का बोझ ना पड़े जिन्हें वे समझ ही न पॉए।

प्राथमिक स्कूल के बच्चे, खासकर ग्रामीण व दूरदराज स्थित स्कूलो में प्राकृतिक जगत से सीधे संपर्क में होने की वजह से अच्छा–खासा अनुभव लिए होते हैं। पर्यावरण ओर इससे जुड़े कार्यक्रमों से बच्चों को सीधे जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। बच्चों को बीज बोना,पेड़ लगाना,पेड़ों की सुरक्षा करना,पानी को व्यर्थ बर्वाद नहीं करना आदि सीखना चाहिए। पठन–पठान के लिए किसी संरचना को लादना जरूरी नहीं है। संरचना से हमारा मतलब पहले से तय करके पढाया जाना। हम यह चाहते हैं कि विषय–वस्तु या उससे सम्बन्धित कार्यकलाप के बीच कोई कठोर क्रम ना रहे। बच्चों को औपचारिक मूल्यांकन नहीं होना चाहिए। शिक्षक को बच्चे का अवलोकन करते हुए ही मूल्यांकन भी करना चाहिए और इसे बच्चों के माता–पिता/अभिभावक से भी बताना चाहिए। बच्चों के सीखने के कुछ आयाम हैंः भाषा की समझ, पढने की क्षमता, अभिव्यक्ति की काबिलियत खुद काम करने और समूह में काम करने की कुशलता, अवलोकन, वर्गीकरण, ड्राइंग आदि करने के कौशल ये सभी इस अवस्था के बच्चों के अधिगम के आवश्यक अंग हैं। प्राथमिक शिक्षा की पूरी अवधि में किसी भी तरह की औपचारिक जॉच–परीक्षा नहीं होनी चाहिए। साथ ही अंक या ग्रेड देने, पास या फेल करने की किसी भी तरह की पहलकदमी नहीं होनी चाहिए। उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चे का विज्ञान से पहली बार ढंग से परिचय होता है। प्राथमिक स्तर के पर्यावरण अध्ययन को विज्ञान ओर प्रौद्योगिकी की दो शाखाओं में बॅट जाना चाहिए। इस स्तर पर पढाने के लिए चुनी गई वैज्ञानिक अवधारणाए बच्चों के अनुभव जगत से सम्बन्धित होनी चाहिए, ताकि वे इन्हे समझ सकें। प्रयोग आधारित विज्ञान शिक्षण विपरीत परिस्थितियों में भी संभव हे और इसके लिए ज्यादा बाहरी संसाधनों की जरूरत नहीं पड़ती सरल प्रयोगों और स्वयं करके सीखने के अनुभवों के अलावा बच्चों को अर्थपूर्ण और उद्देश्ययुक्त अनुसंघान में लगाना जो उनके लिए सार्थक और महत्वपूर्ण समझी जाएं इस अवस्था में बच्चों को सीखने से जोड़े रखने के लिए एक जरूरी शिक्षा व्यवहार भी है। प्रौद्योगिकी के तहत सरल मॉडल की डिजाइनिंग व निर्माण, सामान्य यांत्रिक व वैद्युत उत्पादों तथा स्थानीय प्रौद्योगिकी का व्यवहारिक ज्ञान आदि पढ़ाया सिखाया जा सकता है। उच्च प्राथमिक स्तर की पूरी अवधि में प्रक्रिया–कौशलों पर ही जोर डालना चाहिए ताकि बच्चा खुद अपने प्रयास से सीख सके सतत् व सावधि मूल्यांकन होना चाहिए। साथ ही उच्च प्राथमिक स्तर पर मूल्यांकन पूर्णतः आंतरिक होना चाहिए। इस स्तर पर बच्चे किशोरावस्था में प्रवेश करते हें और घर में लगी पावंदियो व माता–पिता या अभिभावक के द्वारा लादी गई सीमाओं को लॉघने का प्रयास करते हैं। खुद को आजाद समझने की पुष्टि करने के लिए धूम्रपान व सेक्स की तरफ उन्मुक्त होने की प्रकुति उनमें पनप सकती है। विज्ञान शिक्षा से मानव शरीर, प्रजनन, सेक्स, ड्रग्स, धूम्रपान आदि की जानकारी दी जा सकती है। स्कूल में हर सप्ताह कुछ समय नियत कर देना चाहिए जब बच्चे जानकारी प्राप्त कर सकें, अपने संदेहो व चिंताओ पर शिक्षकों से संवाद स्थापित कर सके और उसका निदान पा सके।

पाठ्यक्रम,पाठ्य पुस्तके एवं सामग्री– विगत दशकों के अनुभव हमें बताते हैं कि पाठ्यचर्या की रूप रेखा के उद्देश्यों और इनके व्यवहारों से समझौता–पाठ्यक्रम विकसित करने और पाठ्य पुस्तक लिखने की प्रक्रिया से ही शुरू हो जाता है। पाठ्यचर्या–निर्माण के समय हमें यह ध्यान में रखना चाहिए कि शिक्षक नीति संबंधी दस्तावेजो को प्रायः नहीं देखते और यदि उनका कुछ वास्ता इनसे होता भी है तो वह महज पाठ्य पुस्तकों तक जिसे उन्हें पढाना है। इसलिए पाठ्यचर्या–निर्माण की प्रक्रिया में हमें ऐसे प्रावधान करने होगें ताकि पाठ्यक्रमों, पाठ्यपुस्तकों और कक्षा की गतिविधियों तक इसकी आवाज पहुॅच सके। यदि हम इसे कार्यान्वित होते हुए देखना चाहते हैं तो हमें कुछ महत्वपूर्ण मुद्दो को ध्यान में रखना होगा।

गतिविधि आधारित विज्ञान शिक्षणः– गतिविधि आधारित शिक्षण एक बेहतर तथा व्यवहारिक शिक्षण पद्धति का एक भाग है। जिसमें शिक्षण को किताबी ज्ञान के जगह करके सीखने के लिए प्रेरित किया जाता है। पाठ्य सामग्री को रटने के बजाय गतिविधियों के माध्यम से सीखने तथा याद करने की प्रकृति को बढ़ावा दिया जाता है। इसके अलावा पहेलियॉ, खेल, रोलप्ले, कहानी सुनाना, वास्तविक वस्तुओं का उपयोग करके प्रदर्शन करना,छात्रों को शैक्षणिक दौरे पर ले जाना, विज्ञान विषय से सम्बन्धित वीडियो चलाना और कक्षा में इन सबका नियमित संचालन करना। खेल–खेल में बच्चों को आनंददायी शिक्षा गतिविधि के माध्यम से प्रदान किया जाए।

विज्ञान शिक्षा में सूचना एवं संचार तकनीक (आई0सी0टी0)– रेडियो, दूरदर्शन और इंटरनेट ने संचार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सत्तर के दशक में किया गया उपग्रह अनुदेशीय दूरदर्शन प्रयोग सेटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट (एस0आई0टी0ई0) वैश्विक स्तर पर संभवतः सबसे बड़ा सामाजिक प्रयोग था जिसने शिक्षा के क्षेत्र में उपग्रह संचार की महत्ता को स्थापित कर दिया। तब से शैक्षिक तकनीकी को देशभर में शिक्षा को सार्वभौमिक बनाने के मुख्य औजार के रूप में देखा जाने लगा। विगत दो दशको से कम्प्यूटर का बढ़ता प्रयोग दूरसंचार में हुए विकास और इंटरनेट के अन्य तकनीकी उपक्रमों के साथ मिलकर सूचना एवं संचार तकनीकी के रूप में शिक्षा के क्षेत्र में जहॉ नए अवसर खोले, वहीं नयी चुनौतियों को भी जन्म दिया। हांलॉकि विज्ञान के शिक्षण में आई0सी0टी0 के उपयोग की महत्ता को अच्छी तरह स्वीकारा जा चुका है। स्कूल, घर और कार्यस्थल पर कम्प्यूटर के बढते प्रयोग व इंटरनेट के फैलते जाल को देखते हुए आई0सी0टी0 शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में उपयुक्त होने के दावे के साथ सामने खड़ा है। इंटरनेट व्यापक संभावनाओं के द्वार खोलता है। यह पाठ्यचर्या व सह पाठ्यचर्या के संगत विषयो पर बच्चों के लिए इलेक्ट्रानिक प्लेटफार्म का कार्य करता है। जहॉ शिक्षक और बच्चे प्रश्न पूछने, उत्तर देने, बहस करने के अतिरिक्त विशेषज्ञों से भी राय ले सकते हैं। विज्ञान संचार में सामुदायिक रेडियो (एफ0एम0) के महत्व को भी जानना जरूरी है। विगत वर्षों में विकसित हुए उपग्रह रेडियो ने देशव्यापी विज्ञान चैनल शुरू किए जाने की संभावना को जन्म दिया हैं। आई0सी0टी0 का उपकरण के रूप में उपयोग सावधानी के साथ करना जरूरी है ताकि सामाजिक विषमता व अवसरों की असमानता को कम किया जा सके। स्कूलों में आई0सी0टी0 का उपयोग कर बच्चों को उक्त स्थिति से सामना करने व उसमें टिके रहने के लिए तैयार करने का प्रयास किया ही जाना चाहिए।

विज्ञान शिक्षण के माध्यम से समाज में व्याप्त अंधविश्वास को खत्म करना – विज्ञान का अध्ययन और विस्तार अंधविश्वास को खत्म करता है। अनेक वैज्ञानिक हुए जिन्होने अपने प्रयोगों से अंधविश्वास को दूर करने का कार्य किया है। भारत में अंधविश्वास की जड़े काफी गहरी थी जिसको दूर करने में समय लगा है। अभी भी सम्पूर्ण भारत से अंधविश्वास दूर नहीं हुआ है। 21वीं सदी में मानव दैनिक जीवन में विज्ञान को महत्व दे रहा है। अंधविश्वास को जड़ से खत्म करने के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विस्तार वेहद जरूरी है। 55 साल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के कारण जीवन व पर्यावरण में बड़े स्तर बदलाव हुए हैं। घर से निकलतें हुए छींक आ जाना, बिल्ली का रास्ता काट देना, पूजा के दीए का बीच में बुझ जाना, आधी रात में कुत्ता भौंकना, भूत–प्रेत का साया होना इत्यादि बातें हैं जिससे लोग सदियों से डरते आ रहें हैं। भारतीय समाज को इसी प्रकार के अंधविश्वास ने पूर्ण रूप से जकड़ रखा था।दरवाजे पर नींबू मिर्च लटकाना,रात को नाखून नही काटना, नदी में सिक्का फेंकना आदि अंधविश्वास को विज्ञान की जानकारी होने के कारण दूर किया गया है।

जेण्डर और विज्ञान शिक्षा– विभिन्न अध्ययनों से ज्ञात हुआ है कि क ही कक्षा में होने के बावजूद लड़कियो को लड़को की अपेक्षा अलग तरह की विज्ञान की शिक्षा दी जाती है। दूसरों की तरह विज्ञान की पाठ्यपुस्तकों व शिक्षक भी जेंडर–जनित पूर्वाग्रहो से ग्रस्त होते हैं। विज्ञान शिक्षक के मन में भी जंडर की प्रचलित छवि जड़ जमाए होती है।

पाठ्यपुस्तकों और कक्षा से जेंडर पूर्वाग्रह खत्म करने के लिए ज्यादा गंभीर प्रयास करने की जरूरत है। सेवापूर्व व सेवा के दौरान शिक्षकों में जेंडर के प्रति जागरूकता लाना जेंडर पूर्वाग्रह–मुक्त विज्ञान शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जरूरी है। साथ ही ज्यादा से ज्यादा लड़कियॉ विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आए इसके लिए उन्हें और उनके माता–पिता अभिभावको को प्रोत्साहित करना जरूरी है। शिक्षकों को कक्षा में एक समान व्यवहार करना चाहिए जिससे लड़कियों को विज्ञान की अच्छी शिक्षा मिल सके। शिक्षक, शिक्षक–प्रशिक्षक, पाठ्यपुस्तक लेखक और शैक्षणिक–प्रशासकों को लिंग से सम्बन्धित मुद्दों के प्रति जागरूक और जिम्मेदार बनाना जरूरी है। इन अध्ययनों से मिलने वाली शिक्षा, दिशा और दृष्टि से शिक्षकों को भी अवगत कराया जाना चाहिए।

विज्ञान शिक्षण के माध्यम से खोजी प्रवृत्ति एवं रचनात्मकता में वृद्धि– स्थानीय/जिला/राज्य स्तर पर आयोजकों के साथ–साथ राष्ट्रीय स्तर पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी मेला आयोजित करना जरूरी है ताकि खोजी/रचनात्मक प्रतिभा की खोज की जा सके और विज्ञान के प्रति इस तरह की प्रतिभा को विकसित भी किया जा सके। इस संदर्भ में वर्तमान गतिविधियों के स्तर को कई तरीकों का इस्तेमाल कर उठाना जरूरी है। इसके लिए गैर सरकारी संगठन, शिक्षक संगठन,राज्य व केन्द्रीय स्तर की संस्थाओं के बीच अर्न्तसंवाद आदिः देश में मौजूद विशेषज्ञों को जागरूक करना और वित्तीय सहायता प्रदान करना इत्यादि।विज्ञान पाठ्यचर्या में सभी स्तरों पर ढांचागत परिवर्तन लाना जरूरी है। कार्यकलापों, प्रयोगों, प्रौद्योगिकी मॉड्यूल्स, संदर्भीकरण आदि के माध्यम से रचनात्मकता और अनौपचारिक चैनल मसलन,परियोजना–प्रदर्शनी,बाल विज्ञान कांग्रेस आदि के माध्यम से पाठ्यचर्या–सहभागी और पाठ्यचर्येतर कार्यकलापों को बढावा देना चाहिए।

सारांश – विज्ञान जो कुछ जानकारी, निष्कर्ष तथा ज्ञान प्रस्तुत करता है वह प्रत्यक्ष प्रमाणों और परीक्षणों पर आधारित होता है। विज्ञान भौतिक जगत का व्यवस्थित और आनुभविक ज्ञान है जिसे अवलोकन और परीक्षण के द्वारा प्राप्त किया जाता है। यह अनुमान, अटकल, कल्पना, अथवा दर्शन पर आधारित नहीं होता। विज्ञान संपूर्ण या आंशिक रूप से ब्रह्माण्ड की प्रकृति का वर्णन करने और समझने का प्रयास करता है। विज्ञान का ज्ञान सुव्यवस्थित, क्रमबद्ध, तार्किक तथा अधिक स्पष्ट होता है। इससे सम्पूर्ण वातावरण में पायी जाने वाली वस्तुओं के परस्पर सम्बन्धों का अध्ययन किया जाता है तथा निष्कर्ष निकाले जाते हैं। विज्ञान के विभिन्न नियमों, सिद्धांतो, सूत्रों आदि में संदेह की संभावना नहीं रहती है। प्रासंगिक जानकारी, प्रयोगात्मक परिणम, विश्लेषण और उस डेटा से निकाले गए निष्कर्ष शामिल होने चाहिए। विज्ञान की वजह से मनुष्य ने इतनी तरक्की कर ली है कि आज संसाधन के साधनों में शिक्षा, मनोरंजन, चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत प्रगति कर ली है। विज्ञान एक वरदान के रूप में मानव के जीवन में आया है।

सन्दर्भ

पेडागोजी ऑफ फिजिकल सांइस (एन0सी0ई0आर0टी0, नई दिल्ली)

विज्ञान का अध्ययन(इग्नू, नई दिल्ली)

मानव संसाधन विकास मंत्रालय(लर्निंग विदाउट वर्डन)

सामान्य विज्ञान शिक्षण(पं0 सुन्दर लाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय विलासपुर, छत्तीसगढ़)

डायग्नोसिंग लर्निग इन प्राइमरी साइंस (होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन, मुंबई)

पत्रकार नरेंद्र मोहन की काव्य यात्रा : एक अनुशीलन

लक्ष्मीनाथ पाण्डेय'

पत्रकार नरेंद्र मोहन जी देश के प्रतिष्ठित समाचार–पत्र दैनिक जागरण के प्रधान संपादक रहे, देश दुनिया के सम्मानित पत्रकार माने गए। उनका जन्म 10 अक्टूबर 1934 कालपी, जनपद जालौन उत्तर प्रदेश में हुआ था। माता श्रीमती लक्ष्मीदेवी और पिता श्री पूर्णचंद्र गुप्त जी थे। वर्ष 1965 से 2002 तक दैनिक जागरण के प्रधान संपादक रहे। 1980–81 में उत्तर प्रदेश संगीत अकादमी के अध्यक्ष रहे और 1989–90 में प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के भी अध्यक्ष रहे, 20 सितंबर 2002 को नरेंद्र मोहन जी का निधन हो गया। अक्सर यह देखा गया है कि एक साहित्यकार साहित्य–कर्म के साथ–साथ पत्रकारिता के कार्य को भी एक नई ऊंचाई पर ले जाता है। हमारे देश में अनेक ऐसे उदाहरण देखे गए हैं जहाँ एक श्रेष्ठ रचनाकार अपने रचना–कर्म से साहित्य क्षेत्र को गौरवान्वित करता रहा है साथ ही साथ पत्रकारिता के कार्य में भी उतना ही प्रभावपूर्ण रहकर साहित्य और पत्रकारिता के अद्भुत संगम का उदाहरण भी बन गया। ऐसे अनेक व्यक्तित्व रहे हैं जैसे माखनलाल चतुर्वेदी जी, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, बालमुकुंद गुप्त जी, रघुवीर सहाय जी, गणेश शंकर विद्यार्थी दी जी आदि महान साहित्यकार रहे हैं जो अपनी अद्भुत रचनाओं से समाज को एक नई दिशा देते रहे हैं, वहीं दूसरी ओर एक पत्रकार के रूप में अपनी लेखनी की धार से समाज व शासन को जागरूक करने का कार्य भी करते रहे। अतः मन में यह जिज्ञासा उठी कि देश के महान साहित्यकारों ने अपनी रचना–धर्मिता से अपनी लेखनी से साहित्यिक लेखन और पत्रकारिता लेखन में विशेष पहचान बनाने में पूरी तरह कामयाब रहे, तो एक पत्रकार जब पत्रकारिता के क्षेत्र से साहित्यिक क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उसके लेखन में क्या कोई परिवर्तन आता है ? क्या उसकी भाषा शैली में वही स्पष्टता और तीखापन का भाव रहता है जो पत्रकारिता में रखता है अथवा साहित्यिक धारा में बहते हुए भाव सौंदर्य व शिल्प सौंदर्य की संवेदनशीलता में कुछ नयापन लाता है। इसलिए यह जानना स्वाभाविक हो गया कि एक पत्रकार अपनी पत्रकारिता की मुखरता को बनाए रखते हुए साहित्य की कोमल भाव–धारा को लेकर आगे बढ़ता है और दोनों में एक बारीक अंतर बनाते हुए किस हद तक अपनी रचना धर्मिता को समाज के लिए प्रेरणादायी बना सकता है। वरिष्ठ पत्रकार नरेंद्र मोहन जी सजग पत्रकार के साथ–साथ अध्यात्म की भावना से ओतप्रोत एक श्रेष्ठ रचनाकार के रूप में भी हमारे सामने आते हैं। वे एक बड़े साहित्यकार, दार्शनिक और चिंतक भी थे। उन्होंने साहित्य में विचार, भाव, रस को आधार बनाकर अपने गद्य और पद्य की रचनाओं को आकार दियाय साथ ही ऐसे रचनाकार के रूप में हमारे सामने आते हैं जिन्होंने प्रभूत काव्य की रचना को अपनी रचनाओं का केंद्र बना लिया। उन्होंने साहित्य को एक साधारण व्यक्ति की तरह जिया, लिखना था लिखते रहे शाश्वत, अबाध गति से निरंतर,रात दिन अविराम। गद्य को सृजित किया तो लोकतंत्र के प्रहरी, मानवता के चौकीदार की तरह उनका गद्य जनमानस को झकझोर देता है चाहे उनकी रचना 'हिंदुत्व' हो, 'आज की राजनीति और भ्रष्टाचार'हो, 'भारतीय संस्कृति' हो, 'धर्म और सांप्रदायिकता' हो, ये रचनाएं बिना

'शोध छात्र– सिद्धार्थ विश्व विद्यालय, कपिलवस्तु, सिद्धार्थ नगर, उत्तर प्रदेश

किसी दबाव भय के,चिरन्तन और निरंकुश भाव से लिखते रहे। उन्होंने अपने विचारों को संसार से, समाज से , व्यक्ति से, नाते–रिश्ते से जोड़ते हुए भी सत्य की ओर और परमसत्ता की ओर अपने को इंगित कर लिया और यही विचार भाव तथा इसका आधार लेकर वह पत्रकारिता व गद्य लेखन से विचरण करते हुए काव्यधारा की ओर मुड़ गये।

अपनी कविताओं के द्वारा समाज को एक नई दिशा देने का कार्य नरेंद्र मोहन जी ने प्रारंभ किया। उनकी प्रत्येक कविताएं चाहे वह देशभक्ति की कविताएं हों, आध्यात्मिक कविताएं हों या मिथकीय चेतना से प्रेरित कविताएं हो वे समाज को एक नई दिशा देने का काम करती हैं। वह अपनी कविताओं के द्वारा आधुनिक समाज को अध्यात्म और योग साधना व ईश्वर से जुड़ने की प्रक्रिया के बारे में बताते हैं तो समाज को सामाजिक कुरीतियों, विकृतियों के प्रति जागरुक करते दिखायी देते हैं। संवेदना के धरातल पर नरेंद्र मोहन की कविताएं जिस नये संसार का उद्घाटन करती हैं, संवेदना के उस नये इलाके की पहचान ही हमें नरेंद्र मोहन की कविताओं के केंद्रीय सूत्र को पकड़ सकती है, जिससे संवेदना के एक छोर से दूसरे छोर तक जाया जा सकता है। नरेंद्र मोहन जी की कविताओं का प्रकाशन दैनिक समाचार पत्रों में होने के कारण एक निश्चित क्रम में पाठक वर्ग तक संप्रेषित होती रही हैं, अतः संप्रेषण के सैद्धांतिक विमर्शों के निकष पर उनकी कविताओं की समीक्षा आवश्यक है। इन कविताओं का पुस्तककार प्रकाशन 1995 से प्रारंभ हुआ। अब तक कुल छः काव्य संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। जो क्रमशः हैं– 'अमृत की ओर' 1995, 'दासत्व से उबारो'1996, 'तुम्हारा संगीत' 1997, 'खोलो द्वार' 2001, 'सत्य की धूप' 2003, 'प्रेम की भाषा' 2004 में प्रकाशित हो चुकी हैं। सभी काव्य संग्रह में अधिकतर रचनाएं आध्यात्मिक भावना से ओतप्रोत दिखायी देती हैं।

1. अमृत की ओरः– नरेंद्र मोहन के रचनात्मक व्यक्तित्व की प्रथम काव्यात्मक प्रस्तुति है, जिसका प्रकाशन 1995 में हर आनंद पब्लिकेशन दिल्ली से हुआ। इसमे कुल 49 कविताओं का संकलन किया गया है, इसकी भूमिका सुप्रसिद्ध साहित्यकार विद्यानिवास मिश्र जी ने लिखी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि–'' यशस्वी पत्रकार नरेंद्र मोहन निरंतर वैचारिक और राजनीतिक संकट की तथ्यपूर्ण मीमांसा सहज ढंग से करते आ रहे हैं, और उन्होंने स्वस्थ समझ उपजाने में अच्छी भूमिका निभाई है। कवि नरेंद्र मोहन का अध्यात्म जीवन के खुरदरेपन में से अंकुरित हुआ। वह गमले में पाला अध्यात्म नहीं है। वह ऐश सरोसामान नहीं, ऐश्वर्य की रिक्तता के गहरे अनुभव से उत्तेजित हुआ है। अपने को पहचानना अपने से होता है तभी वह सही अर्थ में अध्यात्म होता है। मुझे इसका परितोष है कि नरेंद्र मोहन की कविताएं इसी अध्यात्म को उकसाती हैं।'' कवि नरेन्द्र बड़ी भावुकता से घोषणा करते हैं कि–

मुझे बढ़ना है/मृत्यु से अमृत की ओर
मुझे चलना है/विगत से प्रत्यागत की ओर
अनात्म से आत्म की ओर/अनित्य से नित्य की ओर
अंधकार का भय/मेरी चेतना न हरने पाए
मेरे पंख लगने दो/मुझे उड़ने दो
उस सूरज की ओर

कवि नरेंद्र मोहन लोकप्रियता के लोभ में न पड़कर अपनी आध्यात्मिक भावना को सहजता से मुक्त भाव से व्यक्त करते हैं –

मेरे प्रभु – तुम तो स्रष्टा हो
मेरे इस अटकते,भटकते मन के,
तुम तो द्रष्टा होध् इस व्यथित तन के
पीड़ित, कातर अहं के ध्क्यों नहीं मार्ग बताते
क्यों नहीं ज्ञान सुझाते ध्अपनी इस कृति को

गूढ़ भावों की अभिव्यंजना,अदृश्य का साक्षात्कार, दिव्यता का अनुसंधान, मानव जीवन के रहस्यानुवेषण को बारंबार प्रस्तुत

करती हुई अमृत की ओर सँग्रह की कविताएं भावों की पुनरावृत्ति को अपने काव्यात्मक मुहावरे के रूप में इस्तेमाल करती हैं।

2. दासत्व से उबारोः— इस काव्य सँग्रह का प्रकाशन 1996 में किताब घर दिल्ली से किया गया। इसमें कुल 51 कविताओं का संग्रह किया गया है। इन कविताओं का मूल स्वर 'स्व' को केंद्र में रखकर अपने आस—पास के परिवेश और ज्ञान के विभिन्न अनुशासनो के साथ टकराहट के परिणाम स्वरुप रचनात्मकता का विस्फोट हैं। इस रचनात्मक उपक्रम में भाव ऊर्जा की निष्पत्ति परम आराध्य तक पहुंचती है। अपनी विभिन्न भाव स्थितियों , मनःस्थितियों से लगातार युद्धरत कविमन गुलामी के समस्त बंधनों को तोड़कर चेतना की मुक्ति के उद्गाता की भूमिका में दिखाई पड़ता है। मुक्ति के विभिन्न स्तरों की परिकल्पना से गुजरते हुए मानसिक बंधन, सामाजिक बंधन के साथ—साथ अदृश्य बन्धनों के भी उन्मूलन की कल्पना कवि सहज भाव से करता है । रचनाकार बन्धनों के प्रति बड़ी सजग दृष्टि रखता है—

बना मेरी चेतन को बंधक/पहन रही है
उसे स्वर्ण बेड़ियाँ/ताकि मोह से घिरी
स्वार्थ से बिखरी/मेरी अंतरात्मा
सतत विराट मौन में/चीखे—चिल्लाए और
छटपटाए/पर उसे बचाव का कोई भी
मार्ग दिखे न पाए

इस काव्य संग्रह की कविताओं का शीर्षक प्रथम पुरुष के इर्द गिर्द दिखाई देता है। मत करो परिहास,मेरी एषणा,मुझे कर दो भस्म, मुझे पाषाण मत बनाओ, संघर्ष करने दो, तुम बहुत याद आते हो, किसको दोष दूं, मन में झाँको,पोर पोर जल जाने दो, मेरी साधना आदि कविताएं 'मैं' शैली में प्रस्तुत की गई हैं।

3. तुम्हारा संगीत— इस काव्य संग्रह का प्रथम प्रकाशन 1997 में हर आनंद पब्लिकेशन से किया गया। इसमें कुल 50 कविताओं का संकलन है, जिसमें कवि नरेंद्र मोहन की रचना यात्रा का पड़ाव धीरे—धीरे परिपक्व मनःस्थिति को प्राप्त कर लेता है।अपनी पूर्ववर्ती काव्य संग्रह में रचनाकार ने जिन भाव क्षेत्रों की पहचान करनी शुरू की थी उन भाव संवेदनों में अंतरमंथन करती हुए आत्मविश्वास से युक्त हो जाता है। यह काव्य संग्रह स्वयं ही विषय और भावबोध की चरम परिणत दिखाई देती है। काव्य संग्रह से रचनाकार का अभिप्राय उस परम सत्ता के संगीत से है। समस्त विश्व और उसके समस्त जीवित और मृत उपादान अपनी लयबद्धता के कारण ही एक दूसरे से अभिन्न रूप से जुड़े हुए हैं। प्रकृति का कण—कण उसके समस्त कार्य व्यापार और गतिविधियां बिना लय के प्रलय या महालय की स्थिति में पहुंच जाती हैं।यह अकारण नहीं की नरेंद्र मोहन के कवि व्यक्तित्व के जो सूत्र पहले बीज रूप में थे उनमें से कुछ आकार भी ग्रहण करने लगे हैं। जैसे पूर्ववर्ती काव्य संग्रह में रचनाकार के आध्यात्मिक रुझान का उल्लेख किया जा चुका है। किंतु इस संग्रह में रुझानें कई कदम आगे बढ़कर आकार ग्रहण कर लेती हैं और दृश्यमान हो उठती हैं।'अध्यात्म' कविता से इस तथ्य को समझा जा सकता है—

अध्यात्म को/ड्राइंग रूप में मत सजाओ
व्याख्यान मत बनाओ/अध्यात्म नहीं है धर्म ग्रंथ
उसपर पुष्पहार मत चढ़ाओ/मत बनाओ अध्यात्म को बंधन
इतना और समझ लो/अध्यात्म तभी होगा सत्य
जब होगा वह/हर वर्ग से अभिव्यक्त
यही है जीवन का सत्य।

इस तरह रचनाकार सत्य की पहचान, चेतन को द्वार दो, संतुलन,विग्रह, जगा दो जिज्ञासा, भिक्षापात्र, ज्ञान की चेतना, त्रिशंकु, हे मृत्यु देव, मन करता है, आत्म आहुति, अज्ञात से नाता , प्रेम करना सिखला दो, तोड़ दो बंद द्वार, तुम्हारा संगीत आदि कविताओं के द्वारा संवेदनशील मानव के मन में उत्पन्न होने वाली सबसे सशक्त रागात्मक अनुभूति की अभिव्यक्ति की गई है।

4. खोलो द्वार– इस काव्य संग्रह का प्रथम प्रकाशन वर्ष 2001 में ग्रंथ अकादमी नई दिल्ली से किया गया। इसमें कुल 50 कविताओं का संकलन किया गया है। अधिकतर कविताएं मिथकीय चेतना से अभिप्रेरित हैं। खोलो द्वार मानव की विकास यात्रा के अवरुद्ध द्वार को खोलने का आह्वान है । इस द्वार को खोलने के लिए सामान्य मनुष्यों, चिंतकों, ऋषियों, रचनाकारों दार्शनिकों आदि ने पूरा प्रयास किया है किंतु यह द्वार सारे प्रयत्नों, वैज्ञानिक प्रयत्नों, वैज्ञानिक प्रगति के बावजूद शायद अवरुद्ध है। इस मानसिकता को व्यक्ति चेतना से लेकर मनुष्य के भौतिक विकास के परिप्रेक्ष में देखा जा सकता है। खोलो द्वार आग्रह का भी प्रतीक है। मनुष्य की अभिचिंता का स्वाभाविक उपक्रम है। जब घर अपना हो तो कभी भी किसी भी समय पहुंचने पर द्वार खोलने के लिए कहने का भाव प्रधान स्वर के रूप में संग्रह में दिखाई देता है। परम सत्ता से तदाकार होने की स्थिति में कवि मन प्रेम के उस गहन समुद्र में डूबने के लिए तैयार है क्योंकि उसे यह बोध है कि इस मार्ग में समुद्र में कुछ नहीं मिल सकता यदि हम आधे अधूरे मन से इस कार्य को संपन्न करेंगे इसलिए वह डूबने के लिए पूर्ण रूप से तत्पर है–

हे परम/हे पूर्ण, हे चरम
तुम बहा दो अपनी रसधार
उठने दो अमृतमय ज्वार/खोलो द्वार
करने दो मुझे भी प्रवेश/डूबने को हूँ तैयार।

जन्म–जन्मांतर से बंद द्वार के खुलते ही इस अद्भुत दुनिया का साक्षात्कार संभव है। प्रस्तुत संग्रह की कविताओं में राजनीतिक सजगता के कारण विषम विसंगतियों की प्रत्यक्ष अनुभूति हुई है। इन कविताओं में झूठ, पाखंड और विसंगतियों पर गहरा आक्रोश भी है–अंशुमालि, अपनत्व की पुकार, मौन पुकार, उगने दो नया सूरज, मुक्ति मार्ग, पुकार, रहस्य में है जीना, अमृतपुत्र कहलाना है, दया करो, मत करो भयभीत जैसी चर्चित कविताएं हैं।

5. सत्य की धूपः– इस काव्य संग्रह का प्रकाशन 2003 में रचनाकार के मृत्यु के उपरांत हुआ। इस संग्रह में कवि नरेंद्र की कुल 51 कविताओं का संकलन किया गया है। प्रसिद्ध साहित्यकार विष्णु कांत शास्त्री जी ने इसकी भूमिका लिखी है। इसमें भारतीय मनीषा की भावभूमि पर प्रार्थना की मुद्रा में बदलकर बहुत सुंदर काव्यात्मक दृश्य का संसार रचा गया है। जिसमें समाज की कल्पना के लिए त्याग और संघर्ष के साथ सतत कर्म करने का संदेश दिया गया है। एक सच्चे योद्धा की भांति कवि जीवन पर्यन्त चुनौतियों के सामने अपने दृढ़ संकल्पों की ढाल के साथ निर्भीकता के साथ डटे रहे हैं, तथा पूरी मानवता को त्याग प्रेम और आशा का संदेश देते रहे। विनम्रता के साथ दुख को गले लगाते हुए अहंकार से मुक्ति पाने हेतु प्रार्थना करते हैं–

और तो कुछ नहीं/इस अश्रु को करो स्वीकार
तोड़ दो सारे बंधन कर/दो मुझे मुक्त
नहीं मुझे स्वीकार/अहंकार का कारागार।

6. प्रेम की भाषा :– यह नरेंद्र मोहन की कृतियों में एक श्रेष्ठ कृति मानी जा सकती है। इसका प्रकाशन 2004 में हुआ और इस काव्य संग्रह में कुल 51 कविताओं का संकलन किया गया है।' प्रेम की भाषा ' शीर्षक के नाम से काव्य संग्रह की पहली कविता है और शीर्षक किसी के नाम से संबंधित किया गया है रचनाकार का आग्रह धीरे–धीरे प्रबल होता जा रहा है और वह शब्दों से आगे बढ़कर अनुभव के मार्ग से गुजरने का आकांक्षी है इसलिए वह कहता है–

मुझे सिखा दो/प्रेम की भाषा
जगा दो प्रेम भरी आशा
तर्क नहीं/दर्शन नहीं
मुझे अनुभव कर दो/अपना बना लो।

इस संग्रह की समीक्षा साहित्यकार शिव ओम अंबर ने किया है । इसमें वह कहते हैं कि नरेंद्र मोहन की प्रेम की भाषा अंतर्यात्रा के पथिकों के लिए मंगलमय पाथेय का विधान है, शब्द के माध्यम से सत्य को करने का सहज स्फूर्त

अभियान है, दूसरे ढंग से कहा जाए तो कविता के अधरों पर अध्यात्म की आश्वस्तिप्रद मुस्कान है। शास्त्रीय ज्ञान से समृद्ध होने के बावजूद कवि कबीर की भांति कागज की लेखी से ऊपर उठकर 'आँखिन की देखी' तक पहुंचना चाहता है। अतः वह पढ़े हुए सूत्रों को स्वयं जिए बिना स्वीकारने को तत्पर नहीं है, उसकी बेचौनी अच्छी तरह जानती है, इसलिए वह कहता है–

पुस्तकें सत्य नहीं होतीं
दूसरों के अनुभवों से
शांति की अनुभूत नहीं मिलती।

इसमें मुक्ता को ही पाना है,मन फिर उलझ गया ,तुम ही तुम ,मेरा अहं गिरा दो, आस्था ,ज्ञान की गंगा बहा दो, लेनी है दीक्षा, प्रेम की धूप, जीवन, भटकन, सँवारो वर्तमान, मुझे बचा लो, नचिकेता का मैं वंशज हूँ जैसी चर्चित कविताएं हैं।

नरेंद्र मोहन परमात्मा से ऐक्य स्थापित करने के लिए परेशान रहते हैं और यह परेशानी उसे कविता का रूप देती है जो सहृदय पाठकों को अंदर तक हिला देती है। वह एक ऐसी रचना संसार में रहते थे जिसे रात–दिन हफ्ते, महीने और वर्ष के रूप में नहीं बांट सकते, उनकी लेखनी हमेशा चलती रहती थी और शायद विचार की उत्तेजना और तीव्रता ने उन्हें भाषा और शिल्प से मुक्त होकर लिखने की प्रेरणा दी थी। उनकी कविताओं में जीवन के बाह्य पक्ष को ज्यादा महत्व नहीं दिया गया है बल्कि आंतरिक पक्ष को उनकी कविताएं ज्यादा प्रभावित करती हैं। उनके मन में यह भावना घर कर गई है कि जब तक मानवता की पीड़ा को समाप्त नहीं किया जाएगा, ब्रह्म ज्ञान तब तक निरर्थक ही माना जाएगा और जब कवि उस तरफ अपने को ले जाता है जहां से मानवता की पीड़ा को दूर करने का प्रयास और उपाय बताने की कोशिश हो सकती है तो उनकी कविताएं सफल हो जाती हैं। नरेंद्र मोहन जी का साहित्यिक जीवन अध्यात्म में ही परिपूरित रहा है, इसलिए यदि आध्यात्मिक भावना से परिपूर्ण कविताओं को पढ़ने व समझने का, जानने का आकर्षण है, तो नरेंद्र मोहन जी की कविताओं को पढ़ा जा सकता है, शोध का विषय बनाया जा सकता है।

संदर्भ

1. स्मृति ग्रन्थ मैं रहूँ...... न रहूँ
2. अमृत की ओर– नरेन्द्र मोहन
3. दासत्व से उबारो– नरेन्द्र मोहन
4. खोलो द्वार– नरेन्द्र मोहन
5. सत्य की धूप– नरेन्द्र मोहन
6. प्रेम की भाषा– नरेन्द्र मोहन
7. तुम्हारा संगीत– नरेन्द्र मोहन

❖

भारत में वृद्धों की समस्याएँ : एक समाजशास्त्रीय विश्लेषण

श्वेता शुक्ला'
डॉ. सोहिनी''

सारांश – वैश्विक स्तर पर वृद्धो ंकी आबादी तेजी से बढ़ रही है, जिसके कारण समाज में विशेष देखभाल और ध्यान देने की आवश्यकता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा की अंतर्राष्ट्रीय वृद्धावस्था कार्य योजना (1982) और विश्व वृद्धावस्था सभा ने वृद्धावस्था को 60 वर्ष से शुरू होने के रूप में परिभाषित किया है। द्वितीयक स्रोतो ंपर आधारित यह अध्ययन, विशेष रूप से भारत मे ंवृद्धों की बदलती स्थिति का पता लगाता है, जहाँ पारंपरिक संयुक्त परिवार प्रणाली एकल व्यवस्था में परिवर्तित हो रही है। दोहरी आय वाले घरों का उदय और पीढ़ी के बीच का अंतर बढ़ने से वृद्धों के लिए महत्वपूर्ण चुनौतियाँ पैदा हो रही हैं, जिसमें स्वास्थ्य में गिरावट, भावनात्मक संकट, सामाजिक बहिष्कार, आर्थिक निर्भरता और वृद्धों के साथ दुर्व्यवहार शामिल हैं। इन मुद्दों के मूल कारणों और परिणामों का विश्लेषण करने के लिए समाजशास्त्रीय सिद्धांतों का उपयोग किया जाता है। यह शोधपत्र इन समस्याओ ंको बढ़ाने मे ंआधुनिकीकरण और आयुवाद की भूमिका पर जोर देता है और एक समावेशी वातावरण बनाने के लिए सामाजिक, नीतिगत और सामुदायिक स्तर के हस्तक्षेप का प्रस्ताव करता है जो वृद्ध आबादी की गरिमा और कल्याण सुनिश्चित करता है।

शब्दकुंजी : बुजुर्ग, भारत, दुर्व्यवहार, उपेक्षा

प्रस्तावना : वृद्धावस्था एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, और स्वास्थ्य सेवा में प्रगति के साथ, दुनिया भर मे ंबुजुर्गों की आबादी लगातार बढ़ रही है। संयुक्तराष्ट्र का अनुमान है कि 2050 तक 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों का अनुपात दो गुना हो जाएगा, जोउनकीचुनौतियों का समाधानकरने की आवश्यकतापर बल देताहै। वृद्धावस्था का मुद्दा पहली बार 1948 मेंअर्जेंटीना द्वारा शुरू किए गए संयुक्त राष्ट्र में अंतर्राष्ट्रीय ध्यान में आया, और 1969 मेंमाल्टा द्वारा फिर से देखा गया। दीर्घायु के बढ़ते महत्व को पहचानते हुए, संयुक्तराष्ट्र ने 1982 में वियना में वृद्धावस्था पर विश्वसभा का आयोजन किया और उसके बाद वृद्धावस्था पर अंतर्राष्ट्रीय कार्य योजना का समर्थन किया। 1990 में, 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बुजुर्ग दिवस घोषित किया गया, जिसे बाद में अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस का नाम दिया गया। 1992 में, महासभा ने बदलती जनसांख्यिकी के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 1999 को अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध वर्ष के रूपमें घोषित किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी 2012 में अपने विश्व स्वास्थ्य दिवसकोबुढ़ापे की थीमपरसमर्पितकिया।संयुक्तराष्ट्र औरविश्व वृद्धावस्थासभा ने बुढ़ापेको 60 वर्ष से शुरू होनेवालीउम्र के रूपमेंपरिभाषितकियाहै। यह शोधपत्र समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से बुढ़ापे की पड़ताल करता है, शारीरिक, भावनात्मक, सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों की जांच करता है, साथ ही वृद्ध व्यक्तियों के अनुभवों को आकार देने में सामाजिक संरचनाओ ंऔर सांस्कृतिक परिवर्तनों की भूमिका का विश्लेषण करता है।

'शोधार्थिनी, डी० ए० वी० कॉलेज सी एस जे एम यू
''सहायक प्रोफेसर, जुहारी देवी गर्ल्स पी0 जी0 कॉलेज सी एस जे एम यू कानपुर .

वृद्धों पर कुछ अध्ययन : वैश्विक स्तर पर वृद्धो ंकी आबादी बढ़ रही है, जिस पर राज्य, समुदाय और परिवार की ओर से तत्काल ध्यानदेने की आवश्यकता है। सैंडोज इंस्टीट्यूट (1982) और प्यूरिसर्च (2013) जैसे सर्वेक्षण वित्तीय संघर्ष, स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं और मनोवैज्ञानिक चुनौतियों जैसे गंभीर मुद्दों को उजागर करते हैं, खासकर जापान, दक्षिण कोरिया और चीन जैसे देशों में। केन्या में, हेल्प एज इंटरनेशनल के एक अध्ययन में वृद्धों के साथ दुर्व्यवहार पाया गया और बेहतर जेरियाट्रिक सुविधाओं, सब्सिडी वाली स्वास्थ्य सेवा और एकीकृत सहायता प्रणालियों की सिफारिश की गई। एक्सेटर विश्वविद्यालय के शोध से पता चला कि सोशल मीडिया प्रशिक्षण बुजुर्गो में मानसिक स्वास्थ्य और आत्मविश्वासको बढ़ाता है। भारतमें, हेल्पएजइंडिया की 'भारत में बुजुर्गों की स्थितिः 2014' रिपोर्ट में बुजुर्गों के लिए अकेलेपन, दुर्व्यवहार और राज्य के समर्थन की कमी का खुलासा किया गया। मैत्रेयी कृष्णराज और मीनागोपाल के अध्ययनों ने बुजुर्गों की देखभाल में लैंगिक असमानता को उजागर किया और महिलाओं के लिए मजबूत सामाजिक सुरक्षा की आवश्यकता पर जोर दिया। बैंगलोर में मनोवैज्ञानिक शव परीक्षण (2005–2007) में पाया गया कि बुजुर्गों की आत्महत्या पारिवारिक संघर्ष, पुरानी बीमारी, वित्तीय मुद्दो ंऔर मादकद्रव्यों के सेवन से जुड़ी हुई है। लीला गुलाटी और एस. इरुदया राजन द्वारा किए गए शोध मे ंकेरल में वृद्धावस्था और विधवापन पर ध्यान केंद्रित किया गया, जबकि तूलिका त्रिपाठी ने भारत मे ंअपनी बुजुर्ग आबादी के लिए मजबूत नीतियों की कमी पर जोर दिया। ये अध्ययन उम्र बढ़ने की समस्याओं को प्रभावी ढंग से संबोधित करने के लिए केंद्रित हस्तक्षेप और विश्वसनीय डेटा की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करते हैं।

भारत में वृद्ध : जब भारत ने 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त की, तो यह एक युवादेश था, जिसकी जीवन प्रत्याशा केवल 36 वर्ष थी। उस समय, वृद्ध होती आबादी के प्रबंधन का मुद्दा देश के नेताओं के लिए कोई महत्वपूर्ण चिंता का विषय नहीं था। वियना में विश्व सभा में भारतीय आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल ने यहाँ तक कहा कि देश को अपने वृद्धों से संबंधित बड़ी चुनौतियों का सामना नहीं करना पड़ा, क्योंकि पारंपरिक परिवार प्रणाली वृद्ध सदस्यों की देखभाल करती थी, जबकि सरकारी स्वास्थ्य सेवाएँ उनकी चिकित्सा आवश्यकताओं को पूरा करती थीं। हालाँकि, आज स्थिति काफी अलगहै। भारत मे ंअब 60 वर्ष से अधिक आयु के 100 मिलियन से अधिक नागरिक हैं, जो 1950 की संख्या से पाँच गुना अधिक हैं। अब वरिष्ठ नागरिक जनसंख्या का लगभग 8.6 प्रतिशत हिस्सा बनाते हैं। जबकि भारत को 2020 तक दुनिया का सबसे युवा देश होने का अनुमान रहा है, जिसकी औसत आयु 29 वर्ष है, हेल्प एज इंडिया द्वारा 2014 की भारत में बुजुर्गों की स्थिति रिपोर्ट बताती है कि आने वाले वर्षों में बुजुर्गों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग के अनुमानों के अनुसार, भारत में वृद्धों की आबादी लगभग 300 मिलियन तक बढ़ने की उम्मीद है, जो कुल आबादी का लगभग पाँचवाँ हिस्सा है। हालाँकि भारत की वृद्ध आबादी जापान जैसे देशों की तुलना में अपेक्षाकृत कम है, जहाँ एक तिहाई आबादी 60 से अधिक है, फिर भी भारत में बुजुर्गों को उचित ध्यान देने की आवश्यकता है। ब्राजील और चीन जैसे देशों में, आबादी का एक समान अनुपात जल्द ही 60 से अधिक हो जाएगा। भारत का वृद्धावस्था निर्भरता अनुपात– प्रत्येक 100 कामकाजी आयु वाले व्यक्तियों के लिए बुजुर्गों की संख्या –वर्तमान में 10 से कम है। यहाँ तक कि 2050 तक, यह अनुमान लगाया गया है कि यह अनुपात 20 से अधिक नहीं होगा, यह दर्शाता है कि बुजुर्गों की आबादी बढ़ रही है, लेकिन यह कई अन्य देशों की तुलना मे ंतुलनात्मक रूप से कम है।

वृद्धों की समस्याएँ : वृद्ध व्यक्तियों को समकालीन समाज मे ंकई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, मुख्य रूप से अकेलेपन, अलगाव और खाली समय की अधिकता से। बुजुर्गों की वित्तीय स्थिति अक्सर अनिश्चित हो जाती है क्योंकि सेवानिवृत्ति के बाद आमतौर पर आय कम हो जाती है जबकि जीवन यापन की लागत और चिकित्सा व्यय में वृद्धि जारी रहती है। खराब वित्तीय स्वास्थ्य न केवल उनके शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है बल्कि इसके प्रतिकूल सामाजिक और मनोवैज्ञानिक परिणाम भी होते हैं। हेल्प एज इंडिया के अनुसार, 30प्रतिशत बुजुर्ग गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं, 80प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों मे ंरहते हैं और 73प्रतिशत अशिक्षित हैं, जिससे उनका खुद का भरण–पोषण करना और भी

जटिल हो जाता है। 1966 में स्थापित, हेल्प एज इंडिया अलगाव, गरीबी और उपेक्षा के मुद्दों से निपटने के लिए काम करता है। भारत में संयुक्त परिवार प्रणाली के पतन और एकल परिवारों के उदय ने बुजुर्गों की जीवन स्थितियों को खराब कर दिया है। जबकि संस्थागत देखभाल अलोक प्रिय बनी हुई है, बुजुर्ग व्यक्ति अक्सर अपने बच्चों के बेहतर अवसरों की तलाश में शहरी क्षेत्रों या विदेश में प्रवास करने पर अनुकूलन करने के लिए संघर्ष करते हैं। जो लोग पीछे रह गए हैं, उन्हें संचार बनाए रखने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जबकि जो लोग अपने बच्चों के साथ हैं, उन्हे ंअपरिचित वातावरण में समायोजित होने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। वित्तीय निर्भरता एक और महत्वपूर्ण समस्या है। कई बुजुर्ग लोग गिरते स्वास्थ्य के कारण कमा नहीं सकते हैं, और उनमें से अधिकांश ने अपने बचपन के दौरान पारिवारिक दायित्वों पर अपनी बचत खर्च कर दी है। यह वित्तीय तनाव उनके लिए चिकित्सा देखभाल का खर्च उठाना या देखभाल करने वालों को नियुक्त करना मुश्किल बनाता है, जिससे वे और अधिक असुरक्षित हो जाते हैं। बुजुर्ग महिलाएँ विशेष रूप से प्रभावित होती हैं, जिनमें से अधिकांश विधवा के रूप में लंबे समय तक जीवित रहती है ंऔर भेदभाव और उपेक्षा का सामना करती हैं। महिलाओ ंको ''खाली घोंसला सिंड्रोम'' से भावनात्मक संकट का भी सामना करना पड़ता है, जहाँ पारिवारिक जीवन में घटती भूमिका अवसाद और भावनात्मक शून्यता का कारण बनती है। स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे बुजुर्गों के लिए एक और गंभीर चिंता का विषय हैं, क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ स्वाभाविक रूप से शारीरिक गिरावट आती है। वे अल्जाइमर, मनोभ्रंश, गिरने और कूल्हे के फ्रैक्चर जैसी स्थितियों से ग्रस्त होते हैं, अपर्याप्त चिकित्सा देखभाल अक्सर उनकी दुर्दशा को और खराब कर देती है। चिंता, अवसाद और स्मृति हानि जैसी मानसिक स्वास्थ्य समस्याएँ असहायता और अलगाव की भावनाओं को बढ़ाती हैं, जिससे सामाजिक अलगाव में योगदान होता है। बुजुर्गों का दुरुपयोग एक गंभीर मुद्दा है, जिसमें मौखिक, शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दुर्व्यवहार से लेकर वित्तीय शोषण और प्रणाली गत उपेक्षा तक शामिल है। वे अक्सर घरेलू हिंसा और डकैती या हमल` जैसे आपराधिक कृत्यों के शिकार होते हैं। आपदाओं के दौरान, बुजुर्ग विशेष रूप से कमजोर होते हैं, जैसाकि 2004 की सुनामीमें देखा गया था, जहाँ 30प्रतिशत पीड़ित बुजुर्ग व्यक्ति थे। सामाजिक रूप से, बुजुर्गव्यक्ति नए रिश्ते बनाने के लिए संघर्ष करते हैं और अक्सर पीढ़ीगत और सांस्कृतिक अंतर के कारण अलग–थलग महसूस करते हैं। सार्वजनिक परिवहन में कठिनाइयाँ आती हैं, और उनकी शारीरिक सीमाएँ यात्रा को चुनौती पूर्ण बनाती हैं। अधिकांश बुजुर्ग लोग अपना समय घर के अंदर बिताते हैं, जहाँ अपर्याप्त रहने की जगह उनके जीवन की गुणवत्ता को और कम कर सकती है। समाजशास्त्री रोस्टो ने बुजुर्गों की समस्याओं को दो श्रेणियो ंमे ंवर्गीकृत किया :–वास्तविक चुनौतियाँ जिनका वे सामना करते है ंऔर कथित समस्याएँ। इनमें सेवानिवृत्ति से भावनात्मक शून्यता, शारीरिक विकलांगता, आर्थिक असुरक्षा और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएँ, जैसे कि संवेदी कार्यों में कमी और पुरानी बीमारियाँ शामिल हैं। ये संयुक्त कारक बुजुर्ग आबादी के लिए बेहतर देखभाल, वित्तीय स्थिरता और भावनात्मक समर्थन की आवश्यकता को रेखांकित करते हैं।

निष्कर्ष : भारत में बुजुर्गों के सामने आने वाली समस्याएँ बहुआयामी है ंऔर समाज के सभी क्षेत्रों से तत्काल ध्यान देने की माँग करती हैं। पारिवारिक ढाँचों, आर्थिक स्थितियो ंऔर स्वास्थ्य सेवा की पहुँचमें बदलाव के कारण बुजुर्गों की आबादी में तेजी से वृद्धि ने इस जनसांख्यिकीय के लिए महत्वपूर्णचुनौतियाँ खड़ी कर दी हैं। सामाजिक अलगाव, वित्तीय निर्भरता, स्वास्थ्य संबंधी चिंताएँ और बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार कुछ ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, जिन्हें बुजुर्गों के लिए सम्मानजनक और सुरक्षित जीवन सुनिश्चित करने के लिए संबोधित करने की आवश्यकता है । भारत में, जहाँ पारंपरिक संयुक्त परिवार प्रणाली कमजोर हो गई है और एकल परिवार आदर्श बन गए हैं, बुजुर्ग अक्सर खुद को हाशिए पर पाते हैं। शहरीकरण, प्रवास और बदलते सामाजिक मानदंडों के साथ इस बदलाव ने कई बुजुर्ग व्यक्तियों को उपेक्षा, भावनात्मक संकट और शारीरिक कठिनाइयों के प्रति कमजोर बना दिया है। जबकि संस्थागत देखभाल अलोकप्रिय बनी हुई है, समुदाय–आधारित कार्यक्रम, सामाजिक सुरक्षा और सुलभ स्वास्थ्य सेवा जैसी सहायता के वैकल्पिक रू प्रदान

करना आवश्यक है। बुजुर्गों के लिए सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने, किफायती स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करने और अधिक समावेशी समाज बनाने पर विशेष जोर देते हुए, सरकार की नीतियो ंको बढ़ती उम्र की आबादी की जरूरतों को पूरा करने के लिए विकसित किया जाना चाहिए। प्रयासों को आयुवाद के बारे में जागरूकता बढ़ाने और अंतर–पीढ़ीगत एकजुटता को बढ़ावा देने पर भी ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ऐसा माहौल बनाकर जहाँ बुजुर्ग व्यक्तियों के साथ सम्मान, देखभाल और गरिमा के साथ व्यवहार किया जाता है, समाज उनके जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाने और सामुदायिक मामलों मे उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने में मदद कर सकता है। इसके अलावा, परिवार और समुदाय की भूमिका को कम करके नहीं आंका जा सकता। बुजुर्ग अक्सर पारिवारिक समर्थन पर निर्भर रहते हैं, जो देखभाल और सुरक्षा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत बना हुआ है। साथ ही, यह पहचानना महत्वपूर्ण है कि जैसे–जैसे दुनिया तेजी से वैश्वीकृत होती जा रही है, बुजुर्गों को नई वास्तविकताओं, जैसे कि तकनीकी प्रगति और बदलते सामाजिक–सांस्कृतिक गतिशीलता के अनुकूल होने में अधिक सहायता की आवश्यकता हो सकती है।

निष्कर्ष में, बुजुर्गों के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने के लिए सरकार, समाज और परिवारों को शामिल करते हुए एक समग्र, सहयोगी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। केवल ठोस प्रयासों के माध्यम से ही हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि बुजुर्ग आबादी एक जटिल और आधुनिक दुनिया में सम्मान, सम्मान और कल्याण का जीवन जी सके।

संदर्भ

- अंसारी, एच. (2021). केयर ऑफ एल्डर्ली इन इंडिया : इश्यूज एंड चौलेंजेज. इंटरनेशनल जर्नल ऑफ क्रिएटिव रिसर्च थॉट्स, 9(6), म 193.https://www.ijcrt.org
- अहमद, ए., अल्ताफ, एम., औरजान, के. (2016). लोनेलिनेस्स,सेल्फ– एस्टीम एंडडिप्रेशनअमंग एल्डर्लीपीपलऑफकश्मीर. द इंटरनेशनलजर्नलऑफइंडियनसाइकोलॉजी, 3(4), 147–153. http://www.ijip.in/Archive/v3i4/18.01.072.20160304.pdf
- बाशा, पी. सी. (2017) प्रोब्लेम्सऑफ द एजेड–असोशियोलॉजिकल एनालिसिस. इंटरनेशनलजर्नलऑफरिसर्चइनइकोनॉमिक्स एंडसोशलसाइंसेज ,7(5), 126–132. https://www.academia.edu/33533917/PROBLEMS_OF_THE_AGED_A_SOCIOLOGICAL_ANALYSIS
- घोष, एट अल. (2014). हेल्थस्टेटसऑफ एल्डर्लीइन अ रूरल एरियाऑफनार्थईस्टरीजनऑफइंडिया. नेशनलकम्युनिटीमेडिसिन, खंड 5, अंक 2, पृष्ठ 236–239.
- ख्वाजा, एच. (2018). द प्रोब्लेम्सऑफ द एल्डर्लीइनइंडिया. इंटरनेशनलजर्नलऑफरिसर्चइनहमनीटीएस एंडसोशलसाइंसेज, 6(11), 73.https://www.raijmr.com
- कुमार, पी. (2014). हेल्थप्रोब्लेम्सऑफ रूरल एज्ड : अ सोशलवर्कइंटरवेंशन,इंडियनजर्नलऑफरिसर्च,खंड3,अंक 6.
- रेखा (2014). एज्ड पर्सन्सस्टेइंगइनओल्डआगेहोमः अ सोशियोलॉजिकलस्टडी,इंटरनेशनलजर्नलऑफइनोवेशनरिसर्च एंडस्टडीज, खंड 3, अंक 2.
- त्रिपाठी, पी. (2014). एल्डर्लीःकेयर एंडक्राइसिसइनओल्ड एज्ड होम. इंटरनेशनलजर्नलऑफमल्टीडिसकीप्लीनरीरिसर्च, खंड 2, अंक 2.

लैंगिक पहचान, जाति और धर्म का अंतः संबंध : भारत के तृतीय लिंग समुदाय में सामाजिक हाशिएकरण और पुनर्स्थापन का समाजशास्त्रीय अध्ययन

रूबी पाल'
प्रोफेसर अनिल कुमार मिश्रा''

प्रस्तावना : किन्नरों के इतिहास पर यदि हम नजर डाले, तो यह पता चलता है कि किन्नरों का इतिहास बहुत पुराना है। जब से सृष्टि बनी है स्त्री और पुरूष के अलावा एक ऐसा प्राणी भी पैदा होता रहा है, जिसका न तो स्त्री जननांग होता है, न पुरूष अंग ऐसे व्यक्ति को किन्नर या हिजड़ा कहते हैं, पुराणों में भी इसका जिक्र है। किन्नर पहले सेनाओं में भी होते थे, इतिहास में जिक्र है कि राजा लोग उन्हें अपने हरमों में भी कामकाज के लिये रखते थे, ऐसा इसलिये कि वे उनकी रानियों के साथ यौन सम्बन्ध न बना सके, वास्तव में किन्नर ऐसा इंसान होता है न मादा जननांग किन्नरों की संख्या बहुत कम है, अधिकतर बाद में बनने वाले है। बाद में बनने वाले जिसके तहत उसका लिंग, अण्डकोष और अंण्डकोष की थैली हटा दी जाती है, उसके बाद इनका दीक्षा संस्कार होता है। इनके अपने देवी देवता व मन्दिर है।

शोध के उद्देश्य :

1. किन्नरों की लैंगिक पहचान को जाति, वर्ग और धर्म के संदर्भ में विश्लेषित करना।
2. किन्नर समुदाय की सामाजिक स्थिति पर जाति, वर्ग और धर्म के प्रभाव का विश्लेषण।
3. किन्नर समुदाय का समाज में हाशिये पर होने के कारणों का अध्ययन।
4. किन्नर समुदाय के पुनर्स्थापन की दिशा में किए गए सामाजिक, कानूनी, और सांस्कृतिक प्रयासों का विश्लेषण।

शोध विधि : प्रस्तुत शोध में ''वर्णनात्मक शोध प्रारचना'' तथा ''अन्वेषणात्मक शोध प्ररचना'' का प्रयोग किया गया है। तथ्य संकलन के लिये निम्नलिखित प्रमुख शोध विधियाँ उपयोग में लायी गई :—

प्राथमिक डेटा संग्रह : किन्नर समुदाय के व्यक्तियों के साथ साक्षात्कार आयोजित किए गए। इसमें विभिन्न पृष्ठभूमि से आए लोग शामिल थे, जैसे कि उच्च जाति और निम्न जाति से सम्बन्धित किन्नरों के अनुभव का संग्रह है। सर्वेक्षण : समुदाय के विभिन्न व्यक्तियों से सर्वेक्षण के माध्यम से डेटा एकत्रित किया गया, जिसमें उनके सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन के पहलुओं का मूल्यांकन किया गया।

फील्ड वर्क : किन्नर समुदाय के विभिन्न संगठनों और समूहों से जुड़ी घटनाओं, का गहन अध्ययन किया गया। **द्वितीयक डेटा :** सामाजिक रिपोर्ट्स और नीति दस्तावेज राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की रिपोर्टों, और अन्य सरकारी दस्तावेजों का अध्ययन किया गया, जो तृतीय लिंग समुदाय के अधिकारों और सामाजिक स्थिति से सम्बन्धित थे।

साहित्य समीक्षा : शोध पत्र में भारतीय समाजशास्त्र, लैंगिक अध्ययन तथा किन्नर समुदाय के बारे में प्रकाशित पुस्तकों, शोध पत्रों और लेखों का विश्लेषण किया गया।

तृतीय लिंग समुदाय और भारतीय समाज में जाति, वर्ग और धर्म का अंत : सम्बन्ध जाति जाति आधारित भेदभाव — तृतीय लिंग समुदाय के व्यक्तियों को जाति आधारित भेदभाव का सामना करना पड़ता है। अनुसूचित जातियों और जनजातियों से सम्बन्धित किन्नरों को विशेष रूप से सामाजिक और शारीरिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है, जो उनके शैक्षिक और रोजगार के अवसरों

'प्राचार्य, डी0 वी0 एस0 कालेज, कानपुर ।
''शोधार्थिनी, समाजशास्त्र, छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर

को सीमित कर देता है। उच्च जाति से सम्बन्धित तृतीय लिंग व्यक्तियों को कुछ सामाजिक सुरक्षा मिल सकती है, लेकिन ज्यादातर किन्नर समुदाय को भेदभव का शिकार होना पड़ता है।

वर्गीय भेदभाव : किन्नर समुदाय के अधिकांश सदस्य निम्न वर्ग के होते है। उनके पास स्थिर रोजगार और शिक्षा के अवसरों की कमी होती है, जिससे उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार की संभावना बहुत कम हो जाती है। यह समुदाय शारीरिक श्रम, भीख मांगने तथा वेश्यावृत्ति जैसे काम करने के लिये मजबूर होता है।

धार्मिक भेदभाव : धार्मिक दृष्टिकोण से भारत में किन्नरों के प्रति दोहरा रवैया अपनाया गया है। कुछ धार्मिक परंपराएँ, जैसे हिन्दू धर्म, जैन धर्म और सिख धर्म, तृतीय लिंग व्यक्तियों को सम्मान देती है, लेकिन अधिकांश धार्मिक संस्थाएँ उन्हें समाज से बाहर रखती हैं, जिससे उनका धार्मिक जीवन कठिन हो जाता है।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की भूमिका : राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने तृतीय लिंग समुदाय के अधिकारों की रक्षा और समावेशन के लिये कई महत्वपूर्ण सिफारिशें की हैं। रिपोर्टों में यह पाया गया है कि सरकारी और निजी क्षेत्र में तृतीय लिंग व्यक्तियों के खिलाफ भेदभाव का स्तर काफी उच्च है, और तृतीय लिंग व्यक्तियों के लिये न्यायिक और सामाजिक सुधारों की आवश्यकता है। (NHRC, 2023)

सामाजिक हाशिएकरण और पुनर्स्थापन : किन्नर समुदाय के सामाजिक हाशिएकरण की प्रक्रिया जाति, वर्ग और धर्म के बीच के जटिल रिश्तों से प्रभावित होती है। हालांकि, इस समुदाय के पुनर्स्थापन के लिये अनेक प्रयास किए है। जैसे कर्नाटक में तृतीय लिंग व्यक्तियों के लिये सरकारी नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था और तमिलनाडु में विशेष शिक्षा योजनाएँ बनाई गई है। इन प्रयासों से तृतीय लिंग समुदाय को कुछ हद तक सामाजिक पुनर्निर्माण में मदद मिली है।

नीति निर्माण की सिफारिशें :

समावेशी नीतियाँ : किन्नरों के लिये सरकारी एवं निजी क्षेत्रों में समान अवसर सुनिश्चित करने के लिये समावेशी नीतियाँ बनाई जानी चाहिए।

सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ : तृतीय लिंग व्यक्तियों के लिये स्वास्थ्य, आवास और अन्य बुनियादी जरूरतों के लिये सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ बनाई जानी चाहिए।

कानूनी सुरक्षा और अधिकार : तृतीय लिंग समुदाय के लिये विशेष कानूनी ढाँचा विकसित किया जाना चाहिए, जिससे उनके अधिकारों का संरक्षण हो सके।

निष्कर्ष : तृतीय लिंग समुदाय के पुनर्स्थापन के लिये कई बाधाएँ हैं, लेकिन यह समुदाय अपनी पहचान को बनाए रखने और समाज में अपनी जगह बनाने के लिये निरन्तर संघर्ष कर रहा है। इस शोध के परिणामों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि तृतीय लिंग समुदाय के लिये समावेशी नीतियों, कानूनी सुधारों और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के माध्यम से उनकी स्थिति में सुधार किया जा सकता है।

संदर्भ

- NHRC Report (2023). National Human Rights commission , India.
- Nanda, S, (1990). Neither man Nor woman : The Hijras of India.
- Crenshaw, K. (1989). "Mapping the Margins : Intersectionality and Identity Politics."
- Indian Social Justice commission Report (2021)

गांधी का ग्राम स्वराज एवं पंचायती राज व्यवस्था : एक समाजशास्त्रीय अवलोकन

अवन्तिका

प्रो० माधुरीवर्मा

सारांश- वर्तमान भारत में पंचायतीराज व्यवस्था में दो तत्त्व प्रभावी रहे हैं- प्रथम पंचायत की पुरातन गौरवशाली परंपरा और दूसरामहात्मा गांधी।पुरातन परम्परा को नईकड़ी में जोड़ कर एवं महात्मा गांधी केविचारों से प्रेरणा लेकर पंचायतराज व्यवस्था काश्रीगणेश हुआ।यहव्यवस्था प्रभावीढंग से क्रियान्वित हो सके ,इसके लिए केन्द्र में पंचायतीराज एवं सामुदायिक विकास मंत्रालय कीस्थापना कीगई।इसके बाद गांधी जी कीजयंती के अवसरपर 2अक्टूबर 1952 कोसामुदायिक विकास कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया ,जिसका उद्देश्य सामान्य जनता को विकास प्रणाली से अधिक से अधिक तादात्म्य स्थापित करना था ।स्वतंत्रताप्राप्ति केबाद भारत में पंचायतीराज से संबंधित विभिन्न समितियां समय -समय पर गठित कीगई,जिसकीसिफारिशों पर इसेअसली जामापहनाया गया।

मुख्यशब्द- पंचायतीराज,सामुदायिक,पुरातन, गौरवशाली,अन्वेषण,स्वायत्त, साम्प्रदायिक, लोकतांत्रिक, विकेंद्रीकरण, उपभोक्तावाद ।

वैदिक युग, मौर्य एवं मौर्येतरकालीन समाज में ग्रामीण व्यवस्था को ग्राम के पंचों अथवा गणनायकों के माध्यम से संचालित किए जाने के अनेक प्र माणतत्कालीन ऐतिहासिक विरासतों में सदाबहार पुष्पों की भाँति खिले हैं , जिनकी सुगंध पाकर भारतीय ग्रामीण आत्मनिर्भर व्यवस्था काविनाश करने वाले अंग्रेज शासक भी इस व्यवस्था को अपने हाथों पुनः पल्लवित होने से नहीं रोक सके ।यही कारण है कि सर्वप्रथम आधुनिक काल में 1882 में लॉर्ड रिफनद्वारा स्थानीय स्वायत्त शासन संस्थाओं का एक प्रस्ताव पारित किया गया ।इसके बाद धीरे-धीरे नगरों एवं ग्रामों में स्थानीय संस्थाओं की बयार बहने लगी।[1] ब्रिटिश शासकों ने स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं की भूमिका, महत्त्वएवं उपयोगिता का सूक्ष्म अन्वेषण करने के लिए 1907 में राजकीय विकेंद्रीकरण आयोग का गठन किया ।इस आयोग में भारतीय स्थानीय संस्थाओं की प्राचीनकालीन पंच अथवा गण व्यवस्था को महत्त्व पूर्ण मानते हुए, उसके स्थानीय विकास के संदर्भ में योगदान को अनुभव करते हुए , अपने प्रतिवेदन में स्थानीय स्वायत्त संस्थाओंके विकास पर बल दिया। 1920 में संयुक्त प्रांत असम, बंगाल, बिहार, मद्रास और पंजाब में पंचायतों की स्थापना के लिए कानून बनाए गए[2]इसप्रकार पुनः उस व्यवस्था की ओर भारतीय शासकों को

***शोधछात्रा- समाजशास्त्र, डॉ०रा०म०लोहिया अवध विश्वविद्यालय अयोध्या, उ०प्र०**

****प्रोफेसर-समाजशास्त्र, ज०ला०ने०स्मा०परा०महाविद्यालय, बाराबंकी, उ०प्र०**

[1]डॉ०राजेन्द्र जैन –भारत में संघीय वित्त व्यवस्था,म०प्र०हि०ग्र०अकादमी, भोपाल,1971, पृष्ठ 190-191

[2]डॉ०गजेन्द्र पालसिंह - पंचायती राज व्यवस्था संकल्पनावसंविधानिक प्रावधान , प्रतियोगिता दर्पण,अंकसितंबर 1999, पृष्ठ 270

झुकना पड़ा जो प्राचीन काल में गण व्यवस्था के अंतर्गत संचालित होती थी।वहाँ गणों के दसलोगों द्वारा लिए गए निर्णय का भी बीसलोगों द्वारा पुनरीक्षण किया जा सकता था अर्थात पाणिनि के द्वारा बताई गई यह व्यवस्था बहुमत के आधार पर संचालित होती थी। प्राचीन यूनानी लेखक मेग स्थनीज ने भी ऐसे सं घोंके अस्तित्व का वर्णन अपनी पुस्तकइंडिका में कियाहै,जो एक व्यक्ति की इच्छा के स्थान पर संपूर्ण समाजकी सहमति अथवा बहुमत द्वारा चलाई जाती थी।[3] लेकिन अभी भी प्राचीन लोकतंत्र का ग्रामीण स्वरूप अपने सार्थक रूप में नहीं आ पाया था ।कांग्रेस पार्टी नेभी1900 से 1920 के मध्य अपने विभिन्न अधिवेशनों में प्रस्ताव पारित करके पंचायतों के संरचनात्मक व्यवस्था के पुनर्निर्माण का समर्थन किया और पंचायतों के विचार को जन-जन तक पहुंचाने का दायित्व गाँधी जी ने अपने लेखों ,विचारों एवं भाषणों के माध्यम से किया।उनका मत था कि अहिंसा पर आधारित निकटतम मार्ग भारत के पहले ग्राम गणराज्य हैं ।[4]दूसरी तरफ डॉक्टर बी०आर० अंबेडकर जैसे अनेक लोगों के लिए प्राचीनकालीन पंचायती व्यवस्था ग्राम के लिए अज्ञानता, संकीर्ण प्रकृति तथा सांप्रदायिकवादकी गुहाथी। शायद यही कारण रहा होगा कि जब संविधान की निर्मात्री सभा के समक्ष प्रारूप समिति के द्वारा संविधान का प्रारूप प्रस्तुत किया गया तो उसमें पंचायतीराज से संबंधित किसी भी प्रकार की व्यवस्था का उल्लेख नहीं था , जिसके कारण संविधानसभा के अनेक गांधीवादी लोगों ने तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त की ,और पंचायतों से संबंधित प्रावधानों के अभाव को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का अपमान समझा। मजबूरी में एक समझौते के रूप में संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में धारा 40 को शामिल किया गया। यह अनुच्छेद राज्यों को निर्देश देता है कि वे ग्राम पंचायतों का गठन करने के लिए कदम उठाएंगे और उनको ऐसी शक्तियां एवं अधिकारप्रदान करेंगेजो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने के योग्य बनाने के लिए आवश्यक हों।इसके साथ ही संविधान की सातवीं अनुसूची में राज्य सूची की प्रविष्टि संख्या पांच में ग्राम पंचायतों को शामिल करने के बाद इस कार्यक्रम की उपलब्धियों का जब मूल्यांकन किया गया तो यह निष्कर्ष सामने आया कि जब तक स्थानीय संस्थाएँ स्वायत्त रूप से विकसित होकर कार्य नहीं करेंगींतब तक यह गरीबी उत्थान की महत्वाकांक्षी योजना सफल नहीं हो सकती , क्योंकि इस कार्यक्रम के अधीन खंडों को इकाई मानकर खंड के विकास हेतु सरकारी कर्मचारी के साथ सामान्य जनता को विकास की प्रक्रिया में जोड़ने का प्रयास नहीं किया गया।इसलिए जनता को अधिकार नहीं दिए जाने के कारण यह प्रयास सफल नहीं हो पाया । सामुदायिक विकास कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय प्रसार सेवाकार्यक्रम के असफल होने के बाद 1957 में बलवंतराय मेहता की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया और 1959 में पंचायतीराज व्यवस्था से संबंधित 73वांसंविधान संशोधन करके पंचायतराज व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता दे दी गई और संविधान में भाग-9 कोपुनः जोड़ा गया तथा इसीभागमें 16 नए अनुच्छेद और संविधान की 11वीं अनुसूची जोड़कर पंचायत का गठन, पंचायत के सदस्यों के चुनाव , सदस्यों के लिए आरक्षण तथा पंचायत के कार्यों के संबंध में व्यापक प्रावधान किया गया।

पंचायत केस्वरूप कानिर्धारण जहां एक ओर सामाजिक वराजनैतिक व्यवस्था केआधार पर जनमानस केजीवन को आसान बनाना रहा है वहीं साहित्य ने इसे सामाजिक मूल्य एवं आदर्श नियमों से जोड़ करइस व्यवस्था केप्रति जनमानस को अपनी ओर आकर्षित किया है।मुंशी प्रेमचंद कीपंचपरमेश्वर नामक कहानी ने बालसाहित्य सेलेकरउत्कृष्ट हिंदी साहित्य तकअपनाविशिष्ट स्थान बनाया है।हमारे देश को अनेक कष्टों कासामना करना पड़ा लेकिन एक चीज जो अमररही ,वहग्राम पंचायत की अवधारणा है।ग्राम,पंच, परमेश्वर आदि अनेक शब्द इस धारणा काप्राचीन अस्तित्व प्रकटकरते हैं। महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे नेताओं ने उच्च स्तरीय संस्थाओं जैसे - लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों के विधान मंडल कोही लोकतंत्र के लिए पर्याप्त नहीं समझा।यदि इन्हें हीपर्याप्त समझा जाएगा तो लोकतंत्र आधार हीनहो जाएगा।जवाहरलाल नेहरू कामतथा कि लोकतांत्रिक पद्धति को एक शानदार और जीवंत आधार कीजरूरत है , ताकि अनेकतूफानों कासामना करने के बाद भी लोकतंत्र बना रहे। हमारे देश में लाखों पंचायतें हैं,येहमारे लोकतंत्र काअसली आधार हैं। यदि यहआधार मजबूत

[3]के०ए०अंतनोवा, लेविस और कॉन्तोवस्की-भारतकाइतिहास,मास्कोप्रगति प्रकाशन, मास्को,1984 पृष्ठ 120-130

[4]डॉ०ए०एस०नारंग-भारतीयशासन और राजनीति, गीतांजलि पब्लिशिंग हाउस नई दिल्ली,1988, पृष्ठ 254

नहीं है तो संसद जैसादूसरा आधार होतेहुए भी हम लोकतांत्रिक रूप से शत-प्रतिशत स्थिरनहीं हैं, फिर ग्राम स्वराज काआधार भी तो लोकतंत्र हीहै।[5]

गांधी जी काग्राम स्वराज यापंडित जवाहरलाल नेहरू जी कापंचायती राज भारतीयता काप्रत्यक्ष रूप है।'माईपिक्चर ऑफ फ्रीइण्डिया'में गांधी जी ने कहा था कि "पंचायतोंकीशक्ति जितनी ज्यादा होगी उतना ही लोगों के लिए बेहतर होगा।पंचायत राज स्थापित होने पर जनमत वहकार्य करसकेगा जो हिंसा कभी नहीं कर सकती।जमींदारों , पूंजीपतियों और राजाओं कीमौजूदा ताकत तबतक कायमरहसकतीहै ,जबतक आमआदमी अपनी ताकत को नहीं पहचानता।पंचायत राज में केवल पंचायत काहुक्म मानाजाएगा"।[6]

लोकतंत्र की सबसे प्रमुखशर्तयह है कि देश की संप्रभु शक्ति संपूर्ण जनता में निहित हो। यदि संप्रभु शक्ति एक अथवा कुछ हाथों में केंद्रित हो जाती हैतो सत्ता के दुरुपयोग की अधिक से अधिक आशंकाएं जन्म ले लेती हैं ।केंद्रीकृतशासन सत्ता अक्सर अमानवीयता तथा पाश्विकताको उत्पन्न करदेती है। एकीकृत सत्ता को प्राप्त करने के बाद व्यक्ति अपने मूल कर्तव्य एवं धर्म को भूलकर दिशाहीन हो जाता है।वह उस ओर भटक जाता है जहाँ राजनैतिक एवं सामाजिक अत्याचार के अतिरिक्त कुछ भी नहीं होता ।अतः लोकतंत्र के माध्यम से समाज के उच्च वर्ग से लेकर निम्नवर्ग तकको सुख पहुंचाने के लिए स्थानीय स्वशासनकी संस्थाओं से श्रेष्ठ कोई दूसरा मार्ग नहीं हो सकता। जे०ब्राइसने तोयहाँ तक कहा है कि प्रजातंत्र की सर्वश्रेष्ठ पाठशाला और प्रजातंत्र की सफलता की सबसे बड़ी सुनिश्चितता स्थानीय स्वशासन का प्रचलन ही है ।अतः स्थानीय स्वशासन की संस्था के रूप में पंचायतीराजव्यवस्था किसी भी लोकतांत्रिक समाज को लोकतंत्र का मूल पाठ पढ़ाने वाली प्रथम शालाके रूप मेंउपयोगी सिद्ध हो सकती है। चूँकि भारत का पंचायतीराज का इतिहास सदियों पुराना है । अतः इसके संबंध में हिंदू,बौद्ध, जैन ग्रंथों में विविधतापूर्ण चिंतन उपलब्ध है।

स्वतंत्र भारत के निर्माण में जिन विभूतियों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर किया उन्होंने इस देश की गरीब, अभावग्रस्त, दलित ग्रामीण जनता के उत्थान के लिए पंचायतीराज को अपने- अपने दृष्टिकोण से स्वीकार किया है।पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था कि "लोकतंत्र का अर्थ केंद्र अथवा राज्यों में मात्र संसद का होना नहीं है। यह एक ऐसा तथ्य है जो कि प्रत्येक व्यक्ति को उत्तेजित करता है और आवश्यकता पड़ने पर प्रत्येक व्यक्ति को अपना उचित स्थान और देश में कोई स्थान लेने का प्रशिक्षण देता है ।मैं कहता हूँ तथा मेरा यहअर्थ भी है कि पंचायतीराज जैसी संस्थाओं का अंततः लक्ष्य भारत के प्रत्येक व्यक्ति को संभावित प्रधानमंत्री हेतु उसे प्रशिक्षित करना है"।[7]

महात्मा गाँधी जी ने वर्तमान पंचायतीराज को विशेष रूप से अपने चिंतन एवं विचारों के माध्यम से सदियों बाद पुन : प्रतिष्ठित किया ।हालांकि किसी भी आदर्श समाज में वे राज्य के अस्तित्व के विरोधी थे , लेकिन वेयह भी जानते थे कि आदर्श एवं व्यवहारिकता में जमीनऔर आसमान का अंतर होता है । इसलिए उन्होंने व्यवहारवादी दृष्टिकोण अपनाते हुए स्पष्ट किया था कि संसार में कहीं भी बिना सरकार के राज्य का अस्तित्व नहीं है।[8] गाँधी जी ने कहा था कि एकआदर्श समाज तभी सार्थक भूमिका निभा सकता है जब इसमें सत्ता विकेंद्रीकरण को मूलआधार बनाया जाए। आदर्श जनतंत्र को स्वावलम्बी,स्वशासित, सत्ताग्राही ग्राम समाजों के रूप में तैयार किया जाए तथा स्वेच्छा के आधार पर अहिंसक समाज में संघ और समुदायों का निर्माण किया जाए।[9] गाँधीजी सर्वोदय के माध्यम से समाज में सुख और शान्तिस्थापित करना तथा मानव जाति के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करना चाहते थे ।सर्वोदय के अंतर्गत परिवार को व्यापक रूप से अंगीकार किया जाता है तथा हर व्यक्ति अपने परिवार के लाभार्थ प्रयत्नशील रहता है । इसमें समाज परिवार के सामान है और प्रत्येक व्यक्ति को अपनी प्रगति एवं सफलता के लिए परिश्रम करना पड़ता है। स्वार्थ,ईर्ष्या, द्वेष आदि अवगुणों को समाप्त करके

---

[5]डॉ०शंकरदयालशर्मा – चेतना के स्रोत,प्रभातप्रकाशन, दिल्ली 1993,पृष्ठ 89

[6]डॉ०शंकर दयाल शर्मा- लोकतंत्र कीप्रक्रिया, मनीष प्रकाशन,श्रीअल्मोड़ा बुक डिपो अल्मोड़ा, पृष्ठ 88-89

[7]डॉ०ए०एस०नारंग-भारतीयशासन और राजनीति, गीतांजलि पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली 1988 पृष्ठ-252-253

[8]डॉ०अवस्थीएवं अवस्थी – भारतीय राजनैतिक चिंतन, रिसर्च पब्लिशिंग जयपुर 1992, पृष्ठ 298-299

[9]डॉ०अवस्थीएवं अवस्थी -भारतीयराजनैतिक चिंतन, रिसर्च पब्लिशिंग जयपुर,1992, पृष्ठ 299-300

प्रेम, सहयोग,शांति से इस प्रकार से कार्य करना चाहिए जिस सेसमाज की उन्नति हो सके । इस समाज में सभी व्यक्ति अपना विकास कर सकते हैं ।कोई गरीब और अमीर नहीं रहेगा तथा शोषण का अंत हो जाएगा। श्रम के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को जीवनयापन की सुविधाएँ प्राप्त होंगी। ये समाज प्रेम-अहिंसा पर आधारित होगा, जिसमें तुच्छ स्वार्थों का कोई स्थान नहीं होगा।इसमें न ऊंच-नीच का,नछोटे-बड़े का, नजात-पात काऔर न अमीर-गरीब का भेद रहेगा।[10]

गाँधी जी ग्राम स्वराज के अंतर्गत ऐसे समाज का निर्माण करना चाहते थे , जिसमें एक शोषणविहीन, सामाजिक-आर्थिक रूप सेसमान समाज होगा। व्यक्तिगत संपत्ति मनुष्य भले ही रखे किंतु उस संपत्ति का प्रयोग निजी स्वार्थ के लिए न करके सम्पूर्ण समाज के हित में करे।उन्होंने अपने ग्रामीण स्वराज के निर्माण में हृदय परिवर्तन को महत्त्व पूर्ण मानते हुए इसे मनुष्य की आंतरिक शक्ति के रूप में स्वीकार किया और पूँजीपति वर्ग को कुटुम्ब की भाँति सब की देख-रेख करने का मार्ग दिखलाया।[11]

महात्मा गाँधी ने ग्राम स्वराज की व्यवस्था के अंतर्गत साधन और साध्य के महत्त्व को प्रतिष्ठित करते हुए कहा कि मैं न किसी वाद का प्रवर्तक बनना चाहता हूँ न किसी धर्म का गुरूऔर न किसी म ठ का महंत बनने की मेरी लालसा है । मैं जो बात कह रहा हूँ वही सत्य का अंतिम रूप है । उन्होंने यह भी कहा कि सत्य के संबंध में उनका कहना ही अंतिम निर्णय है। महात्मा गाँधी ग्रामीण पंचायतीराज व्यवस्था को एक ऐसी व्यवस्था के रूप में विकसित करना चाहते थे जिसमें जन कल्याण से बढ़ कर दूसरी कोई बात नहीं हो। मैं एक ऐसे भारतवर्ष के लिए काम करूँगा, जिसमें गरीब से गरीब व्यक्ति यह महसूस करेगा कि यह उसका अपना देश है ,इसके निर्माण में उसका हाथ है । एक ऐसा भारतवर्ष जिसमे न कोई ऊँचा और नकोई नीचा होगा। एक ऐसा भारतवर्ष जिसमें सभी समुदाय के लोग आपस में मिल-जुलकर पूरेप्रेम-भाव के साथ रहेंगे । गाँधी जी का ग्राम स्वराज धर्मविहीन नहीं था।उनका विश्वास था कि संपूर्ण विश्व का संचालन नियामक ईश्वर ही है।[12]

गाँधी जी ने सम्पूर्ण भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में घूमने के पश्चात् ग्रामीण जनता के घोर दरिद्र रूप को जाना और उनकी दरिद्रता के लिए उत्तरदायी सरकार की शोषणकारी एवं दमनकारी नीतियों को निकट से देखा। वे जानते थे कि 1813 में प्रारंभ किएगए मुक्त व्यापार के परिणामस्वरूप भारतीय आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था का शोषणकरके अपने छुद्र आर्थिक हितों की पूर्ति करने वाली व्यवस्था कासृजन किया गया।धीरे-धीरे कुटीर उद्योग धंधों को समाप्त करने का बीड़ा उठायागया ।1814 से 1835 के मध्य ब्रिटिश आयात एवं निर्यातको संरक्षण प्रदान किया गया। जिसके परिणामस्वरूप भारत के श्रेष्ठ माल को अपने सस्ते माल के कारण व्यापारिक प्रतियोगिता से बाहर होना पड़ा।[13]गाँधीजी ने जब आर० सी०दत्त की पुस्तक इकोनॉमिक हिस्ट्रीऑफ इंडिया में पहली बार पढ़ा कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन में ब्रिटिश निर्माताओं के पोषण के लिए गांव के फलते-फूलते शिल्पों और उद्योगों को नष्ट कर दिया गया था तो वे रो उठे थे । उन्हें सबसे अधिक पीड़ा इस बात ने दी किअबकाम-काज का केंद्र आबादी की विशाल जनसंख्या के निवास स्थान गावों से हटकर उन कुछ नगरों में आ गया था,जहां उपनिवेशवादी शासकों और भारतीय जनता के बीच के दलालों के परोपजीवी वर्ग- ज़मींदारों,मिल-मालिकों, धनवानों, व्यावसायिकों और सरकारी नौकरों का बोलबाला था। गाँधी ने दुःख प्रकट करते हुए कहा था –कुछ आधुनिक नगर उन मांस-पिंडों के समान हैं जो वर्तमान समय में गांवोंका जीवन-रक्त चूसने का पाप पूर्ण प्रयोजन पूरा कर रहेहैं।जमीन पर दबाव बढ़ गया था, वैकल्पिक धंधे लगभग समाप्त हो गए थे, करोड़ों भूमिहीन मज़दूरों के पास कोई लाभप्रद काम नहीं था और यहाँ तक कि भूमि पर काम करने वाले किसान भी वर्ष के कई महीने बेकार रहते थे। नगरों का औद्योगीकरण, गांव में उद्योगों का विनाश, व्यापक बेकारी और भारी गरीबी, विशेषकर गांवों में भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं बन गई थीं।[14]

---

[10]श्रीमती शोभा शंकर – आधुनिक भारतीय समाजवादी चिंतन, साहित्य भवनप्रा०लि०,1980, पृष्ठ-86

[11]श्रीमती शोभा शंकर -आधुनिकभारतीय समाजवादी चिंतन, साहित्य भवन प्रा०लि०,1980,पृष्ठ 86-88

[12]डॉ०प्रभाकरमाचवेएवं सुरेन्द्र नारायण दफतुआर- बिहार हि०ग्र०अ०, पटना पृष्ठ 89-90

[13]वी०वी०तायल- भारतीय समाज एवं राजनीति, नेशनल पब्लिशिंगहाउस, पृष्ठ 9-10

[14]बलराम नंदा– गांधी और उनके आलोचक, सारांश पब्लिकेशन दिल्ली,1997, पृष्ठ -137-138

गाँधी जी को पूर्ण विश्वास था कि भारत का पुनरुत्थान ग्रामीण स्वायत्तता एवं पंचायतों के विकास से ही संभव है, परन्तु भारत का दुर्भाग्य रहा है कि हमने व्यक्तिपूजा तो बड़ी तत्परता से किया, लेकिन उस व्यक्ति के आचरणों को व्यक्ति और राष्ट्र के आचरण में ढालने का कम ही प्रयास किया है । महात्मा गाँधी पर भी यही बात लागू होती है । गाँधी का ग्राम स्वराज स्वावलंबन, दृढ़ इच्छा शक्ति और आत्मविश्वासकास्वराज था ।परन्तु पाश्चात्यकरण की वेदी पर यह सपनाकभी भी सच नहीं हो सकता ।गाँधीजी के ग्राम स्वराज का माध्यम पंचायतीरा ज व्यवस्था है। ये दोनों एक सिक्के के दो पहलू की भाँति हैं।यह विश्वासों को प्रश्रय देकर उपभोक्तावादी संस्कृति को तिरस्कृत करता है, क्योंकि उपभोक्तावाद व्यक्ति की दृष्टि को स्थूल बनाता है। यह व्यक्ति को आत्मकेंद्रित करदेता है। उपभोक्तावाद के कारण एक ओर व्यक्ति की निगाह जहां सदैव दूसरों के सुख सुविधाओं पर लगी रहती है और वह सदैव अपने को अभावग्रस्त अनुभव करता है वहीं दूसरी ओर बहिर्मुखता के कारण उसे एकांत में कभी अपने क्रियाकलापों के औचित्य के विषय में सोचने का अवसर ही नहीं मिलता। उपभोक्तावाद आत्मावलोचन के द्वार बंद करके आगे बढ़ता है और आत्मा वलोचन से वंचित व्यक्ति को असामाजिक होने में ज्यादा देरनहीं लगती।[15]

गांधीजी आधुनिकीकरण के विरोध में नहीं थे,परन्तु जिस आधुनिकीकरणके कारण लाखों बेरोजगार हाथों के कार्य एवं पुरुषार्थ मिटगए उस आधुनिकीकरण के खिलाफ़ थे । उपभोक्तावादी संस्कृति एवं पाश्चात्यकरण के विषाणुओं का अंत मात्र ग्राम स्वराज और पंचायतीराज व्यवस्था के अनुकरण और आदर्श क्रियान्वयन के फलस्वरूप ही होगा। गाँधी जी का कहना था कि मेरे सपनों के स्वराज में जाति या धर्म के भेदो का कोई स्थान नहीं हो सकता । उस पर शिक्षितों या धनवानों का एकाधिपत्य नहीं होगा। वह स्वराज सबके लिए तथा सबके कल्याण के लिए होगा।सब की गिनती में किसान तो आते ही हैं किंतु लूले, लंगड़े, अंधे और भूख से मरने वाले लाखों करो ड़ों मेहनतकश मजदूर भी अवश्य आते हैं ।स्वराज जितना किसी राजा के लिए होगा, उतना ही किसान के लिए। जितना किसी धनवान जमींदार के लिए होगा, उतना ही भूमिहीन मनुष्य के लिए। जितना हिंदुओं के लिए होगा, उतना ही मुसलमानों के लिए।जितना जैन, यहूदी और सिख लोगों के लिए होगा, उतना ही पारसियों और ईसाइयों के लिए।इसमें जाति-पाति, धर्मया सम्प्रदाय के भेदभाव के लिए कोई स्थान नहीं होगा। मेरे सपनों का स्वराज तो गरीबों का स्वराज होगा ।जीवन की जिन आवश्यकताओं का उपयोग राजा और अमीर लोग करते हैं , वही गरीबों को भी सुलभ होनी चाहिए। इसमें फर्क के लिए स्थान नहीं हो सकता। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हमारे पास उनके जैसे महल होने चाहिए। सुखी जीवन के लिए महलों की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन जीवन की वे सामान्य सुविधाएँ गरीबों को भी अवश्य मिलनी चाहिए , जिनका उपभोग अमीर आदमी करता है । मुझे इस बात में बिलकुल संदेह नहीं है कि हमारा स्वराज तब तक पूर्ण नहीं होगा , जब तक वह गरीबों को सारी सुविधाएँ देने की पूरी व्यवस्था नहीं कर देता।[16]

आर्थिक रूप से स्वावलम्बी ग्रामीण प्रशासन सत्यम्- शिवम्-सुन्दरम् की परिकल्पना से ओत-प्रोतहो।इसके लिए पंचायतीराज व्यवस्था ही वह माध्यम हो सकती है ।इस व्यवस्था के क्रियान्वयन में संस्कृति की प्रधानता तथा सामाजिक मूल्यों एवं विश्वासों की महत्ता हो। निर्धनों के बीच चेतना का प्रसार , सत्याग्रह द्वारा जन शक्ति काअभ्युदय तथा निर्धनोंके संगठित सहयोग से शोषणमुक्त ग्रामीण समाज की स्थापना हो सकती है । जिसका वैकल्पिक माध्यम पंचायत इकाई के रूप में होगा। यह इकाई अपने स्तर पर सबके लिए स्वास्थ्य , संस्कृति पर क शिक्षा ,उन्नतकृषि हेतु संसाधन उपलब्ध कराएगी।आजादी के बाद ही गांधी जी कीहत्या हो गई तबसे आज तक गांधी को आदर्श मानकर उनके पगचिह्नों पर चलने कादावा करने वालों ने गांधी जी केयशकालाभ उठाते हुए खूब सत्ता सुख लूटा ,परराजनीति में नैतिकता, सादगी और सच्चाई काउनका मूलमंत्र यादनहीं रखा।प्रचलित सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था केखिलाफ उनके बुनियादी विचार भुला दिए।गांधी जी चाहते थे कि राष्ट्रीय नेतृत्व अपनी सादगी, सच्चाई और नैतिकता से समाज को प्रभावित करेऔर स्वावलंबन, समाजवाद,

---

[15]डॉ०देवेन्द्र दीपक – सामाजिक समरसता -अन्त्योदयसे सर्वोदयतक , रचना अंकमार्च-जूनम०प्र०हि०ग्र०अकादमी, भोपाल,म०प्र०

[16]महात्मा गांधी – मेरे सपनों काभारत -उद्धृतरचना, जुलाई -अगस्त1997म०प्र०हि०ग्र०अकादमी, भोपाल

सादगी, समानता और स्वदेशी से ग्राम स्वराज आए।अतः राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं नैतिक जीवन में गांधी जी के विचारों काअनुसरण करके ही गांवों को राष्ट्रकीमुख्य धारा में शामिल किया जा सकता है और गांधी जी के ग्राम विकास केस्वप्नके साथ -साथग्राम स्वराज केस्वप्न कोभी पंचायती राज व्यवस्था केमाध्यम से सार्थक किया जा सकता है।

❖

Dr. Rishikesh Singh

Editor in Chief

INDIAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES & SOCIETIES

Publisher

FLASH PUBLICATION

Basant Bihar, Janaki Nagar Colony, Bahraich Road, Gonda (U.P.)

Mob. 9415458974